खण्ड-161, अंक-1
सोमवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(5 दिसम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 161 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फर्तासिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करणसिंह यादव, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री

चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिनहा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तारा चन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम , श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बाबूनन्दन , श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री

भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय ,श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहर्नासिंह, श्री
मोहर्नासिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राज किशोर राय, श्री
राज कमार शर्मा, श्री
राज नारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
राम लखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री

लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव पूजन राय, श्री
शिव प्रसाद , श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह , श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिव स्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

समवार, ५ दिसम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के संविधान में परिवर्तन का विचार

**१--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि वह राज्य के बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के संविधान में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह विचार कब तक कार्य रूप में परिणत हो जायेगा ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--जी हां, यू० पी० इंडियन मेडिसिन संशोधन विधेयक (१९५५) विधान सभा के सम्मुख पुरःस्थापित हो चुका है। उसके पारित व लागू होने के उपरान्त उसके अन्तर्गत चुनाव नये संविधान के अनुसार होंगे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० इंडियन बोर्ड आफ मेडिसिन के विधेयक को प्रस्तुत करने का कोई आधार है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष--यह पुरःस्थापित तो हो गया है, इसमें आधार तो आप उसी समय पूंछ सकते थे।

घोसी तहसील के किसानों की तकावी की मुआफी के लिए दरख्वास्तें

**२--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के दुवारी, वरोंहा, मोलनापुर कुंवर पुरवा आदि गांवों से नवम्बर सन् १९५५ के प्रथम सप्ताह में इस आशय की दरख्वास्त आई है कि १ अक्तूबर, सन् ५४ के बाद की ली गई तकावी भी मुआफ की जाय क्योंकि इन गांवों में सन् ५५ में भी भीषण बाढ़ आई थी और मालगुजारी में भी मुआफी मिली है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--इनमें से कुछ गांवों की कुछ दरख्वास्तें गवर्नमेंट को अवश्य मिलीं, परन्तु उनका विषय क्या था सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार की दरख्वास्तें विचारार्थ जिलाधीश को भेज दी जाती हैं और उनकी पूरी तफसील यहां दफ्तरों में दर्ज नहीं की जाती।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुल्तवी और बकाया तकावी के अधिकार जो जिलाधीशों को दिये गये हैं उसका खुलासा क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, कायदे के अनुसार आर्डर्स के मुताबिक उनको अधिकार दिये गये हैं, वह कई आर्डर्स जारी हो गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैंने तो खुलासा पूछा है।

श्री अध्यक्ष--वह कह रहे हैं कि कई आर्डर्स जारी हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि इस प्रकार के आदेश गये हैं कि १ अक्तूबर, १९५४ के पहले तकावी दी गई है और जिन्होंने किस्त नहीं दी है उनकी माफ होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसे कोई आर्डर्स नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस प्रकार के आदेश देने की कृपा करेगी कि जिन गांवों की मालगुजारी ५२, ५३, ५४ और ५५ की तकावी जो धारा १२ के अनुसार वितरित की गई है, वह माफी की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तकावी के लिये यह चीज लागू नहीं हो सकती है। इसके लिये अलहदा नियम हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्त जिलाधीशों को भेजी जाती है तो क्या सरकार उनका पता लगाती है कि उन पर कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, वह डिस्पोजल के लिये भेजी जाती हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दरख्वास्तें आई है वह सरकारी हुक्म के मातहत हैं या नहं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें सरकारी हुक्म के मातहत के क्या मानी हैं क्योंकि दरख्वास्तें तो हर तरह की आ जाती हैं।

न्याय पंचायतों के आगामी चुनाव के लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी

**३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार आगामी न्याय पंचायत के चुनाव के निमित्त कौन-सी Prescribed Authority नियुक्त की गई है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—जिलाधीश, प्रेसक्राइब्ड अथारिटी नियुक्त किये गये हैं और उनकी सहायता के लिये एक समिति भी नियुक्त की गई है।

**४—श्री जोरावर वर्मा—क्या विधेयक प्रस्तुत करते समय (बहस के दरम्यान) तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि जिलाधीश और पंचायत राज अधिकारी ही इस कार्य के लिये Prescribed Authority न होंगे उस आश्वासन के अनुसार ही उक्त Prescribed Authority की नियुक्ति हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन कि जिलाधीश और पंचायत राज अधिकारी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी न नियुक्त किये जावेंगे, नहीं दिया था।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि सहायता के लिये जो समिति बनेगी उसका संगठन किस प्रकार का होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो कमेटी जिलों में होगी उसमें तमाम विधान सभा के सदस्य, एस० डी० एम० और जिला बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और वह अपनी अपनी उप-समिति में होंगे। वह उपसमिति जो विधान सभा का क्षेत्र है उसके लिये होगी और विधान सभा के क्षेत्र के लिये वहां जो विधान सभा के सदस्य हैं, जिला बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एस० डी० एम० हैं उनमें होंगे और यह नामों की सिफारिश करेंगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समिति का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—समिति के निर्माण के लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि यह जो उपसमिति बनेंगी इनका निर्णय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मानना होगा अथवा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार होगा कि उसका डिसोजन फाइनल होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार होगा कि वह ही नामजद करे। यह जो कमेटी होगी यह परामर्श देगी और नामों का पैनेल भेजेगी ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी और समिति में यदि अन्तर पड़ जाय तो अन्तिम निर्णय किसका होगा ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसमें पहले जिलाधीश प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी था और जब वह सदन के सामने सेलेक्ट कमेटी के द्वारा पेश हुआ और जब पास हुआ उस समय जिलाधीश को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से हटा दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश---मुझे इस समय ठीक याद नहीं है। मैंने जो अधिनियम है, वही इस समय देखा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार जिलाधीशों के ऊपर अतिरिक्त काम के बोझ को देख कर यह उचित समझती है कि ग्राम-पंचायतों के लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उसे न बनाया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश---सरकार यह उचित समझती है कि जिलाधीश को ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाना ठीक रहेगा।

तारांकित प्रश्न

रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी, मेरठ के सदस्य

*१---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी मेरठ के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके सदस्य निम्नलिखित हैं---

(१) कमिश्नर, मेरठ (चेयरमैन)।
(२) सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, मेरठ।
(३) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० (बी० एन्ड आर०) मेरठ।
(४) श्री द्वारिका प्रसाद, एडवोकेट, एम० एल० ए०, मुजफ्फरनगर।
(५) श्री शम्भूनाथ गर्ग, प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बुलन्दशहर।
(६) रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर, मेरठ (सेक्रेटरी)।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह कमेटी कितने दिन के लिये नियुक्त की गयी है और किस के द्वारा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होती है और तीन साल के लिये नियुक्त होती है।

केंद्रीय ट्रांसपोर्ट अथारिटी के सदस्य

*२---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---केन्द्रीय ट्रांसपोर्ट अथारिटी के कितने सदस्य हैं और कौन-कौन ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके ७ सदस्य, हैं जो इस प्रकार हैं---

(१) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश (चेयरमैन)।
(२) डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, सेन्ट्रल रेंज ।
(३) चीफ इंजीनियर, पी० डब्लू डी० (बी० एन्ड आर०) ।
(४) श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, एम० एल० ए०, नैनीताल।
(५) श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी, एम० एल० ए०, आगरा ।
(६) इंडियन रोड्स ऐन्ड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसियेशन, न्यू दिल्ली के प्रतिनिधि श्री एम० बी० इदनानी, डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर, स्टैन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी, हजरतगंज, लखनऊ।
(७) डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (ऐडमिनिस्ट्रेशन), उत्तर प्रदेश (सेक्रेटरी) ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह सेंट्रल ट्रांसपोर्ट अथारिटी कब नियुक्त हुई थी और इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह ५४ में नियुक्त हुई थी और तीन साल के लिये नियुक्त हुई थी।

भूमि प्रबन्धक समिति तथा गांव-सभा के सेक्रेटरियों के कार्य को मिलाने के संबंध में जानकारी

*३---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज के सेक्रेटरियों और भूमि प्रबन्धक समिति के सेक्रेटरियों को एक में मिला देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गांव समाज का कोई सेक्रेटरी नहीं होता। भूमि प्रबन्धक समिति का सेक्रेटरी लेखपाल है। ऐसी सूरत में यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, मुझे खयाल है कि मैंने प्रश्न में गांव सभा लिखा था और प्रश्न में यहां जो छपा है वह गांव समाज है इसलिये वैसा ही उत्तर आया है ?

श्री अध्यक्ष---आपके दस्तखती मेरे पास जो प्रश्न हैं उसमें 'गांव समाज' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इसलिये उसके लिये आपको दूसरा ही प्रश्न करना होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा और भूमि प्रबन्धक कमेटी से सेक्रेटरियों को एक में मिला देने का विचार उसका है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखता है इसलिये इसको आप इस समय नहीं पूछ सकते ।

फैजाबाद जिले में गांवों के धरातल को ऊंचा करने का निर्णय

*४---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बतायेगी कि फैजाबाद जिले में बाढ़ से सुरक्षा के लिये योजना के अनुसार कितने ऊंचे गाँव बसाने का निर्णय किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---फैजाबाद जिले में ४५० गांवों की सतह को ऊंचा करने का निर्णय किया गया है, जिनमें से १०० गांव जून, ५६ तक ऊंचे कर दिये जायंगे।

*५--श्री रामनारायण त्रिपाठी--ये गांव किन-किन तहसीलों में कितने-कितने होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ग्रामों की संख्या तहसीलवार कितनी होगी, यह अभी निश्चित नहीं है। आगामी जून तक जिन १०० गांवों में काम होगा, उनकी तहसीलवार संख्या इस प्रकार है :--

तहसील			संख्या
बीकापुर	..	..	४०
टांडा	..	..	८
फैजाबाद	..	..	२०
अकबरपुर	..	..	३२

*६--श्री रामनारायण त्रिपाठी--सरकार किस सीमा तक इन गांवों में आर्थिक सहायता करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--गांवों के ऊंचा करने की योजना का पूर्ण व्यय सरकार स्वयं वहन करेगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि इन ४५० गांवों को सतह ऊंचा करने का पूरा काम कब तक हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- ठीक-ठीक तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जल्दी ही पूरा किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जिन गांवों की संख्या बतायी गयी है क्या उनकी सूची माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पूरी सूची तो नहीं है लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें काम शुरू हो गया है और कुछ में होने वाला है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार गांव के ऊंचा करने के माने सही मानों में गांव की सतह को ऊंचा करना समझती है या केवल घरों के आसपास थोड़ी सी मिट्टी डाल कर उसको ऊंचा करना समझती है ?

श्री अध्यक्ष --यह तो राय का सवाल है आप कोई चीज फैक्ट्स के बारे में पूछिये।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि गांव ऊंचे करने के नाम पर ऊंचे नहीं किए जा रहे हैं बल्कि घरों के चारों ओर डेढ़ डेढ़ हाथ ऊंची और एक एक हाथ चौड़ी मिट्टी डाली जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह ठीक नहीं है, गांव की सतह ऊंची की जाती है और घर ऊंचाई पर बनाये जाते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जहां गांव ऊंचे किए जा रहे हैं उनमें से गांव सभाओं द्वारा कितने ऊंचे किए जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह काम गांव सभाओं द्वारा ही किया जायगा, केवल खर्च सरकार देगी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उन्होंने गांवों को कैसे ऊंचा किया है ? क्या उन्होंने स्वयं वहां जाकर देखा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने तो अभी नहीं देखा है, माननीय सदस्य ने शायद जरूर देखा होगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि गांव को ऊंचा करने में गांव के रहने वालों के मकानात भी ऊंचे किए जा रहे हैं?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---गांव ऊंचा करने से मतलब यह है कि गांव के चारों तरफ चार पांच फिट मिट्टी डाल दी जाती है ताकि उससे दरिया की बाढ़ का पानी रुक जाय और आहिस्ता-आहिस्ता लोग मकानात ऊंचे कुछ अभी से कर रहे हैं और कुछ आहिस्ता-आहिस्ता आगे करेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वहां के निवासियों के जो घर ऊंचे होंगे, उसमें भी सरकार कुछ सहायता देगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सरकार की ओर से ही सारा काम होगा, उसका पैसा सरकार देगी और कार्य गांव सभाओं द्वारा कराया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार को मालूम है कि बावजूद सरकारी आज्ञा के कि गांव सभाओं से ही ऊंचा कराने का काम लिया जाय, वह काम गांव सभाओं को न देकर वहां के ठेकेदारों से काम लिया जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नहीं। ठेकेदारों से तभी लिया जाता होगा जब गांव सभायें उसे नहीं करती होंगी, किसी और से करा दिया होगा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैंने स्वतः निरीक्षण करके सरकार को रिपोर्ट दी है कि गांव नहीं बल्कि घर ऊंचे किए जा रहे हैं जहां किसानों के घर आबाद हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन गांवों को ऊंचा किया जा रहा है क्या वहां उनको गांव सभाओं की मर्जी के खिलाफ ऊंचा किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष---यह उल्टा प्रश्न है, आप मर्जी के खिलाफ कैसे पूछ सकते हैं, आप यह पूछ सकते हैं कि क्या उनकी मर्जी से ऐसा किया जा रहा है।

श्री रामेश्वर लाल---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन गांवों को ऊंचा किया जा रहा है उनकी मर्जी से ही उनको ऊंचा किया जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उनकी मर्जी से ही किया जा रहा है, बल्कि गांव वाले लालायित हैं कि जल्द उनके गांव ऊंचे किए जायं।

श्री रामेश्वर लाल---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि गांव को ऊंचा करने के लिए जो जमीन मिट्टी लेने के लिए खाली की जाती है, क्या उसे एक्वायर किया जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक्वायर करने की बात नहीं है, जहां मिट्टी होगी वहीं से ली जायगी और वह ऐसी जगह से ली जाती है, जिससे किसी का नुकसान न हो।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गांव को ऊंचा करने के लिए गांव के आसपास से जो मिट्टी ली जा रही है और उससे जो उन खेतों की पैदावार की शक्ति कम हो रही है, उनके लिए क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है कि उनको मुफ्त खाद की सहायता दी जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है और न किसी की पैदावार कम हो रही है, किसी का नुकसान न हो ऐसा पहले से ही ध्यान रखा जाता है।

श्री रघुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि गांव सभाओं को भरने के लिये न दे करके ठेकेदारों को भरने के लिये दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है।

*७-९--**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)--[२ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०-११--**श्री देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह** (जिला गोरखपुर)--[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अलोपीबाग कालोनी, इलाहाबाद में शरणार्थियों के मकानों की खराब हालत

*१२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद में अलोपीबाग कालोनी में जो शरणार्थियो के लिये मकान बने हैं उनकी हालत बहुत खराब है और वहां के रहने वालों ने उसकी शिकायत सरकार से की है? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--इस बारे में शरणार्थियों ने कुछ शिकायतें की थीं। मरम्मत के लिये पहले भी रुपया दिया गया था और इस साल भी सरकार ने विशेष मरम्मत के लिये अतिरिक्त धन दिया है। यह खयाल करते हुये कि यह क्वार्टर सन् १९४८-४९ के संकटकाल में जब कि शरणार्थी इस प्रदेश में बड़ी तादाद में एकदम आये जो कुछ भी सामान आसानी से मिल सका उससे बनाये गये। इनकी हालत ठीक ही है। फिर भी क्वार्टरों की हालत में सुधार करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उस कालोनी में कितने क्वार्टर्स हैं और उनको बनवाने में कितना व्यय हुआ है?

श्री हुकुमसिंह--ब्योरा इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बतायेगी कि उन क्वार्टरों को इन शरणार्थियों के हाथ बेंचने के लिये कोई नोटिस दी गई है?

श्री हुकुमसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार उन क्वार्टरों को उन रेट्स पर जिन पर दिल्ली में शरणार्थियों को क्वार्टर्स दिये गये हैं देने का विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष--आपका प्रश्न है कि मकानों की हालत खराब है, आप उसी के विषय में पूछ सकते हैं। रेट वगैरह का प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता। फिर उन्होंने कहा है कि इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। इससे भी यह पूरक प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--माननीय अध्यक्ष महोदय, उन मकानों की दशा बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष--तो जो पूरक सवाल आप करें वह उसी विषय पर हो जिस पर मूल प्रश्न था।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनमें कितने क्वार्टर्स खराब हो चुके हैं ?

श्री हुकुम सिंह---जो अबकी बरसात में खराब हो गये उनकी मरम्मत के लिये रुपया दे दिया गया है। अब की बरसात में तो बड़े-बड़े महल खराब हो गये, क्वार्टरों की कौन कहे।

अलीगढ़ में सरकारी मोटर गाड़ियों की मरम्मत

*१३- श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में सरकारी मोटर गाड़ियों में से कितनी गाड़ियां बेकार तथा मरम्मत के लिये पड़ी हुई हैं जो काम नहीं कर रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अलीगढ़ जिले में कुल सात सरकारी मोटर गाड़ियां मरम्मत के लिये वर्कशाप में पड़ी हुई हैं जो काम नहीं कर रही हैं। इनमें से ५ अलीगढ़ की वर्कशाप में और २ हाथरस की वर्कशाप में हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गाड़ियों को किस किस समय मरम्मत के लिये दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक गाड़ी १९-६-५५ को, दूसरी १-७-५५ को, तीसरी २८-८-५५ को, चौथी ३१-८-५५ को, पांचवीं ५-९-५५ को, छठवीं २३-९-५५ को और सातवीं २४-९-५५ को।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन गाड़ियों के लिये पुरजे आये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन इसकी जो मरम्मत थी वह इसीलिये थी कि स्पेयर पार्ट्स टूट गये थे और इसीलिये वह मरम्मत के लिये पड़े हुये थे।

बहराइच जिले में मछुओं की रक्षार्थ राजकीय आदेशानुसार सहकारी समितियां

*१४---श्री सियाराम चौधरी (जिला बहाराइच) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आदेश-पत्र संख्या ९१०/१२-एफ---३८-१९५२, दिनांक ११-११-५२ के अनुसार बहराइच जिले में मछुओं के हक की रक्षा हेतु सहकारी समितियां बनाई गयी थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह---जो हां, इन सहकारी समितियों का नाम संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर)

बहराइच जिले में मछुओं तथा मत्स्योन्नति के लिये विचाराधीन योजना

*१५---श्री सियाराम चौधरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत मत्स्य विभाग ने बहराइच जिले के तालाबों में क्या उन्नति की, तथा मछुओं की उन्नति के लिये इन सहकारी समितियों द्वारा किसी प्रकार की योजना तैयार करके उसे संचालित करने का उसने क्या प्रयत्न किया ? क्या सरकार वह योजना मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—मछली के बीज का अभाव तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य नहीं किया जा सका। मछुओं की सहकारी समिति और मत्स्योन्नति तथा मछुओं की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने के हेतु योजना तैयार की गई है जिसमें मछुओं की समितियों को कुछ विशेष सुविधायें देने का विशेष आयोजन किया गया है। यह योजना सरकार के विचाराधीन है और आशा की जाती है कि अगली पंचवर्षीय योजना में इस सिलसिले में उपर्युक्त कार्य किया जा सकेगा।

कानपुर रीजन रोडवेज में हरिजनों की नियुक्ति

*१६—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर रीजन रोडवेज में अब तक जनवरी, १९५५ ई० से किन-किन पदों पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—कानपुर रोडवेज में जनवरी, १९५५ से अब तक निम्नलिखित नियुक्तियां की गई हैं :—

(१)	जूनियर क्लर्क	.. ..	२
(२)	सहायक बुकिंग क्लर्क	.. ..	४२
(३)	क्लीनर कंडक्टर	.. ..	१६९
(४)	ड्राइवर	.. ..	१३२
(५)	चौकीदार	.. ..	१९
(६)	मजदूर	.. ..	७०
(७)	चपरासी	.. ..	९
(८)	मेहतर	.. ..	१२
(९)	पानीवाला	.. ..	१३
(१०)	वेल्डर	.. ..	२
(११)	फिटर	.. ..	१६
(१२)	टिनस्मिथ	.. ..	३
(१३)	ब्लैक स्मिथ	.. ..	२
(१४)	कारपेंटर	.. ..	५
(१५)	क्लीनर	.. ..	५
(१६)	पेंटर	.. ..	१

*१७—**श्री मुरलीधर कुरील** (अनुपस्थित)—इनके लिये कितने हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिये और कितने नियुक्त किये गये?

श्री चरणसिंह—इन जगहों के लिये २३ हरिजनों ने आवेदन-पत्र दिये जिनमें से २० हरिजन नियुक्त किये गये।

पुराने पटवारियों की पुर्ननियुक्ति

*१८—**श्री राजवंशी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुराने पटवारियों को लेखपाल के पद पर नियुक्त करने के लिये उनकी योग्यता, उम्र, करेक्टर रोल के लिहाज से सूची तैयार की गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*१९—**श्री राजवंशी**—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इस प्रकार की सूची के क्रमानुसार लेखपालों की नियुक्ति की जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--- जी हां।

श्री राजवंशी---जिन पटवारियों की फिर से नियुक्ति के लिये लिस्ट बनी है उनकी संख्या कितनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---संख्या तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह आदेश दे दिया गया है कि ऐसे पटवारियों की तहसीलवार लिस्ट बना लें।

श्री राजवंशी---कब तक उनकी नियुक्ति हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो वेकेन्सीज हैं उनके लिये आर्डर यह है कि उनमें आल्टरनेटिवली नियुक्तियां होंगी यानी जो लेखपाल स्कूल से पास नये रेक्रूट निकलेंगे एक उनमें से लिया जायगा और जो पुराने लेखपाल हैं जिनका काम अच्छा है और जो इस लायक हैं, एक उनमें से लिया जायगा, इस तरह के आर्डर्स हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पटवारी अच्छे थे और उनका नाम इस सूची में नहीं था तो क्या जिलाधीशों को इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि उनका नाम दोबारा सूची में रक्खा जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नियम के अनुसार ४५ साल से जिनकी उम्र कम होगी और जिनका काम अच्छा होगा उन सब का नाम रेकार्ड में आ गया होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि जिनको काम पर लेना चाहिये उनको काम पर न लेकर उनको काम पर लिया गया जिनको कि काम पर न लेना चाहिये था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

कानपुर-डेरापुर बस सर्विस बन्द रहने से असुविधा

*२०---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या यातायात मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कानपुर से डेरापुर आने-जाने वाली बस सन् ५५ में कितने महीने और क्यों बन्द रही ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कानपुर से डेरापुर आने-जाने वाली बस जून और सितम्बर, १९५५ के दर्मियान निम्नलिखित तारीखों में बन्द रही :---

१८ और १९ जून को,
१ जुलाई से १५ जुलाई तक,
२ अगस्त से ३१ अगस्त तक,
१ सितम्बर को,
४ सितम्बर से ९ सितम्बर तक, और
१४ सितम्बर से १६ सितम्बर, १९५५ तक।

कारण यह था कि अकबरपुर से डेरापुर जाने वाली सड़क की मरम्मत हो रही थी। इसी सड़क पर कई पुलियों की भी मरम्मत हो रही थी।

*२१---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या बस बन्द होने की सूचना जनता को पहिले दी गई थी ? अगर हां, तो किस प्रकार ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। चुन्नीगंज, अकबरपुर और डेरापुर के बस स्टेशनों के नोटिस बोर्डों पर इस आशय की सूचना लगा दी गई थी।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि डेरापुर और अकबरपुर के बीच में बस स्टेशन्स हैं जहां से जनता देहरापुर और रूरा आती जाती है वहां बस स्टेशन के बोर्डों में यह सूचना नहीं लगाई गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां पर नोटिस बोर्ड हैं उन्हीं पर यह सूचना लगाई गई थी ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि लगातार डेढ़ महीने से जो बस बन्द रही है तो जनता की जानकारी के लिये उसकी सूचना समाचार-पत्रों में दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि लगातार डेढ़ महीना नहीं था जो तारीखें बतलायीं उसमें ऐसा हुआ लेकिन जहां-जहां बस स्टेशन पर नोटिस बोर्ड थे वहां यह सूचना दे दी गई थी।

अतिवृष्टि के कारण पश्चिमी जिलों में फसल को हानि

*२२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अतिवृष्टि के कारण पश्चिमी जिलों में से किस-किस में फसल नष्ट हो चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अतिवृष्टि के कारण पश्चिमी जिलों में से मेरठ, सहारनपुर, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुजफ्फरनगर, एटा, फर्रुखाबाद तथा रामपुर में खरीफ की फसल को हानि पहुंचने की सूचना सरकार को मिली है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन जिलों को सरकार द्वारा किस रूप में सहायता दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो बतला दिया गया है कि ग्रेटुटस रिलीफ दी गयी, तकावी दी गयी, मालगुजारी माफ की गयी और जहां पर काम की जरूरत थी वहां पर काम पर ले गये ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इन जिलों में कपास, मक्का और ज्वार की फसलों की जिन्स बिल्कुल नष्ट हो गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, कहीं-कहीं नष्ट हो गयी है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो फसलें बिल्कुल नष्ट हो गयी हैं उनकी महसूल आबपाशी और लगान माफ करने की कृपा की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आबपाशी का तो शायद खरीफ में प्रश्न उठता नहीं, लेकिन मालगुजारी, जहां ज्यादा नुकसान हुआ है, जरूर माफ की जायगी ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले से सरकारी और गैर-सरकारी सूत्रों से इस तरह की कोई सूचना सरकार को मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस लिस्ट में बिजनौर जिले का नाम नहीं है ।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बाढ़ के कारण मवेशी के चारे का, खरीफ की फसल में बहुत नुकसान हो गया है, उसकी व्यवस्था बाहर से लाकर करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां-जहां जरूरत है और मांग होगी वहां इन्तजाम किया जायगा।

बेलहर, जिला बस्ती में गोसदन खोलने का सुझाव

*२३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार जिलास्तर पर बेलहर (जिला बस्ती) के सरकारी जंगल में कोई गोसदन खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हर जिले में एक-एक गोसदन खोलने का प्रस्ताव है। यदि उचित भूमि बेलहर (जिला बस्ती) के समीप प्राप्त हो गई तो उक्त स्थान में गोसदन खोलने के लिये विचार किया जायगा।

श्री राजाराम शर्मा—बेलहर जंगल में पर्याप्त भूमि है क्या इसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई जांच-पड़ताल हुई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री हुकुमसिंह—जांच-पड़ताल अब करने वाले हैं।

*२४-२६—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[१९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में खलीलाबाद, मेंहदावल तथा मुखलिसपुर में बस स्टेशनों व मुसाफिरखानों के निर्माण का विचार

*२७—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार जिला बस्ती में खलीलाबाद, मेंहदावल तथा मुखलिसपुर पर रोडवेज बस स्टेशन की इमारत तथा मुसाफिरों के ठहरने के लिये इमारत बनवाने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—खलीलाबाद, मेंहदावल तथा मुखलिसपुर में रोडवेज बस स्टेशन तथा मुसाफिरों के ठहरने के लिये इमारत बनवाने के लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर अधिकार मिल जाने पर इमारत बनाने का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद, मुखलिसपुर और मेंहदावल में जमीन प्राप्त करने के लिये किस तिथि को लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अधीन आवेदन-पत्र दिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, लैंड अक्वायर करने के लिये कार्यवाही हो रही है।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तिथि को आवेदन-पत्र जमीन प्राप्त करने के लिये दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये।

पुरुषार्थी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, चन्दौसी को भूमि देने के लिये आदेश

*२८—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौसी, जिला मुरादाबाद में कुल कितने मकान पुरुषार्थियों के लिये बनाये गये थे और अब तक उनमें से कितने किराये पर उठ चुके हैं?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। ५० एक कमरे वाले मकान ऐसी जगह पर जो शरणार्थियों के प्रतिनिधियों से पूछ-ताछ के बाद नियत हुई, बनाये गये जिनमें से इस समय केवल २५ मकान ही भरे हैं। पर शरणार्थियों ने इन सब ५० मकानों को अपनी पाकिस्तान में छोड़ी गयी अचल सम्पत्ति के मुआवजे में लेना मंजूर कर लिया है।

*२९—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पुरुषार्थियों ने कोई हाउसिंग पुरुषार्थी कमेटी बनाई थी? यदि हां, तो कब?

श्री हुकुमसिंह—अगस्त, १९५२ में पुरुषार्थी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चन्दौसी, नाम की एक सोसाइटी रजिस्टर की गयी।

*३०—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उक्त कमेटी ने स्वयं मकान बनाने के लिये भूमि चाही थी?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, सोसाइटी, नगर के बीचों-बीच अस्पताल और थाने के समीप एक बहुमूल्य बगीचे को जिसमें सरस्वती वाटिका नाम की संस्था है और जिसमें काफी फल वाले दरख्त हैं, लेना चाहती रही है। इस भूमि के स्वामियों को इसके एक्वीजीशन में आपत्ति है और उन्होंने इसके अगले भाग में एक इमारत भी बनाई है। फिर भी जिलाधीश को आदेश दे दिया गया है कि सोसाइटी के लिये जल्द ही कोई भूमि प्राप्त करके उनको दी जावे।

सरकारी कार्य में ली गयी भूमि को वापसी पर भूमिहीनों को देने के लिये राजाज्ञा

*३१—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने कोई G.O. माल विभाग से जुलाई, १९५५ के महीने में जारी किया है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि सरकारी काम में लाने के लिये जो जमीन acquire की गई हो और वह जमीन जब derequisition की जाय तो उसको दी जाय जिसके पास ३० एकड़ से कम जमीन हो या जो भूमिहीन हो, यदि हां, तो क्या सरकार उस G. O. की एक प्रति मेज पर रखेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जुलाई, १९५५ में जो आदेश जारी किया गया था उसकी प्रति मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१–७२ पर)

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के खिलाफ कोई काम हुआ है उस भूमि के वापसी के बारे में तो उसको दुरुस्त करने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगर माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे कि इस आदेश के खिलाफ कोई काम किया गया है तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के अनुसार रिक्वीजीशन की गई भूमि किन-किन व्यक्तियों को दी जा सकेगी?

नो ट—तारांकित प्रश्न २८–३० श्री जगदीश प्रसाद ने पूछे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--जो ग्राडंर है जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में, जिन-जिन को दी जा सकेगी उसी के अनुसार दी जायगी ।

बहराइच जिले में सरकारी बस सर्विस

*३२--**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बहराइच में कौन-कौन से जनमार्गों पर सरकारी (प्रादेशिक) रोडवेज की बसें चलती हैं ?

श्री चरणसिंह--बहराइच जिले में बहराइच-इकौना, बलरामपुर-गोंडा जनमार्गों पर (प्रादेशिक) रोडवेज की बसें चलती हैं ।

*३३--**श्री बसन्तलाल शर्मा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार का विचार बहराइच-भिनगा तथा बहराइच-जरवल रोड पर भी रोडवेज की बसें चलाने का है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। कारण यह है कि इन मार्गों की दशा बहुत खराब है और बीच में पड़ने वाली नदियों पर पुल की व्यवस्था नहीं है ।

गोचर भूमि छोड़ने के लिये नियम

*३४--**श्री शिवपूजनराय** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि हर ग्राम में गोचर भूमि छोड़े जाने के संबंध में क्या नियम हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस सम्बन्ध में जमींदारी-विनाश व भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५ (क) के अन्तर्गत प्रसारित शासकीय आदेशों का उल्लेख गांव समाज मैनुअल के ३७ वें परिच्छेद में किया हुआ है । उसके अनुसार प्रत्येक गांव की गैर मजरुआ भूमि का एक निश्चित भाग योजना के अनुसार उपयोग के लिये, जिसमें गोचर भूमि भी शामिल है, सुरक्षित कर दिया गया है ।

श्री शिवपूजनराय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस गांव में गैर-मजरुआ भूमि नहीं है वहां गोचर भूमि छोड़ने की कौन-सी व्यवस्था है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिन गांवों में गैर-मजरुआ भूमि ज्यादा है उसमें १० वां हिस्सा पूरी का गैर मजरुआ ही रखी जाती है । बाकी मजरुआ हो सकती है, १० वां हिस्सा कुल भूमि का गैर-मजरुआ हो सकती है, ऐसा नियम है ।

श्री शिवपूजनराय--जिस गांव में गैर-मजरुआ भूमि नहीं है, वहां के लिये गोचर भूमि के लिये कौन सी व्यवस्था है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिसमें गैर मजरुआ नहीं है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता।

गाजीपुर जिले में टोंस नदी की बाढ़ से पीड़ित ग्रामों को सहायता

*३५--**श्री शिवपूजनराय**--क्या सरकार बतायेगी कि जिला गाजीपुर में टोंस नदी की बाढ़ से कितने गांव पीड़ित हुये और उन्हें कौन-कौन सी सहायता सरकार से मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिला गाजीपुर में टोंस नदी की बाढ़ से कुल ५४ गांव क्षतिग्रस्त हुए। इन गांवों को निम्नलिखित सहायता दी गई:--

	रु०
१--अहेतुक सहायता (अनुदान)	९,५००
२--तकावी जो बांटी गई (बिला सूद)	७०,०००
३--गिरे हुये घरों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिये दिया गया अनुदान ..	९५५

श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने घरों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के लिये ६५५ रुपये की धनराशि दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मकानों की संख्या मेरे पास नहीं है।

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में दसगुना जमा करने वालों को सनदें

*३६--श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में सन् १६५१ ई० लगायत सन् १६५५ तक कितने खातों के दसगुना जमा हुये ?

श्री चरणसिंह--५,८४० खातों के दसगुना जमा हुए।

*३७--श्री शुकदेव प्रसाद (अनुपस्थित)--उनमें से कितने खातों की सनदें अब तक दी जा चुकी हैं और कितनें की बाकी हैं ? यदि बाकी हैं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--उपरोक्त सभी खातों की सनदें जारी की जा चुकी हैं, किसी खाते की सनद बाकी नहीं है, अन्तिम भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

बलिया जिले में आलू के शीतागार बनवाने के लिये मांग

*३८--श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया में आलू की फसल बड़े पैमाने पर होती है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां, बनारस कमिश्नरी में बलिया जिले का तृतीय स्थान है।

*३९--श्री राधामोहन सिंह--क्या सरकार वहां के किसानों को सहायता देने के लिये आलू के शीतागार (Cold storage) निर्माण कराने का विचार रखती है जिससे कि आलू अधिक दिन दोष रहित रह सके ?

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं। सरकार ने आलू के लिये शीतागार (Cold storage) न तो कहीं निर्माण कराया है और न ऐसा करने का अभी विचार ही है।

श्री राधामोहन सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगर किसानों का कोई कोआपरेटिव या निजी तरीके पर कोई कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराना चाहे तो उसमें सरकार क्या सहायता देगी ?

श्री हुकुमसिंह--जो उचित सहायता होगी वह दी जायगी।

श्री राधामोहन सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए कोई सस्ता कोल्ड स्टोरेज का स्कीम, बिजली वाला नहीं, बल्कि और कोई तरीका जिसमें कि आलू रखा जाय और खराब न हो, इस प्रकार का कोई स्कीम बनाया गया है, अगर हां, तो वह क्या स्कीम है ?

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं।

शेरवा, जिला मिर्जापुर में पशु सेवा केन्द्र खोलने की व्यवस्था

*४०--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या यह सही है कि चुनार तहसील (मिर्जापुर) के शेरवा और जमालपुर ग्राम में प्रारम्भिक पशु-चिकित्सालय कब तक स्थापित होगा जिसके लिये नियत अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण भी कराया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह---मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील में शेरवा नामक स्थान में एक पशु सेवा केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। स्टाक मैन की नियुक्ति उस समय की जा सकेगी जब नये प्रशिक्षित स्टाकमैन आगामी वर्ष अप्रैल, मई मास में नियुक्ति के लिये उपलब्ध होंगे। जमालपुर ग्राम में पशु सेवा केन्द्र खोलना उचित नहीं समझा गया है क्योंकि इस स्थान से केवल ४ मील की दूरी पर अदालहट नामक स्थान पर ऐसा ही एक केन्द्र उपस्थित है जो कि जमालपुर की पशु संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या मंत्री जी को पता है कि बाढ़ क्षेत्रीय ५० ग्रामों का जमालपुर ग्राम एक केन्द्र स्थान है, अतः वहां पर वह खोलना आवश्यक समझते हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इस सम्बन्ध में मैंने जबाव दे दिया।

तहसील जमानियां, जिला गाजीपुर में जमींदारों का बकाया मुआवजा

*४१---**श्री भोलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर तहसील जमानियां में कितने जमींदारों को मुआवजा दिया गया और कितने अभी तक बाकी हैं ? अगर बाकी हैं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसील जमानियां में कुल जमींदार ८४,७७४ थे। इनमें से ३३,०२२ का मुआवजा शून्य (nil) है, बाकी जमींदारों में से ८,५८७ जमींदारों को मुआवजा दिया जा चुका है। ४३,१६५ जमींदारो को मुआवजा देना बाकी है, जिसका कारण निम्नलिखित है:

(१) शेरपुर, रेवतीपुर और गहमर ताल्लुकों के मुआवजे के नक्शे फिर से जांच कराने पड़े क्योंकि वहां के कागजातदेही गलत थे। इन इलाकों के मुआवजे के नक्शे लेकर ११,८५३ जमींदारो के मुआवजे के नक्शे अन्तिम (final) नहीं हो सके।

(२) ३१,३१२ जमींदार जिनके मुआवजे के नक्शे अन्तिम (final) हो गये हैं, उनमें से ज्यादातर ५० रु० से कम मुआवजा पाने वाले जमींदार हैं जो अभी तक मुआवजा लेने तहसील में हाजिर नहीं हुये हैं।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जमींदारों को ५० से कम मुआवजा मिलना है और वह नहीं आ सकते हैं, उनको मनीआर्डर द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा तो कोई नियम नहीं है लेकिन अगर कोई चाहे और जिनका रुपया है और वह नहीं आ सकते हैं तो जो उनके मालगुजारी के ड्यूज हैं उनमें वह मुजरा हो सकता है।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि मुआवजा पाने के लिये जमींदारों को कई बार तहसील में जाना पड़ा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसको मनीआर्डर करने में क्या आपत्ति है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नियम में नहीं है इसलिये नहीं भेजा गया है और मनीआर्डर से भेजने में गड़बड़ी हो सकती थी और अगर दूसरे लोग ले लेते तो गड़बड़ी हो सकती थी और मुकद्दमा होता। मनीआर्डर को सही आदमी लेगा यह नहीं कहा जा सकता है। इसलिये नियम में न होने के कारण नहीं भेजा जा सकता है।

नोट---तारांकित प्रश्न ४१ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी नियम में ऐसा परिवर्तन करने के लिये तैयार हैं जिसमें छोटे जमींदारों को मनीआर्डर से भेजने में सुविधा हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने अर्ज कर दिया कि इसमें दिक्कत है और यह नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सुविधा है कि जिनका रुपया है और वह नहीं जा सकते हैं तो वह अगर चाहें तो उनका रुपया मालगुजारी के ड्यूज में मुजरा हो सकता है।

तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली के ग्राम-समाज

*४२--**श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली में कुल कितने ग्राम समाज इस समय हैं ?

श्री चरणसिंह--तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली में इस समय कुल ३६२ ग्राम समाज हैं।

मुरादाबाद जिले में कृषि योग्य खाली भूमि के उपयोग की आवश्यकता

*४३--**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार बतायेगी कि तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में कितनी कृषि योग्य भूमि खाली पड़ी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में ८१,५४८ एकड़ कृषि योग्य भूमि खाली पड़ी हुई है।

*४४--**श्री जगदीशप्रसाद**--क्या सरकार इस भूमि को उपयोग में लाने की कोई योजना बना रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कृषि योग्य खाली पड़ी हुई भूमि का योजना के अनुसार उपयोग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का गांव समाज मैनुअल के परिच्छेद ३७ में समावेश किया गया है, उसी के अनुसार इस भूमि का भी उपयोग किया जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार की भूमि उस तहसील में कुछ वन-विभाग के अन्तर्गत भी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, कुछ जंगल में है, उसमें पेड़ हैं, ऐसी कुछ भूमि है।

श्री जगदीशप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या उस भूमि में कालोनाइजेशन की कोई स्कीम बनाई गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी। मेरे खयाल में ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

बुन्देलखंड में मृत जानवरों को उठाने के लिये समुचित प्रबन्ध की मांग

*४५--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--५ सितम्बर, १९५५, के प्रश्न ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार को पता है कि जालौन जिला के अलावा बुंदेलखंड के अन्य जिलों में चर्मकारों द्वारा मरे हुये जानवरों का उठाना बराबर बन्द है ?

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं। जहां तक सरकार को मालूम है बुन्देलखंड के जिलों में बांदा, हमीरपुर, झांसी और जालौन में मरे हुये जानवरों का चर्मकारों द्वारा उठाया जाना आम तौर से बन्द नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---जहां कहीं भी जानवरों का उठाया जाना बन्द कर दिया गया है वहां पर सरकार उनको उठवाने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---जालौन में बन्द किया था। वहां एक फ्लेइंग पार्टी हमने मुकर्रर कर दी थी। फिर चमार भाइयों ने उठाना शुरू कर दिया।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई बिल पेश करने वाली है ?

श्री हुकुमसिंह---अभी तो इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*४६---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थानान्तरित किया गया।]

दोराहाट, जिला अल्मोड़ा, के मत्स्य जलाशय के संबंध में पूछताछ

*४७---श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दोराहाट, जिला अल्मोड़ा, में मत्स्य पालन के लिये कोई जलाशय बनाया गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी लागत पर ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां, दोराहाट, जिला अल्मोड़ा, में मत्स्य पालन के लिये दोराहाट पोखर का जीर्णोद्धार ७,००० रुपये की लागत पर मार्च, १९५४ से आरम्भ किया गया था।

*४८---श्री सीताराम शुक्ल---उक्त जलाशय का निर्माण किस अधिकारी की देखरेख में हुआ ?

श्री हुकुमसिंह---इस जलाशय का निर्माण कार्य मत्स्य क्रय-विक्रय पदाधिकारी बरेली तथा मत्स्य निरीक्षक, भीमताल की देखरेख में कराया गया।

*४९---श्री सीताराम शुक्ल---इस जलाशय में कितनी मछलियां हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इस जलाशय में अभी तक मछलियां नहीं डाली गई हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उस तालाब की मरम्मत करने के लिये किसी व्यक्ति ने सरकार से प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो किसने ?

श्री हुकुमसिंह---सरकार के कर्मचारियों ने खुद जरूरत महसूस की थी। किसी ने प्रार्थना नहीं की; इसकी इत्तला नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल---इस ताल की मरम्मत कब पूरी हुई और इसका निरीक्षण किसने किया ?

श्री हुकुमसिंह---प्रश्न ४८ के जवाब में निरीक्षण करने वालों के नाम दिये हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें अभी तक मछलियां क्यों नहीं डाली गयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह---अभी एक नदी से गूल बना करके पानी ले जाने का इन्तजाम किया जा रहा है। जब गूल मुकम्मिल हो जायगी तो मछलियां डाल दी जायंगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि उस इलाके के लोगों ने एक मत्स्य कुंड बनाया था, वह एक लाख रुपये का है और सरकार को इसलिये दिया है कि उसमें मछली रक्खे ?

श्री हुकुमसिंह---इसकी डिटेल मुझे इस वक्त नहीं मालूम है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस कुंड में वह कब तक मछलियां डालने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---जैसे ही गूलें तैयार हो जायंगी, वैसे ही ।

*५०---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---[८ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

तहसील निघासन, जिला खीरी, में जूट की पैदावार

*५१---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी, में सन् ५३ तथा ५४ में कितने-कितने एकड़ जूट की काश्त हुई ?

श्री हुकुमसिंह---तहसील निघासन में सन् १९५३-५४ में ५,२०० एकड़ और सन् १९५४-५५ में १०,००० एकड़ जूट की काश्त हुई थी ।

*५२---श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस तहसील में पूरे प्रदेश का कितने प्रतिशत जूट पैदा होता है ?

श्री हुकुमसिंह---तहसील निघासन में सन् १९५३-५४ में पूरे प्रदेश का १९.१ प्रतिशत और सन् १९५४-५५ में लगभग २९.९ प्रतिशत जूट पैदा हुआ ।

*५३---श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार इस तहसील में जूट की पैदावार की तरक्की के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां ।

मेरठ जिले के माल विभाग में हरिजन कर्मचारी

*५४---श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले के माल विभाग में कुल कितने हरिजन कर्मचारी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मेरठ जिले के माल विभाग में ६४ हरिजन कर्मचारी हैं ।

श्री हरिसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुरक्षित स्थानों के अनुपात से कुल कितने कर्मचारी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अनुपात से तो ज्यादा होने चाहिये, लेकिन मेरठ जिले में सन् ५० से कोई परमानेंट अफसर नहीं रखा गया । कारण यह हुआ कि वहां सेटिलमेंट के पुराने एम्पलाईज बहुत थे, तो एक आर्डर यह गया था कि एक्स-सेटिलमेंट अफसर जो हैं उनको पहले अबसार्ब किया जाय, इसलिए नयी नियुक्तियां नहीं हुईं ।

श्री हरिसिंह---क्या सरकार सुरक्षित स्थानों के अनुपात से निकट भविष्य में पूर्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसे आर्डर्स जारी कर दिये गये हैं कि हरिजनों को जहां तक हो सके उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार लिया जाय, बल्कि ज्यादा भी लिया जाय तो अच्छा है ।

ग्राम प्रधान मालीपुर द्वारा हाकिम तहसील अकबरपुर को प्रतिवेदित मामले

*५५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माल मंत्री बतलायेंगे कि मालीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद, के ग्राम प्रधान ने १९५३-५४ व १९५४-५५ में कितने मामलों की रिपोर्ट हाकिम तहसील अकबरपुर को की जिनमें यह शिकायत थी कि विभिन्न व्यक्तियों ने ग्राम समाज की जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५३-५४ व १९५४-५५ में ग्राम प्रधान, मालीपुर, ने केवल ४ मामलों की रिपोर्ट हाकिम तहसील अकबरपुर को की।

*५६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या कारण है कि उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह रिपोर्ट मिलने पर हाकिम तहसील अकबरपुर ने इन मामलों की जांच की और जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ के नियम ११५ (डी) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ४ मुकदमें कायम किये जिनमें से २ का निर्णय ग्राम समाज के पक्ष में हो गया है और बाकी दो में अभी कानूनी कार्यवाही (legal proceedings) हो रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय माल मंत्री को मालूम है कि नियम ११५ (डी) में एक एग्जीक्यूटिव आर्डर दिया जा सकता है और जब एस० डी० एम० ने खुद मौके पर जांच की तो उसके बाद फिर मुकदमा क्यों कायम किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुकदमा करने की जरूरत पड़ ही जाती है क्योंकि दूसरे लोग आब्जेक्शन्स करते हैं, उन आब्जेक्शन्स को सुनना पड़ता है, गवाहियां लेनी पड़ती हैं, इसलिये मुकदमा हो जाता है।

बनारस जिले की भदोही तहसील में 'घोड़ा रोशन' घास का बढ़ाव

*५७—श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि भदोही तहसील जिला बनारस में कई स्थानों में घोड़ा रोशन (एक प्रकार के पौधे) पाये जाते हैं जो खेत को बरबाद कर देते हैं ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। उक्त स्थान में "घोड़ा रोशन" घास के फैलने की सूचना शासन को मिली है। परन्तु इस घास से फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती।

अलीगढ़ जिले के पशु चिकित्सालय

*५८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या इन सब चिकित्सालयों में वेटेरेनरी असिस्टेंट सर्जन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह—अलीगढ़ जिले में ६ पशु-चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में से ५ में पशु-चिकित्सक उपलब्ध हैं लेकिन इस समय एक पशु-चिकित्सक रोगग्रस्त होने के कारण छुट्टी पर है। केवल एक स्थान (छर्रा में) पशु-चिकित्सकों की कमी के कारण, अब तक कोई पशु-चिकित्सक नहीं भेजा जा सका।

*५९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पशु चिकित्सालयों में से देहात में कितने और किस-किस स्थान पर खोले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इन पशु चिकित्सालयों में से देहात में ३ पशु चिकित्सालय इगलास खैर और छर्रा में स्थित हैं।

*६०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में अलीगढ़ जिले में इन अस्पतालों पर कितना व्यय हुआ और विदेशी दवा तथा देशी दवा पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह—१९५३-५४ में अलीगढ़ जिले के ६ चिकित्सालयों पर कुल ५५,३२३ रु० १५ आना व्यय हुये। इसमें से केवल ३,१८५ रु० ७ आना की धनराशि विदेशी दवाओं पर और २,४८० रु० ५ आ० देशी दवाओं पर व्यय हुये।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अतरौली तहसील में कोई चिकित्सालय है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह—.सम्भवतः नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि छर्रा और खैर टाउन एरिया भी देहात में शामिल कर लिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आगामी योजना में अलीगढ़ जिले की किस-किस तहसील में कितने चिकित्सालय और खोले जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह—अभी यह निश्चित नहीं है।

आजमगढ़ के थाना पवई के थानेदार द्वारा लाठी, भालों से लैस गुंडों के साथ सोशलिस्ट जलूस पर आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं, उनमें श्री राम नारायण त्रिपाठी का पहला है। वह इस प्रकार है कि —

"तारीख २७ नवम्बर, १९५५, को आजमगढ़ जिले के थाना पवई के थानेदार द्वारा लाठी, भाले से लैस १५० गुंडों द्वारा थाने के पास से गुजरने वाले सोशलिस्ट पार्टी के जूलूस को जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, श्री राजनारायण एम० एल० ए०, कर रहे थे, भंग कराने के दुस्साहस से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद विवाद करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह उसका आशय है। मुझे यह भी सूचना दी गयी है कि इस विषय में श्री राज-नारायण जी ने माननीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। तो मैं इसके पहले कि इसके ऊपर कोई निर्णय दूं मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्री जी के पास इस तरह का कोई पत्र आया और उस पर क्या कार्यवाही हुई।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि राजनारायण जी ने मेरे पास इस सम्बन्ध में एक पत्र भेजा और मैंने उसको इन्क्वायरी के लिये जिले में भेज दिया है। अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं आया है। टेलिफोन भी किया था लेकिन मुझे आशा है कि एक-आध रोज में उत्तर आ जायगा। तब मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

मैं आपकी इजाजत से एक बात निवेदन कर दूं कि राजनारायण जी ने उसमें जो जिक्र किया है और इस में कुछ अन्तर है। उसमें तो यह है कि पुलिस अकर्मण्यता से देखती रही है और इसमें उस तरह की बात नहीं है। इसमें वह कहते हैं कि पुलिस ने खुद किया। तो जिस रूप में यह सूचना मेरे पास आयेगी मैं वह सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं इस प्रश्न को आज नहीं लेता हूं, बल्कि कल लूंगा और कल ही इस पर निर्णय दूंगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पत्र लिखा गया है उसके निचले हिस्से में लिखा है कि जलूस का नेतृत्व दो कानिस्टेबिल कर रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको पढ़ा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---कल ही इस विषय में बातचीत होगी ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय मुख्य मंत्री मेरे पत्र को, श्रीमन्, जरा ध्यान से पढ़ लिया करें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---श्री झारखंडे राय जी का कामरोको प्रस्ताव भी इसी सम्बन्ध में है । वह भी कल लिया जायगा। यदि इन दोनों में कोई अन्तर हुआ तो दोनों पर विचार कर के कल ही निर्णय दूंगा ।

जौनपुर में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित मीटिंग के प्रचारार्थ लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का जौनपुर के सम्बन्ध में है जिसमें वह कहते हैं कि जौनपुर में जनसंघ को, सिनेमा घरों को और दूकानदारों को लाउड स्पीकर की खुली छूट होने पर भी सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित मीटिंग के प्रचारार्थ स्थानीय कर्मचारियों ने जिस ढंग पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई है और जिस ढंग पर गत २९ नवम्बर तथा १ दिसम्बर, ५५ की मीटिंग को असफल करने का प्रयास स्थानीय कर्मचारियों द्वारा हुआ है उसने नागरिक अधिकारों तथा जनतंत्र की हत्या कर दी है ।

उस दमनात्मक कार्यवाही ने जो आवश्यक विषम तथा महत्वपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न कर दी है उस के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है। यह इस प्रकार का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि इस विषय में कोई जानकारी मुख्य मंत्री जी देंगे ? क्या इस विषय में भी उन्होंने कोई जानकारी लिखकर मंगाई है या बिना लिखे उनके पास मौजूद है ?

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझको इसकी बिना लिखे ही जानकारी है। जनसंघ, सिनेमाघरों को लाउड स्पीकर की खुली छूट है, ऐसी बात नहीं है। जो १४४ का आर्डर है उसके थोड़े बहुत लफ्ज मैं पढ़ देना चाहता हूं :---

"That no one shall make use of loud speakers, amplifires and other electrically and mechanically operated means of producing loud noises whether stationery or fitted in motor or other moving vehicle within the limits of Jaunpur Municipality unless otherwise permitted by me"

चाहे वह सिनेमा घर हो या कोई जनसंघ हो, कोई भी हो, जहां जिस किसी ने लाउड स्पीकर से काम लिया है वह इजाजत से काम लिया है ।

जहां तक दूसरी बात २९ तारीख और १ दिसम्बर की मीटिंग की बात है, इसके सम्बन्ध में कोई पोलिटिकल बात नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी को २५ तारीख को लाउड स्पीकर से मीटिंग करने की इजाजत टाउन हाल में दी गयी। वह मीटिंग न हुई क्योंकि उस मीटिंग में कोई नहीं आया। तो फिर २८ तारीख को लाउड स्पीकर से मीटिंग करने की इजाजत दी गयी। २९ तारीख को इजाजत नहीं दी गयी। उसकी वजह थी और वह यह थी कि पार्टी यह चाहती थी कि उनको हनुमान घाट पर मीटिंग करने की इजाजत दी जाय ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

उसमें दो तीन दिक्कतें थीं। उस दिन पूर्णिमा का दिन था । गोमती के किनारे बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। हनुमान घाट पर मंदिर के प्रबन्धक ने रामलीला का आयोजन किया था और उसने यह एतराज किया था कि वे नहीं चाहते कि वहां पर किसी पब्लिक मीटिंग के किये जाने की इजाजत दी जाय। उस दिन गुरु नानक का जन्म दिन भी था। इस प्रकार से कई बातें थीं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक था तथा लोगों को लाउड स्पीकर के साथ मीटिंग किये जाने पर एतराज था। दूसरी बात यह है कि जौनपुर शहर में कोशिश करने पर भी माननीय राजनारायण जी को लाउड स्पीकर नहीं मिल सका । १ तारीख को बनारस से लाने की बात थीं। लेकिन वह बनारस से भी न आ सका और न जौनपुर में ही मिल सका। इसलिये इसमें पार्टी की कोई बात नहीं थी। हनुमान घाट को छोड़ कर वे जौनपुर में कहीं भी लाउड स्पीकर के साथ मीटिंग कर सकते थे। ऐसी बात नहीं थी कि किसी खास पार्टी की वजह से जौनपुर भर में कहीं भी मीटिंग न करने दी जाय। केवल हनुमान घाट पर रोक थी।

श्री अध्यक्ष---यह जो मालूमात दिये गये हैं उनसे तो आमतौर पर यही मालूम होता है कि आपने (श्री राजनारायण से) जो बात कही है वह ग़लत है।

श्री राजनारायण---मुझे श्रीमन् से बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को जो ख़बर स्थानीय अधिकारी देते हैं वह असत्य होती है....

श्री अध्यक्ष---यह ज्यादा अच्छा होगा कि मुख्य मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद आप जो भी सत्य समझते हैं मुझे लिख कर दें। वैसे मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट से कोई ऐसी बात मुझको नहीं दिखाई देती। स्थानीय अधिकारियों ने जो कुछ किया उसका सम्बन्ध सरकार की नीति से किस प्रकार है, वह इससे मालूम नहीं होता। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को इसलिये तकलीफ दी कि वे उसके बारे में पूरे हालात पर रोशनी डाल दें ताकि उसके बारे में यह तय किया जा सके कि इसमें कामरोको प्रस्ताव का प्रश्न उठता भी है या नहीं। स्टेटमेंट को देख कर मैं इसके उपस्थित किये जाने की अनुमति देना उचित नहीं समझता।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी सौजन्य का दुरुपयोग कर के.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस स्टेटमेंट के बाद आपको जो कुछ कहना है उसे पहले मेरे पास लिख कर भेज दें। उन फैक्ट्स के आधार पर मैं देखूंगा कि यह प्रश्न उठता है या नहीं, तभी आप कोई प्रश्न उठा सकते हैं। स्टेटमेंट के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह प्रश्न अनिश्चित है और इसका सरकार की आम नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका संबंध स्थानीय शासकों से है, इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---तो, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे पास जो फैक्ट्स हैं उसको सुनने के बाद ही आप कोई रूलिंग देंगे ?

श्री अध्यक्ष---जिन शब्दों में यह कामरोको प्रस्ताव है, उसके ऊपर तो मैं फैसला दे चुका हूं कि कामरोको प्रस्ताव में जिन फैक्ट्स को बताया गया है और उसके बारे में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया है उसको सुनने के बाद मैं यह समझता हूं कि इस कामरोको प्रस्ताव का विषय अनिश्चित है। अब आप जो फैक्ट्स देंगे और कोई दूसरे प्रकार का कामरोको प्रस्ताव उस पर देंगे तो मैं उसको देख लूंगा ।

कतिपय चीनी मिलों को विलम्ब से नीलाम करने के फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री जगन्नाथमल्ल जी ने एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार का दिया है—

"पड़रौना, कठकुइयां और खड्डा चीनी मिलों को अनावश्यक विलम्ब कर के नीलाम करने तथा आथोराइज्ड़ कन्ट्रोलर को बिलकुल मिल के चलने के समय नियुक्त कराने के कारण चीनी उत्पादन को कम से कम एक लाख मन की क्षति पहुंचेगी.....

इत्यादि इसमें दिया हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस आथोराइज्ड़ कन्ट्रोलर को नियुक्त करने का कार्य यह सरकार करती है अथवा केन्द्रीय सरकार।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—केन्द्रीय सरकार करती है।

श्री अध्यक्ष—क्योंकि इस कामरोको प्रस्ताव का संबंध केन्द्रीय सरकार से है इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक नीलामी का प्रश्न है, उसका संबंध बिलकुल इसी सरकार से है और इस मामले में नीलाम हुआ है। आथोराइज्ड़ कंट्रोलर तो बाद को नियुक्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आपने दोनों प्रश्नों को एक ही में मिला दिया। चूंकि कामरोको प्रस्ताव केवल एक ही निश्चित विषय पर होता है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यदि आप केवल नीलामी के प्रश्न के बारे में कामरोको प्रस्ताव देते तो उसको दूसरी प्रकार से देखा जा सकता था।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, सिफारिश तो आथोराइज्ड़ कन्ट्रोलर की यही सरकार करती है।

श्री अध्यक्ष—सलाह लेना दूसरी बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो केन्द्रीय सरकार की ही है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, एक निवेदन इस सम्बन्ध में रखना है। ऐसा प्रश्न इस सदन में कई बार आ चुका है और सरकार की ओर से स्वीकार किया जा चुका है कि ऐसी सिफारिश यहां से की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी सिफारिशों को कद्र करती है और वहां की सरकार ने इस सरकार की सिफारिश पर किया है, ऐसी अवस्था में इस को निश्चित मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो नहीं, यह किसी तरह से नहीं आ सकता। जब निश्चित करने वाली केन्द्रीय सरकार है, चाहे कनसलटेशन किसी से भी कुछ हो, वह तो गुप्त रहता है। यह सरकार ही कह सकती है कि हमने क्या सिफारिश की है पर उसको बताने से उसे इन्कार है और यह सदन भी उससे नहीं पूछ सकता। ऐसी अवस्था में जब उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो मैं केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर यहां बहस करने की इजाजत नहीं दूंगा।

डलमऊ, जिला रायबरेली में कार्तिकी मेले के अवसर पर एक छात्र के पुलिस द्वारा पीटे जाने के फलस्वरूप गंभीर परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री रामसुन्दर पांडेय ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है कि "रायबरेली जिले के डिप्टी सुपरिन्टेडेंट पुलिस के कार्त्तिकी पूर्णमासी के मेले के अवसर पर (२९ नवम्बर, ५५) पर डलमऊ में गंगा की जलधारा पर अपने परिवार सहित जलविहार करते समय, वहां के एक छात्र द्वारा स्नान करते हुये, छींटे पड़ जाने के कारण उस छात्र को बुरी तरह से मारने और घायल करने के पश्चात् ताजीरात हिन्द की धारा ३०७ में गिरफ्तार करने के फलस्वरूप, रायबरेली नगर और जिले की जनता तथा विशेष कर समस्त छात्रों में जो गम्भीर एवं विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय में साथ ही जो उन्होंने मेरे पास अखबार के कटिंग भेजे हैं उनसे पता चलता है कि जिलाधीश ने यह कहा कि वह उसकी उचित जांच करेंगे और उसके बाद काफी संख्या में दुकानें खुल गयीं और नगर में शांति का वातावरण पुनः स्थापित हो गया। तो जब अखबार की कटिंग से स्पष्ट है कि अब वहां शांति स्थापित हो गई है और जिस गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये कामरोको प्रस्ताव लाया गया है वह परिस्थिति अब वहां बाकी नहीं है। यह बात कि वहां ऐसी परिस्थिति अब भी है वह कटिंग जो दिया गया है उस के विरुद्ध पड़ती है। इसलिये मैं इसको भी अनिश्चित समझ कर इस की इजाजत नहीं देता हूं।

ग्राम सभाओं के चुनाव संबंधी अनियमितताओं के कारण संघर्षपूर्ण परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री रामसुन्दर पांडेय का एक कामरोको प्रस्ताव और आया है। वह यह है कि "यह सदन प्रदेश भर में हो रहे ग्राम सभाओं के चुनावों में चुनाव अफसरों के द्वारा बरती जाने वाली गम्भीर अनियमितताओं विशेषकर रायबरेली, हरदोई, आदि जिलों में समय रहते हुये भी नामजदगी पर्चे न लेने आदि के कार्यों से उत्पन्न ग्रामों में संघर्षपूर्ण परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता, चाहे एलेक्शन पेटीशन का यह विषय भले ही हो जाय। इसे भी अवैध करार देता हूं।

तराई क्षेत्र में गन्ने के दाम कम किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री नारायणदत्त तिवारी का भी एक कामरोको प्रस्ताव है जो इस प्रकार है कि "यह सदन प्रदेशीय सरकार की सिफारिशों पर नैनीताल तथा देहरादून जिलों के तराई क्षेत्र में गन्ने के दाम दो आने प्रति मन कम किये जाने के निश्चय से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

[श्री अध्यक्ष]

इससे स्वयं ही यह स्पष्ट है कि वह खुद इस बात को कबूल करते हैं कि दाम केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है और उनका कहना यह है कि वह प्रदेशीय सरकार की सिफारिश पर दाम निश्चित करती है लेकिन निश्चित करने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को ही है, इसलिये केन्द्रीय सरकार के किसी निश्चय के ऊपर यहां कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसे भी मैं अवैध करार देता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि शुगरकेन बोर्ड के सम्मुख यह सवाल फिर लाया जा सकेगा और उन्होंने मेरे एक पूरक प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि शुगरकेन बोर्ड को इस तरह की राय दी जायगी, इसलिये उनके राय देने पर जो स्थिति अब पैदा हो गई है तो यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन गया है।

श्री अध्यक्ष---आपके कामरोको प्रस्ताव में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, आप तो कुछ गोल सी बात कह रहे हैं कि आश्वासन दिया था और परिस्थिति पैदा हो गई। यह स्पष्ट नहीं है और न यह चीज कामरोको प्रस्ताव में स्पष्ट होती है।

कार्यसूची में छपे हुए कार्यक्रम में परिवर्तन पर आपत्ति

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, आज जो यह कार्य सूची दी गई है उसमें आप देखेंगे कि एक परिवर्तन इस प्रकार किया गया है कि जो पहले कार्यसूची २५ तारीख के दिन हमारे सामने प्रस्तुत की गयी थी उसमें जो अन्त में विषय निर्धारित किये गये थे उससे यह बदल दिया गया है और आज आठ बजे प्रातःकाल हमें यह मालूम हुआ कि हमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड निर्वाचन विधेयक पर और बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक पर विचार करना है। कई बार आपने स्वयं इस सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि माननीय सदस्यों को समय से सूचना मिल जानी चाहिये कि कार्यसूची में कौन, कौन से विषय आयेंगे और जहां तक हो सके कार्यसूची में परिवर्तन नहीं होने चाहिये ताकि सदस्य यहां पर तैयार हो कर आ सकें।

श्री अध्यक्ष---आप का मतलब २१ तारीख की कार्यसूची से होगा। २५ तारीख की कार्यसूची से नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---२१ की कार्यसूची में माल मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जौनसार बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पर विचार किया जाय, विनियोग लेखे के बारे में और जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के बारे में और फिर वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर विधेयक पर विचार किया जायगा। तो विनियोग लेखे के बारे में मैंने उस दिन कह दिया था कि उसके सम्बन्ध में लेखा समिति के सभापति मुझसे बातें कर लें और वित्त मंत्री मुझसे बात कर लें कि इस विषय में विवाद हो सकता है या नहीं तब मैं फैसला दूंगा। मुझसे उनसे बातें नहीं हो सकीं और समिति के सभापति जी मुझसे नहीं मिले। तो ऐसी अवस्था में उसका अन्त में जाना स्वाभाविक है। मैं पहले डाल सकता था यदि मैं निर्णय कर देता कि विवाद होना चाहिये और बातें कर लेता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो अभी आपने यह कहा कि वित्त मंत्री और सभापति पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से बातचीत करने के बाद निर्णय करने के बारे में कि इस विषय पर सदन बहस करे या नहीं, तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भव है कि सभापति, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, और वित्त मंत्री दोनों कहीं इस राय के हों कि हमारा सदन जो है वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर अपना विचार जाहिर न कर पाये तो मैं आप से यह निवेदन करूं कि यह तो इस सदन के हक का एक तरह से अपहरण हुआ और यह परिपाटी रही है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी पर यह सदन बराबर विचार प्रकट करता रहा और ऐसी और जगहों पर भी परिपाटी है .....।

श्री अध्यक्ष---इसी पर तो निर्णय करना है कि परिपाटी है या नहीं। अगर मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि यहां पर विचार हो सकता है तो कोई सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसी परिपाटी है या नहीं। विचार होता है या नहीं, उसका अध्यक्ष ही निर्णय लेता है यही एक तरीका है। तो इस पर विवाद के लिये सदन में आना चाहिये या नहीं, इसके लिये मैं सभापति उक्त समिति तथा वित्त मन्त्री जी से मिलना चाहता था। मैंने यह कह दिया था कि मैं सदन को भी मौका दूंगा कि सदन भी इस विषय में अगर चाहता है सलाह देना तो मैं उस से सलाह ले लूंगा और उसके बाद निर्णय दे दूंगा लेकिन अगर वे लोग ही इस बात पर राजी हो जाते हैं कि होना चाहिये और ऐसी परिपाटी है और मुझे भी कोई आपत्ति न हो तो ऐसी अवस्था में सदन का समय लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा विषय यह था कि कार्यक्रम में विनियोग लेखा तो हुआ लेकिन बाकी कार्यक्रम जो उस रोज था "जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली और वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित करने पर कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर विधेयक पर विचार किया जाय" इत्यादि, उनके बजाय सरकार की तरफ से कार्यक्रम में अब यह प्रस्ताव आया है न्याय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विधेयक, १९५५, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। मैं समझता हूं कि मैंने इस बात की इजाजत दे दी थी उस रोज कि इसे सदन के सामने उपस्थित कर दिया जाय और चूंकि यह विधान परिषद द्वारा पारित हो चुका था इसलिये मैंने बीच में जबकि एस० आर० सी० की रिपोर्ट पर विवाद हो रहा था, इस बात का मौका दिया था कि इसको पेश कर दिया जाय। मैं उचित यह समझता हूं कि उसी रोज यह भी कह दिया जाता तो अच्छा होता कि अगले दिन यह प्रथम दिन लिया जायगा लेकिन उस रोज नोटिस नहीं दिया गया। लिहाजा सदन का यह अन्दाजा लगाना, कि एजेंडे में पहले से जो कार्यक्रम रक्खा हुआ है और जो विषय पहले है उन्हीं विषय को आज भी लिया जायगा, उचित ही है। मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी इस विषय में कुछ कहेंगे कि इसे आज ही लिया जाय या कल और अगर कल लिया जाय तो इसमें उनको क्या आपत्ति है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जिस क्रम में एजेंडे में चीजें रक्खी जाती हैं उनको साधारणतया बदलना अच्छा नहीं होता है और हम भी बदलना नहीं चाहते। यों वित्त मंत्री जी का जो बिक्री कर (संशोधन) विधेयक है उसी को साधारण तौर पर लिया जाना चाहिये था, लेकिन कुछ जरूरी सरकारी काम से वित मंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ा, तो एजेंडे में जो और कार्य बहुत है उसमें यही उचित समझा गया कि सदन को इसके लेने में कोई तकलीफ नही होगी, क्योंकि कई दिन पहले यह पेश हो चुका है और कोई संशोधन भी इसमें पेश नहीं किया गया है। इसलिये हमने यह समझा कि सदन के सामने इसको लाने में माननीय सदस्यों को ज्यादा कष्ट नहीं होगा इसलिये इसको हमने आज यहां रक्खा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक को ही आज ले लिया जाय। अगर माननीय वित्त मंत्री जी आज उपस्थित नहीं हैं तो दूसरे मंत्रिगण उसे ले ही सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विधेयक को न्याय मंत्री कल ले सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—लेकिन गवर्नमेंट यह समझती है कि माननीय वित्त मंत्री का रहना आवश्यक है। अब यह देख लिया जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विधेयक कितना बड़ा है।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल का संबंध है, उसमें एक तरमीम है और वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो जगहें खाली होती हैं उनके लिये हम बाई-इलेक्शन नहीं कर सकते थे और उसकी वजह यह थी कि पुराने ऐक्ट में मुसलमानों के लिये रिजर्व सीट्स थीं, लेकिन सुप्रिम कोर्ट के आबजर्वेशंस और कुछ हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स की राय से यह तय हुआ है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स का क्लाज कांस्टीट्यूशन लागू होने के बाद लागू नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—मैं यह देखना चाहता हूं कि यह कितना बड़ा है। इसमें कुछ बहुत अहम बात तो है नहीं। ४,५ क्लाज का है। यह आपत्ति नियमानुसार तो ठहर नहीं सकती क्योंकि नोटिस हो चुका था। मैं सिर्फ सहूलियत के खयाल से यह बात कह रहा था कि अगर नोटिस पहले दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं देखता हूं कि यह भी कठिनाई है कि इस वक्त वित्त मंत्री के न होने के कारण गवर्नमेंट ने उचित समझा कि आज प्रथम स्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल को ही दिया जाय। और वह छोटा सा है। तो मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई माननीय सदस्यों को नहीं है। अगर आठबजे भी माननीय सदस्य पढ़ लेते और केवल इस पर निर्भर न रहते कि उनकी आपत्ति कामयाब होगी तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता।

मैं इसके उपस्थित करने की इजाजत दे देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता था। इस सम्बन्ध में आपने इजाजत दे दी। मुझे यह निवेदन करना था, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस आपत्ति का जो नारायणदत्त जी ने रखी थी, उत्तर दिया, तो मेरे लिये कुछ कहना आवश्यक हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही यों आप कहें कि छोटा सा बिल है और माननीय सदस्य सबेरे भी पढ़ कर आ सकते थे, लेकिन जितनी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही हैं, वह सब एक-एक करके निर्मूल हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं उसके ऊपर.....।

श्री राजनारायण—संशोधन हम अब कब देंगे? मान लीजिये कि हम यह समझते हैं कि बिक्री कर (संशोधन) विधेयक दो दिन चलेगा। नियमों के मुताबिक संशोधन देंगे और आपने जो व्यवस्था रखी है उसमें हम संशोधन उस समय भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह बात जो है वह तो आप जिस समय यह पेश हो उस वक्त यह सहूलियत मांग सकते हैं। लेकिन वैसे संशोधन का नियम यही है कि जब विधेयक सदनमें आयगा उस रोज से आप किसी वक्त भी दे सकते हैं विचार से कुछ समय पहिले।..

श्री राजनारायण—४८ घंटे पहले।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं।

और वही संशोधन मंजूर होंगे जो तीन रोज के अन्दर आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में माननीय सदस्यों को यह चाहिये कि समझ कर वह संशोधन पेश करें। कार्यक्रम किसी समय भी बदला जा सकता है यह बात भी सिद्ध है। लकिन अगर कार्यक्रम बदल दिया गया तो मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि अगर माननीय सदस्य इस वक्त भी संशोधन देना चाहें तो उनके लिये अन्य सदस्य अड़चन पैदा नहीं करेंगे क्योंकि वे भी दिक्कत महसूस करेंगे। लेकिन यह सहूलियत की बात है। आज यह विधेयक लिया जा सकता है या नहीं, इस विषय पर मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री राजनारायण—मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज यह क्यों लिया जाय इसका ईश्यू यह बना रहे हैं कि चूंकि संशोधन कोई पहल से था नहीं।

श्री अध्यक्ष—यह आप विवाद की बात करते हैं। मैं विवाद के लिये इजाजत देने को तैयार नहीं हूं। माननीय मुख्य मत्री जो न जो कहा, उनकी हर बात पर विवाद हो और गुरु शिष्य सवाद हो इसके लिये मैं यहां पर इजाजत नहीं दूंगा।

**इंडियन फारेस्ट (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

बन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—मैं इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं

इंडियन फारेस्ट (यू०पी० संशोधन) विधेयक, १९५५

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—मैं इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३–७६ पर)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—मैं उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (कटोन्युऐंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है सदन की मेज पर रखता हू।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७–७८ पर)

*उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उपनिर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून की जरूरत इस वजह से हुयी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट है उसमें जो चुनाव का तरीका था वह कुछ ऐसा था जो कांस्टीट्यूशन बनने के बाद रहना मुनासिब नहीं था और यह भी ख्याल था कि कानून के भी खिलाफ है। उसमें दफात में यह लिखा गया था कि मुसलमानों के लिये अलग सीट्स मखसूस रहेंगी और उसी के साथ-साथ जो क्वालिफिकेशन वोटर का था वह, वह, था जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के १९३५ के कानून में लागू था और ऐडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको कांस्टीट्यूशन के जरिये हमने मान लिया है, वह लागू नहीं होता था। इसी के साथ २ और दो, एक छोटी-मोटी बातें थीं कि जिसकी वजह से तकरीबन १०० या इससे ज्यादा कुछ जगहें खाली हो गयी थीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और जिसकी वजह से बहुत कठिनाइयां पड़ रही थीं। यह सोचा गया कि इसको दूर कर दिया जाय। वैसे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जो है वह जेरे गौर है और जैसा मैं कई दफा इस सदन में कह भी चुका हू उसके लिये हम लोग नया कानून बना रहे हैं जो कि थोड़े अर्से में पेश होगा। और शुरू में यह ख्याल था कि शायद उसको हम जल्दी

** छापा नहीं गया।

*२५ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

पेश कर देंगे और उसी में यह तरमीम भी हो जायगी, इसी वजह से यह तरमीम नहीं लायी गयी लेकिन मालूम होता है उसमें जो हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां करने जा रहे हैं उसकी वजह से शायद उसे हाउस में पेश करने में अभी काफी वक्त लगे। तो यह ठीक नहीं मालूम होता कि जब तक वह कानून पेश न हो उस वक्त तक जो इलेक्शन गुजिस्ता ४,५ वर्षों से चल आ रहे हैं, वह न हों। इस वजह से यह थोड़ा सा कानून बना करके सदन में पेश किया जा रहा है जिसके जरिये से चुनाव जहां २ जगहें खाली हैं वहां फौरन हो सकेगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई आपत्ति न होगी और हाउस इसको मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री गेंदासिंह जी से) कोई अमेंडमेंट पेश करना चाहते हैं ?

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो शायद अमेंडमेंट पेश करने की परिस्थिति में इस समय नहीं हूं और इसलिये मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। मुझे माननीय न्याय मंत्री जी की बात से ऐसा लगा कि जिला बोर्ड के चुनाव अनिश्चित काल के लिये अब टाले जा रहे हैं। बोर्ड के चुनाव जो थे वे कई वर्षों पहले से ड्यू हैं हो जाने चाहिये थे। लेकिन उनको न करके और एक ऐसा हथियार हमारे सामने आया है जिसके नाम पर बोर्डों के चुनाव कई वर्षों तक टाले जा सकें। यह बात सही है और उससे हमारी भी हमदर्दी हो सकती है जैसा कि न्याय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सी जगहें ऐसी खाली हैं जिन पर उप-निर्वाचन हो जाना चाहिये था। यह उचित बात होती और जिन बातों को लेकर के यह बिल न्याय मंत्री जी पेश कर रहे हैं उनको भी हमदर्दी हो सकती है और एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जा रहा है इस बिल के जरिये से लोगों को, कुछ जो साम्प्रदायिक आधार पर सीटों का बटवारा था शायद उस आधार को मिटाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि इन सारे ऐसी चीजों को देखते हुये भी कि जो मुल्क के लिये फायदे की हैं, कुछ हित हो सकता है उससे लोगों का, लेकिन जो आम चुनाव टाला जायगा इससे बुनियाद पर, उसको देखते हुये मैं दोनों की जब तुलना करता हूं तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का विरोध किया जाना चाहिये गवर्नमेंट पावर लेती है, पहले तो विधेयक में ऐक्ट में जो कुछ भी मियाद मुकर्रर की जाती है कि इतने मियाद के भीतर चुनाव हो जायेंगे, मेरी राय में उन तारीखों पर चुनाव हो जाने चाहिये, लेकिन कानूनों में इस बात की गुंजाइश रहती है कि सरकार अगर कोई ऐसी परिस्थिति पावे जिसमें कि ऐसा करना सम्भव न हो, तो फिर सरकार को यह अख्तियार दिया जाता है कि वह कुछ दिनों के लिये उसको टाल सके। हमारे सामने न सिर्फ उस कानून के मुताबिक इस हाउस में एक से ज्यादा मर्तबा जिला बोर्डों के चुनाव को टालने के लिये विधेयक सरकार लेकर के आयी और उस समय जिस वक्त यह आपत्ति की गयी कि सरकार को यह करना मुनासिब नहीं है और जिला बोर्डों का चुनाव होने की वजह से जिलाबोर्ड के काम को बड़ी क्षति पहुंच रही है, जिला बोर्डों के जरिये जो लोगों का हित हो सकता है, उनको क्षति पहुंच रही है तो सरकार ने उस समय बार-बार यही कहा कि जल्द ही आम चुनाव होने जा रहा है। जिला बोर्डों के कानून में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं और उन परिवर्तनों के हो जाने के बाद तुरन्त आम चुनाव करा दिये जायेंगे। हम इसी आशा में थे। हम ऐसा समझते थे कि अब शायद जिला बोर्ड के कानूनों में संशोधन करने वाला कोई विधेयक आयेगा और उससे जिला बोर्डों का आम चुनाव हो जायगा। लेकिन वह हमारी आशा निराशा में बदला और आज हमारे सामने कुछ क्लाज बदले जा रहे हैं और उन क्लाजेज को बदल कर के मैं कैसे कहूं कि वह कानून सड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे न्याय मंत्री जी को उन पुराने कानूनों से कुछ मुहब्बत है और न्याय मंत्री जी उन किताबों से चिपटे रहना चाहते हैं, तो उस किताब को अगर मैं उनके सामने कहूं कि सड़ी हुयी किताब है और उसको जल्द फेंकना चाहिये, और उसकी जगह पर माननीय लक्ष्मी रमण जी जैसे काननूदां आदमी जो हैं उनकी सलाह के मुताबिक कुछ कानून बनना चाहिये . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—मैंने तो कहा कि आपकी राय में तो सब कानून जला दिये जाने चाहिये।

श्री गेंदासिंह—वह पसन्द नहीं आयगा उनको। मैं ऐसे कानूनों को तो सचमुच जलवा देना चाहता हूं, जिनको हमारे देश के सबसे बड़े हुक्मरां जो हैं वह हमको सिखाया करते थे उस जमाने में कि इन कानूनों को हम फाड़ के फेंकेंगे, जलायेंगे, वह सीख आज भी हम सीखे हुए हैं। माननीय लक्ष्मीरमण जी भूल गये होंगे। जब हमारे जिलों में, पंडित जवाहर लाल जी नेहरू हम लोगों में जाते थे तो ऐसे कानूनों के बारे में जरूर बताया करते थे कि इन्हें हम फाड़ेंगे, फूंकेंगे। हम तो फाड़ने और फूंकने को भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं विवेक से काम लेने को। लेकिन विवेक से काम लेने का मतलब अगर फाड़ना फूंकना है तो अब तो उस विवेकशील आदमी के विवेक के ऊपर उसको हम छोड़ देते हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे कानूनों में से उचित चीजों को लेने की जरूरत है। हमारे दिमाग में वह कानून हैं, हमारे खून में वह कानून हैं, हम उन कानूनों से इस वक्त तो पिंड नहीं छुड़ा सकते। इसलिये उसमें जो अच्छी चीज हो उसको स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं लक्ष्मी रमण जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे मेहरबानी करके यह बतायेंगे कि यह जो हमारे सामने विधेयक है, इस विधेयक का मतलब यह नहीं है कि जो आम चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कई वर्षों से ड्यू है, उसको मुल्तवी किया जा रहा है? अगर मुल्तवी नहीं किया जा रहा है, यह बात वह स्वीकार करें तो मैं इस विधेयक का स्वागत करूंगा। लेकिन अगर वह ऐसी बात कहेंगे भी तो वह मुझे धोखा नहीं देंगे बल्कि अपने को धोखा देंगे। यह है असल में इसलिये कि आम चुनाव को टाला जाय। आम चुनाव को मैं यह नहीं कहता कि कोई सरकार इस बात को सोचकर के घबड़ाती है, परेशान होती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, आम चुनाव में जाकर के जो रूलिंग पार्टी है, वह नुकसान उठा जायगी। हो सकता है कि जिस तरह से आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो काम हो रहे हैं उन से भिन्न दिशा की ओर जिला बोर्ड जाय और मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात को बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जैसे गांव पंचायत के बारे में भी हम लोगों की राय थी, जिला बोर्डों के सम्बन्ध में भी यही राय है कि इसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक और दलगत भावनायें अगर न प्रवेश करें तो अच्छा है। इन स्थानीय निकायों में स्थानीय मसले रहते हैं तो अगर कुछ स्थानीय शरीफ और सज्जन लोगों के, जो किसी दल में न हों, हाथ में अगर स्थानीय निकाय रहते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे भला होगा। इसीलिये मैं सरकार को यह दोष देना चाहता हूं कि जिला बोर्ड के जो चुनाव सन् १९४८ में हुये थे, उस में यह भावना बहुत जोरदार नहीं थी, जैसी कि मैं इस वक्त अनुभव कर रहा हूं। सही है कि कुछ पार्टियों में जिला बोर्ड का चुनाव लड़ा था और हो सकता है कि उसमें किसी जगह पर सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टियों के लोग जिला बोर्ड में बैठे हों, लेकिन इन ७ ८ वर्षों में जो देश में कुछ राजनैतिक शिक्षा हुयी है और दूसरे देशों से भी कुछ लोगों ने सबक सीखा है, उस से मैं समझता हूं कि इन जिला बोर्डों का अगर उस रोशनी में आम चुनाव हो तो जिला बोर्डों की हालत बदल सकती है। अब जिला बोर्डों के ऐक्ट में संशोधन करने के लिये मैं अगर माननीय न्याय मंत्री जी से यह कहूं कि इसमें क्यों न ऐसा संशोधन किया जाय कि जिसमें कि जो जिला बोर्ड के मातहत स्कूल हैं, मवेशी हैं, लड़कियों के स्कूल हैं उनकी अच्छी हालत हो और जो कर्मचारी हैं वे अच्छी हालत में पहुंचें, उसके लिये अगर कोई संशोधन आता है तो मेरी समझ में ज्यादा मुनासिब होता। अगर वह नहीं आता है तो आम चुनाव ही सही। अगर आम चुनाव भी हो जायं तब भी इस बात की गुंजाइश हो सकती है कि जो सार्वजनिक हित सोचने वाले लोग हैं वे जिला बोर्डों में पहुंचें और वहां जा करके दूसरे प्रकार से सोचना शुरू करें।

अब एक बात और हो सकती है, अध्यक्ष महोदय, कि जब आदमी दिन गिनने लगता है, जो रिटायर होने लगता है उस आदमी की रुचि उस काम में नहीं हुआ करती और मैं तो आप से यह भी निवेदन करूं कि जैसे-जैसे ५ वर्ष हमारे इस सदन के पूरे होने लगे

[श्री गेंदासिंह]

है और जितने ही नजदीक माननीय न्याय मंत्री जी ५ वर्ष के जा रहे हैं उतनी ही उनकी रुचि अब इस तरफ तो नहीं, कुछ दूसरी तरफ है ।

एक सदस्य—आपकी किधर है ।

श्री गेंदासिंह—मेरी भी उधर ही है । तो यह समय और अवधि जो है संकल्प और विकल्प वाली यह जितनी ही थोड़ी हो उतनी ही अच्छी है । लेकिन इस अवधि को तो माननीय न्याय मंत्री जी बढ़ाते चले जा रहे हैं कहने के लिये तैयार नहीं हैं । उन्होंने कहा है कि विधेयक में है क्या ? यह तो मामूली सा विधेयक है, किसी को आपत्ति थोड़ ही होगी ? मैं कहता हूं कि चुनाव सन् १९५७ के बाद होन वाला है । बड़ी स्पष्ट बात है । अब सन् १९४८ में आम चुनाव हमारा हुआ ।

श्री अध्यक्ष—"आम चुनाव" को स्पष्ट कर दीजिये । असेम्बली का कह रहे हैं या जिला बोर्डों का ?

श्री गेंदासिंह—मैंने जिला बोर्डों का कहा । इसमें "उप-निर्वाचन" लिखा है, इसलिये "आम चुनाव" का शब्द मैंने इस्तेमाल किया । और एक आम चुनाव सन् १९५७ में असेम्बली और पार्लियामेंट का होगा और पंचायतों का आम चुनाव हो रहा है । तो शायद इन सब में जिला बोर्डों का आम चुनाव सब से पीछे किया जा रहा है । जो कश्मीर या और कहीं आल-इंडिया के स्थानीय निकायों के लोग इकट्ठे हुये और वहां जो फैसला करके आये उन बातों को अगर माननीय न्याय मंत्री यहां बताते तो शायद उस रोशनी में हम यहां विचार करते । लेकिन वे बातें वे बताना नहीं चाहते और केवल यह विधेयक ले आते हैं और कहते हैं कि बाई एलेक्शन के कानून बना दो । हम कहते हैं कि वे इसको इस वक्त वापस ले लें और अगले १०—५ दिनों के अन्दर जो एक बहुत ही काम्प्रिहन्सिव विधेयक लाने वाले हैं वह ले आयें । उस पर हमको विचार करने का मौका मिले । और कम से कम इस बात को भी माननीय न्याय मंत्री महसूस करें कि ऐसे-ऐसे मसलों में हमारा काफी वक्त लग जाता है, काफी जनता का पैसा व्यय होता है । उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कितने स्थान रिक्त हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—बताया तो कि १०० के करीब हैं ।

श्री गेंदासिंह—तो इन १०० का चुनाव हम करायें तो इसमें भी धन व्यय होगा और फिर उसके बाद हमको जिला बोर्डों का आम चुनाव कराना होगा । इसका फैसला कर दिया गया है कि क्या विधि होगी । हम चाहें उस विधि को स्वीकार करें या नहीं, लेकिन न्याय मंत्री जी को कुछ इशारा इस तरह का कर दिया गया है कि जिला बोर्डों का अगला रूप क्या होगा और उनके चुनने का क्या तरीका हो । तो उन बातों पर विचार करने में अगर हमारा भी वक्त लगे, हम भी अपनी शक्ति लगायें तो वह धन और समय दोनों की बचत कराता है । लेकिन इस तरह का विधेयक लाने से धन और समय दोनों का दुरुपयोग होता है और इन दोनों के दुरुपयोग के ख्याल से मैं समझता हूं कि इस विधेयक को माननीय न्याय मंत्री जी को वापस लेना चाहिये । अब यह जरूर है कि यह ऐसा होगा कि एक बात विरोधी दल के लोगों ने कही कि इसे वापस लो और माननीय न्याय मंत्री ने ऐसी फैयाजी से काम लिया कि उसको वापस ले लिया । लेकिन मैं माननीय लक्ष्मीरमण जी को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक वे वहां बैठे हैं तब तक कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वे फैयाजी से कुछ दूर रहना चाहते हैं । लेकिन मैं उनसे यह उम्मीद जरूर करता हूं । क्योंकि जहां के वे रहने वाले हैं वहां के लोग बहुत दरिया दिल होते हैं । मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बोर्ड की हालत को देखते हुये और बोर्ड की हालत की जानकारी माननीय न्याय मंत्री जी को ज्यादा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह कार्य उनके अधीन है और लखनऊ के बोर्डर पर तो उनका सिर दर्द है । दूसरे जिलों में भी ऐसा मामला है कि जिसमें बहुत परशानी होगी उनको । यह बात ठीक

हैं कि कुछ बाई एलेक्शन अगर हो जायेंगे तो कुछ जगहों का सिर दर्द दूर हो सकता है, लेकिन सही माने में जो देश का हित होने वाला है वह नहीं हो गा। ये १०० आदमी अगर चुन कर भी आ गये तो उनसे बहुमत तो होगा नहीं, एक दो या तीन आदमी एक बोर्ड में आ सकेंगे, उससे कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होने वाला है कि उनसे बोर्ड के काम को तरक्की मिले और अगर आम चुनाव हो जाता है तो उसमें ऐसे ऐलीमेंट आ सकते हैं जो बोर्ड की रूप-रेखा को बदलने की कोशिश करें। वैसे मैं यह मानता हूं कि बगैर कानून के बदले बोर्ड की रूप रेखा नहीं बदली जा सकती। लेकिन फिर भी व्यक्तियों का एक असर होता है, उनका एक स्थान होता है और कम से कम मैं भी सोचता हूं कि हमारे कहने से वह स्वीकार करेंगे नहीं और न मान सकते हैं। जैसे कि चेयरमैन का चुनाव होने वाला है और अब वह विधि न रहे और दूसरी आने वाली है तो इस विधि में भी कुछ गुंजायश इस बात की है कि लोग कुछ निश्चित हो कर काम कर सकते हैं और कुछ काम आगे भी बढ़ पायें, ऐसा हो सकता है और यह अनुभव की बात है। इन बातों को कहते हुये मैं समझता हूं कि हमारी इस दरख्वास्त पर माननीय मंत्री जी गौर करेंगे और बजाय इस उपनिर्वाचन के वह ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आम चुनाव बोर्डों का हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसी नीयत से इस विधेयक का विरोध करता हूं। वैसे मैं इस विधेयक को पसन्द करता हूं। अगर इससे आम चुनाव की बात बहुत दूर टलने वाली न होती, तो उस दशा में मैं इसका समर्थन करता। लेकिन अगर मैं समर्थन करूं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है कि सन् १९५७ से पहले ये चुनाव होने वाले नहीं हैं, यह हमारे १९५८ के जाड़ों में होंगे। इसका मतलब यह है कि १९४८ में जब बालिग मताधिकार पर चुनाव नहीं हुये थे बल्कि लिमिटेड फ्रेन्चाइज थी तो कुछ लोगों का बना हुआ यह बोर्ड १९४८ से १९५८ तक हुकूमत करेगा तो इस बोर्ड को जो ४ वर्ष जीने वाला था इसको दुगुने से ज्यादा जीने का हक देना और लिमिटेड फ्रेन्चाइज के आधार पर चुने हुये बोर्ड के लिये नासुनासिब मालूम होता है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री जगन्नाथबख्शदास (जिला बाराबंकी)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि यह इतना छोटा सा विधेयक सदन बगैर किसी बहस मुबाहिसे के स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब मैंने विरोधी दल के नेता की तकरीर सुनी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सीधी-सादी बात में इतना अर्थ लगाया जाय और इतनी शंका की जाय तो यह कुछ समझ में नहीं आता। अर्थ का अनर्थ कर देना विरोधी दल के नेता का काम हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विधेयक सीधी सी बात कहता है कि जहां उपचुनाव वैधानिक आपत्ति के कारण नहीं हो सके उन क्षेत्रों के व्यक्तियों को कब तक अनरिप्रेजेंटेड रखा जाय।

एक बात उन्होंने कही और वह बहुत ऊंची बात थी कि लोकल बाडीज में पार्टीबन्दी का सवाल पैदा न किया जाय, यह प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात यह भी कहते हैं कि अगर यह विधेयक न लाया जाय तो इसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम यह होगा कि जो क्षेत्र दुर्भाग्यवश अभी तक अनरिप्रेजेंटेड हैं, वह जमाना बढ़ा दिया जाय। उनके हिसाब से अभी ५ वर्ष और रहने दिया जाय। दोनों बातें आपके सामने हैं। श्री गेंदा सिंह जी क्या चाहते हैं कि इस विधेयक को न ला कर १०० मेम्बर्स को या उन क्षेत्रों को जहां सदस्य नहीं हैं जिनका इंट्रेस्ट उचित रूप से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, वह कायम रखा जाय और इस विधेयक को पास न किया जाय।

तो इन चीजों को सामने रखते हुये एक इतनी साधारण बात पर इतना लम्बा विवाद करना कुछ उचित नहीं मालूम होता है। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा श्री गेंदा सिंह जी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ बख्श दास]

यह प्रार्थना करूंगा कि वह हृदय से इसको स्वीकार करते और कहते कि अभी तक देर हुई इन चुनावों में और सरकार को चाहिये था कि दो वर्ष पहले लाती जब कि इसमें परिवर्तन हुआ था जिसके कारण चुनाव नहीं हो सके और अगर वह दो वर्ष के बाद भी इस विधेयक को लायी है तब भी वह धन्यवाद की पात्र है क्योंकि अब भी उसने सोचा है कि जहां पर चुनाव नहीं हुआ है वहां पर चुनाव हो।

बड़े बिल के बारे में कहा गया तो जब बड़ा बिल आयेगा जैसा कि सरकार ने कहा कि वह सोच रही है इस बात को तो उसमें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन यानी ऐरिया की देख रेख के बारे में पूरा विचार करना होगा। वह कोई एक साधारण परिवर्तन नहीं है। उस कुल में हम इस समय परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि उसमें देर होती है तो फिर यह साधारण चीज भी न की जाय यह बात समझ में नहीं आती है। यदि सारे वस्त्रों को ही न बदला जाय तो हम किसी एक वस्त्र को भी न बदलें। यदि टोपी को हम बदल सकते हैं तो सी को बदल दें और उसी को सफेद कर लें। बजाय इसके कि सारे वस्त्र गन्दे रहें और टोपी ही बदल ली जाय तो इसके करने में मको क्या आपत्ति हो सकती है। वह बड़ा बिल अभी देर में आयेगा और उसमें समय लगेगा। इस वजह से अगर हम टोपी ही इस समय बदल रहे हैं तो यह कोई पाप नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत में मैं आप के द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि श्री गेंदा सिंह जी ने जो अपनी आपत्ति की है उसको वह वापस ले लें और सर्व सम्मति से इस विधेयक को, जो सदन में पेश किया गया है, पास करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं इस विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५, उद्देश्य तथा कारण की सीमा को बढ़ाने का अधिकार देते हुये सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर—मैं समझा नहीं कि इसका क्या मकसद है।

श्री अध्यक्ष—थोड़ा सा स्कोप बढ़ाते हुये इसको वह प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं।

श्री राजनारायण—यदि वे पार्लियामेंटरी पद्धति से परिचित होते तो इसको समझ गये होते। मेरा संशोधन यह है कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के स्कोप को बढ़ाते हुये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। श्रीमन्, जब मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं तो हमारा यह भी फर्ज होता है कि सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने अपने संशोधन के औचित्य को अच्छी तरह से साबित करें। यों तो माननीय गेंदा सिंह जी ने इस विधेयक का विरोध करते हुये जिन भावनाओं को व्यक्त किया है मैं उन भावनाओं के साथ हूं। यदि उन्हीं भावनाओं के साथ इसके उद्देश्य और कारणों की सीमा को बढ़ाने का संशोधन करते हुये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो माननीय गेंदा सिंह जी के विरोध की भावना भी सेलेक्ट कमेटी में पूरी हो सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि समा यह संशोधन यह सदन स्वीकार करे, क्योंकि इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि इस सरकार ने जनता के जनतांत्रिक अधिकारों की बड़ी अवहेलना की है। सन् १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हुए हों और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून के अन्दर बोर्ड का कार्यकाल नियुक्त हो उससे दुगने से भी ज्यादा समय बराबर आर्डीनेंस और बराबर विधेयक प्रस्तुत कर के बढ़ा दिया जाय, यह किसी भी मुल्क की जनतांत्रिक प्रणाली के लिये बड़ा भारी कलंक है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन के अन्दर जो इन तीन वर्षों में वादविवाद हुए हैं उनमें जब-जब सरकार की ओर से यह प्रयत्न किया है, १९५२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव एक साल के लिये टाले जाने के लिये जब सरकार की ओर से प्रस्ताव आया था उस समय भी मैंने इस बात पर आपत्ति की थी। उस समय मैंने कहा था कि यह साल भर की अवधि क्यों मांगी जा रही है। उस समय श्रीमन्, सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस मियाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा

था कि जो पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट है वह साम्राज्यशाही के जमाने का है, उसमें नागरिक अधिकारों का हनन है, वह जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित नहीं है, इसलिये सम्यक् रूप से, व्यापक रूप से विचार विनिमय करने के बाद इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार था, इसीलिये साल भर की अवधि मांगी गयी थी। मगर श्रीमन्, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज यह चार सालों का समय व्यतीत हो रहा है, तो सरकार के पास क्या औचित्य है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनावों को बराबर ६ सालों से टालती जा रही है। सही मानों में देखा जाय तो यह सदन के सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। सब लोगों ने अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की है। सब लोग, इस सदन के अन्दर बैठ कर जो जनतांत्रिक प्रयास होने चाहिये थे, उनको करने में असफल रहे हैं। श्रीमन्, जब मैं "सब लोग" शब्द का प्रयोग करता हूं तो उन "सब लोगों" में "हम" नहीं आते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य नहीं आते हैं। ज्यादातर जिम्मेदारी इस सरकार के ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों की है जो विशाल बहुमत में है जो अपनी मौनावस्था से सरकार को ऐसा मौका देते रहते हैं कि सरकार बराबर अप्रजातांत्रिक कदम उठाती चली जाती है। श्रीमन्, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद नहीं है।

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—मैं हूं।

श्री राजनारायण—"आप हैं" मैं उसको भी जानता हूं। माननीय मंत्री जी के जो कर्त्तव्य होते हैं वह डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के कर्त्तव्यों से भिन्न होते हैं। जब कि मिनिस्टर केबीनेट की सिटिंग्स में बैठ सकता है दूसरे नहीं बैठ सकते, यह भी आप को जानना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह सरकार को गैर जनतंत्रात्मक कदम उठाने से रोकने के लिये कब तत्पर होगा। जब-जब इस सदन में कोई प्रश्न इस प्रकार का उठा तो हमने इस बात पर सदैव जोर दिया कि डिसेंट्रेलाइज पावर का करो, चाहे वह गांव पंचायतों का प्रश्न हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रश्न हो, चाहे और कोई प्रश्न हो, सारी सत्ता लखनऊ में प्रान्तीय सरकार में निहित नहीं रहनी चाहिये। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों ने हमारे इन तर्कों की अहमियत पर कभी ध्यान नहीं दिया। मगर बाद में उन्हें देना पड़ा और कुछ ऐसे ढंग से देना पड़ा कि उनको लेने के देने पड़ गये, क्योंकि जब स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा हो रही थी तो उन्हीं सदस्यों ने हमारे तर्कों का सहारा लिया था। यदि आज पोलिटिकल पावर और एकानामिक पावर विकेन्द्रित हो गयी होती और गांव सभाओं और जिला बोर्डों को सत्ता दी गयी होती और जिलों की आय जो सरकार को होती है उसकी चौथाई रकम गांव पंचायतों और जिला बोर्डों को दी गई होती और बाकी रकम यहां आती तो बात कुछ और ही होती और स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की बहस भी दूसरे ही प्रकार की होती और हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो पुनःसंगठन के बारे में बहुत चिंतित थे उनकी चिन्ता का भी समाधान हुआ होता। मैं आज फिर सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि वे स्वयं इस संशोधन को अच्छी तरह से समझ कर सपोर्ट करें।

माननीय मंत्री जी की ओर से जिन उद्देश्य और कारणों को यहां रखा गया है इसमें शक नहीं है कि वे उद्देश्य और कारण बहुत अच्छे हैं। इन उद्देश्य और कारणों में यह कहा गया है कि १९४८ के ऐक्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव की जो व्यवस्था थी उस में आम जनता को बालिग मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह ठीक है कि जल्द से जल्द आम जनता को बालिगमताधिकार प्राप्त हो और उसके आधार पर जिला बोर्डों का चुनाव हो। इसमें इतनी देर जो हुई, ४ साल बीत गए, ६ साल बरबाद हुए, यह भी इस सरकार के लिये कलंक की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिये था लेकिन जब ६ साल के बाद और इस नई सरकार के ४ साल रहने के बाद-जब कि इसी सदन में बार बार आश्वासन दिया गया हो और जब कि आज

[श्री राजनारायण]

एक सर्वांगीण बिल इस सदन में प्रस्तुत होने जा रहा हो तो ऐसे समय में भी जब एक कुण्ठित बिल हमारे सामने आता है और जिसमें तमाम खामियां और दोष वैसे ही बरकरार दिखाई देते हों तो इस सरकार के बारे में क्या कहा जाय। मैं इस माननीय सदन के सदस्यों की सद्बुद्धि और प्रतिभा पर छोड़ना चाहता हूं वह इसको चाहे जो भी संज्ञा दें। मैं ४ दिन पहले एक बैवान की पुस्तक में पढ़ रहा था उन्होंने उसमें कहा है कि "इट इज दि वर्क दैट मैटर्स एन्ड नाट दि नेम"। अर्थात् जो कार्य सम्पन्न हो वह देखना चाहिये, नाम उसका या संज्ञा कुछ भी उसको दी जाय इससे विशेष प्रयोजन नहीं है। आज सरकार कहती है कि हम विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में वह बात नहीं है। आज यह सरकार कहती है कि वह अहिंसा और शान्ति चाहती है लेकिन हम देखते हैं कि आज अहिंसा और अशान्ति बढ़ती जाती है और अहिंसा कह कर हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार की विकेन्द्रीयकरण की स्कीम है, लेकिन विकेन्द्रीयकरण का नारा लगा कर भी केन्द्रीयकरण की नीति अपनाई जाती है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सरकार की जो अपनाई गई प्रणाली है उसपर विशेष ध्यान दें और जो शब्द यह सरकार प्रयोग में लाती है उन पर ध्यान न दें। शब्दों का प्रयोग उद्देश्य और कारणों में अच्छा है लेकिन उसके बाद भी आज सारे प्रदेश में अशान्ति का वातावरण पैदा किया जा रहा है और आज सारे प्रान्त में जो जनता के मौलिक अधिकार हैं वे छीने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण को सीमित ही रखें।

श्री राजनारायण—मैं यह कह रहा था कि तीसरे चौथे बरस.....

श्री अध्यक्ष—इसी तरह से आप अपने काम रोको प्रस्ताव तक न आ जाइये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं उस पर आज नहीं आऊंगा, कल उस पर मुझे मौका मिल जायगा, आप पहले से ही आशंकित हो गये। मैं अर्ज कर रहा था कि इसके द्वारा जनता को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी जिन उद्देश्यों और कारणों को लेकर विधेयक लाये हैं उन्हीं उद्देश्य और कारणों में यदि वह एक लाइन और एक जुमला और जोड़ देते और सन् १९५५ के आखिर में यदि सम्भव हो या सन् १९५६ के फरवरी या मार्च के महीने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम निर्वाचन हो जायेंगे। उनको क्या दिक्कत और क्या परेशानी है जब कि सरकार ने स्वयं यह कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सौ-डेढ़-सौ के करीब उपनिर्वाचन होने को बाकी हैं। जब विभिन्न जिलों में उपनिर्वाचन होंगे तो क्यों नहीं आमूल ढंग पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का नव निर्माण करावें, क्योंकि वही ब्रिटिश साम्राज्य शाही के लोग आज भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्णधार बनें रहें और क्या उन्हीं पुराने दकियानूसी मनोवृत्ति के लोगों को उसी पुराने ढांचे को चलाने के लिये फिर मौका प्रदान किया जाय, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता जो सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है कि चूंकि कुछ सीटें खाली हैं इसलिये आवश्यक प्रतीत होती है कि इस तरह का संशोधन विधेयक लाया जाय। यह कहना बिल्कुल गलत है कि सीटें खाली हैं। सीटें तो पहले खाली थीं, मगर उनकी पूर्ति करायी गयी। बनारस में तीन सीटों का उपनिर्वाचन कराया गया और दूसरे जिलों में इसी तरह से कराया गया तो अब किस कारण से इस विधेयक को उचित कहा जाय। इस विधेयक को अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम निर्वाचन को पीछे डालने वाला विधेयक कहा जाय तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती है। इसका विरोध करना चाहिये और सारी जनता को विरोध करना चाहिये क्योंकि यह जनता के अधिकारों को छीनने वाला कार्य मालूम होता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आप इसको सेलेक्ट कमटी में जाने की बात किसलिये कहते हैं यह तो बताइये?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसलिये तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि अगर सेलक्ट कमेटी में जायगा तो वहां माननीय गेंदा सिंह जी और दूसरे सम्मानित सदस्य बैठेंगे और बैठ कर इस पर विचार करेंगे कि जनता के जो नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं क्या इस विधयक के दोष को एक सेंटेंस को बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आम निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर असेम्बली लिस्ट के मुताबिक मार्च के महीने में ही हो जाय और सरकार को सेलेक्ट कमेटी में अच्छी तरह से हमने अपने तर्क को समझा दिया तो सरकार इस बात को मान लेगी कि हां यह चीज सत्य है और इसको इन्कार नहीं करना चाहिये। यह सरकार बराबर हठवादिता पर चल रही है और जितनी हठी यह सरकार है दुनिया के किसी कोने में जहां जनतांत्रिक प्रणाली है ऐसी हठी सरकार नहीं हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री राजनारायण—माननीय उपध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस ढंग पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स संशोधन ऐक्ट आया है और एक वाक्य में जिसको मैंने पहले कहा था कि यह संशोधन विधेयक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम चुनावों को टालने का विधेयक है। उसी अपने तर्क को इस समय कुछ और प्रमाणों के साथ मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं और इसीलिये श्रीमन्, मैंने संशोधन अपना दिया है कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और सेलेक्ट कमेटी को यह भी अधिकार रहे कि वह इसके स्कोप को भी बढ़ाये। इस अधिकार के साथ जब इस विधेयक को हम सेलेक्ट कमेटी में भेजते हैं तो सरकार की ओर से जो एक तर्क यह रक्खा गया कि करीब १००, १२५ या १५० जगहें ऐसी हैं जहां उप-निर्वाचन होने वाले हैं तो यह सरकार का तर्क भी उसमें समावेश हो जायगा। और अगर सेलेक्ट कमेटी में हमारा यह सुझाव मान लिया जायगा कि सन् १९५६ के मार्च या अप्रैल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के आम निर्वाचन कर दिये जायं तो जो उप-निर्वाचन होने वाले हैं उनकी भी व्यवस्था हो जायगी और उससे कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि वे उप-निर्वाचन जो इस समय होंगे यदि यह विधेयक पास भी हो जाय तब भी उनके होने में काफी समय लग जायगा और श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पक्ष में जो सरकारी पक्ष के लोग या और कोई सदस्य बोलेंगे वे बहुत ही साहस करेंगे, तो है वह दुस्साहस ही, क्योंकि यदि पुराने कानून को देखा जाय तो कानून के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्यकाल ४ वर्ष का माना गया है और यदि सरकार किसी बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाना आवश्यक समझे तो एक साल के लिये वह बढ़ा सकती है और इस तरह से एक साल का बढ़ना भी तीन साल से ज्यादा नहीं हो सकता था। मगर इस समय सन् १९४८ के हुये चुनाव सन् १९५६ प्रवेश कर रहा है, १९५५ व्यतीत हो रहा है तो यह निर्विवाद है कि काफी विलम्ब किया गया ह और जनता को नागरिक अधिकार से वंचित किया गया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नयी बदली हुयी परिस्थिति के मुताबिक अच्छे योग्य आदमियों को चुन कर के बोर्ड के कार्य को संचालित करने का मौका नहीं दिया गया है। तो जब सरकार की ओर से इतनी खामियां हैं, इतने दोष हैं और इन दोषों के बढ़ने का मौका सरकार खुद प्रदान करे तब बड़ा आश्चर्य होता है और उस समय यही बात सामने आती है कि जानबूझ कर यह सरकार आज अपने प्रदेश की जनता के साथ खेल रही है।

श्रीमन्, मैं यह पहले निवेदन कर रहा था एक संकेत के लिये मैंने सदन में प्रस्तुत किया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव पंचायतों के क्या अधिकार होने चाहिये। भारतीय संविधान के द्वारा आम निर्वाचन के बाद बनी हुयी यह कांग्रेस सरकार जिस तरीके से चार वर्ष तक अपने कर्त्तव्यों पर बैठ गयी थी और अपने कर्त्तव्यों पर बैठ कर जिस तरीके से पुरानी साम्राज्यशाही कानून के अन्दर निर्मित बोर्डों के कार्य काल को बढ़ा रही थी उससे सभी जनतंत्र प्रेमियों का दिल दहल जाता होगा। श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यगण चिंतित और परेशान हैं और सदन में

[श्री राजनारायण]

बैठते हुये भी एक तरह से फुसफुस मार्का टाक में संलग्न हैं। सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चलनी चाहिये। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस समय जो विधेयक हमारे समने प्रस्तुत है उसकी रोशनी में यदि हम देखें तो यह विधेयक हमें क्या देने जा रहा है।

माननीय मंत्री महोदय, श्री अली जहीर साहब ने जो अपना भाषण इसके पक्ष में दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि सौ के ऊपर एसी जगहें हैं जिनको भरना है और उन्होंने उन सौ के ऊपर जगहों को भरने के लिये यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों नहीं तमाम बोर्डों के लिये यह व्यवस्था कर दी जाती? क्यों सौ जगहों को भर कर ही पुराने बोर्ड को ही सरकार चलाना चाहती है? इसलिये श्रीमन्, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज जिस ढंग पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चल रहा है. जिस तरीके से यह कांग्रेस सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अधिकारों पर अपना तानाशाही खूनी पंजा जमाये हुये है, जिस तरीके से पुराने बोर्डों के द्वारा यह सरकार सही मानी में जनतांत्रिक आबहवा पैदा नहीं होने देना चाहती, उसी परिस्थिति को कायम रखने के लिये ही आज माननीय मंत्री महोदय ने इस रूप में विधेयक को प्रस्तुत किया है क्योंकि महज १०० मेम्बरों के अपनी जगह पर चुने जाने से बोर्ड के ढांचे में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। माननीय मंत्री जी सदन के माननीय सदस्यों को यह कह कर गुमराह कर सकते हैं कि हम तो इस संशोधित विधेयक के द्वारा बालिग मताधिकार देने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह भी कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिय जो जगहें रिजर्व थीं और जो यह दूषित प्रथा थी इस प्रथा को भी इस विधेयक के द्वारा दूर किया जा रहा है। मगर यदि सत्य और तथ्य रूप में देखा जाय तो इस विधेयक के पास होने पर पुराने बोर्ड के ढांचे में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। जितने पुराने बोर्ड हैं उनमें बहुमत सदस्य वही पुराने ढंग के होंगे, वही पुराने लोग होंगे और आम जनता प्रदेश की अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं करने जा रही है। फिर माननीय मंत्री जी को यह गर्व नहीं करना चाहिये कि इस विधेयक के द्वारा वह कोई नयी जिन्दगी पैदा करने जा रहे हैं या नयी व्यवस्था देने जा रहे हैं। इस विधेयक के पास होने और कानूनी शक्ल अख्तियार करने के बाद भी पुराने बोर्ड ही रह जायेंगे, पुराने ढंग का कार्यक्रम जारी रहेगा। पुराने ढंग की व्यवस्था जारी रहेगी और वही लूटखसोट जारी रहेगी बोर्डों को कोई नये या व्यापक अधिकार इस विधेयक के द्वारा नहीं मिलने जा रहे हैं।

श्रीमन्, इस सदन में कई बार हमने कहा था कि अब तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव का अधिकार मिलना चाहिये और उसके अधिकार व्यापक होने चाहिये और उन व्यापक अधिकार के अन्तर्गत हम यह भी चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी अपने जिले के अन्तर्गत कानून बनाने का अधिकार हो, ला ऐंड आर्डर मेनटेन करने का अधिकार हो। सादी पुलिस, अन-आर्म्ड फोर्स पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में कर दी जाय और शिक्षा, सफाई और रोशनी की व्यवस्था पूर्ण रूपेण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर हो। प्रान्तीय सरकार के हस्तक्षेप से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुक्त हों। अपने जिले के अन्दर जितनी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनको चलाने का भार भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी सारे जिले के कानून से बालिग मताधिकार के आधार पर चुन कर जो नागरिक आयेंगे, वे प्रतिनिधि विधान सभा के प्रतिनिधियों से श्रीमन्, यह कभी भी नहीं समझना चाहिये कि निकम्मे होंगे। इस धारणा पर काम नहीं हो सकता। और जब वे व्यक्ति भी प्रतिभा सम्पन्न होंगे, ईमानदार होंगे, जब उनके सामने भी नीति की सफाई होगी तो क्या कारण है कि इस गणतांत्रिक मुल्क में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास कानून बनाने का अधिकार न हो? क्या कारण है कि जब सन् ५५ के दिसम्बर माह में संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हो तो उसके आधार पर जिले के पैमान पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तमाम विकास योजना, पुलिस का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध, सफाई और रोशनी का प्रबंध, पानी का प्रबंध, इन प्रबंधों का सारा भार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर क्यों न दिया जाय? श्रीमन्, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत जिले के पैमाने पर ये तमाम योजनायें कर दी जायं तो आज कांग्रेस की सरकार जिस रूप में विकास

की योजना चला रही है, उससे अच्छी योजना चलेगी और जिस रूप में शिक्षा की व्यवस्था चल रही है उस से अच्छी व्यवस्था चलेगी। मुझे तो यह विधेयक देख कर आश्चर्य हुआ। श्रीमन्, बड़ा शोर हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य आपस में जोरों से बातचीत न करें तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने आज तक सिनेमा नहीं देखा है लेकिन सुना है कि सिनेमा के अन्दर सिगरेट, बीड़ी पीना मना है। लेकिन यहां सदन में कोई पान खा रहा है, कोई सुपारी काट रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---लेकिन यहां कोई सिगरेट नहीं पी रहा है ।

श्री राजनारायण---मगर शोर तो बहुत हो रहा है ।

यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक इस सदन में पेश है, इसको देख कर हमें दुख और आश्चर्य हुआ है। मैं समझता था कि सोशलिस्टक पैटर्न के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी तो सही मानों में इस सिद्धांत के अर्थ को इस विधेयक की धाराओं में पिरोयगी। मगर वह सारी बातें इस में नहीं दिखायी देती हैं। किसी भी माने में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संशोधन विधेयक जो आज इस सदन में उपस्थित है इस से पुरानी परिस्थिति में तनिक भी तब्दीली होगी। तब्दीली होना असम्भव और नामुमकिन है। इसके उद्देश्य और कारणों को रखते हुये इस सदन में जो एक बड़ी डींग हांकी जा रही है, इस सदन में गर्व से कहा जा रहा है और माननीय मंत्री जी की ओर से भी कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सरकार अडल्ट फ्रचाइज यानी बालिग मताधिकार लाना चाहती है, जो पहले नहीं था वह लाना चाहती है तो मेरा कहना यह है कि जब असेम्बली का चुनाव बालिग मताधिकार से हो रहा है तो फिर एक मिनट के लिये भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव बालिग मताधिकार से न कराना अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करना है। फिर उसी कर्त्तव्य को सरकार इस समय इस विधेयक में नहीं करने जा रही है। मैं आगे के लिये कहना चाहता हूं और श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं तथा इस सदन से भी निवेदन करता हूं कि सदन हमारे संशोधन के पक्ष में अपनी सम्मति दे। अगर हमारा यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जाता है तो हमने जिन बातों को रखा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर ये-ये काम आने चाहिये तो उन कामों के बारे में हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। हम इस विधेयक की धाराओं में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं और ऐसी नयी धारायें जोड़ सकते हैं जिनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा संस्थायें पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर हों। किताबों का छापना, किताबों को लिखवाना और किताबों को निर्मित करना, यह सारा का सारा काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर होना चाहिये। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि इस सदन में पुस्तकों की छपाई को लेकर कितना बावेला हो चुका है। सारी पुस्तकों की छपाई और उसकी जिम्मेदारी केन्द्रित हो कर सरकार के हाथ में आ गयी है। पाठ्यक्रम कैसा हो, पाठ्यक्रम क्या हो, ये तमाम जिम्मेदारियां सरकार के हाथ में आ गयी हैं। इसका नतीजा क्या होता है ? इसका नतीजा यह होता है कि स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाती है। जुलाई, अगस्त का महीना बीत जाता है और सितम्बर आ जाता है लेकिन किताबें छप कर स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये नहीं मिलती हैं। अगर हर जिले में यह व्यवस्था की जाय तो किताबें सही छपेंगी और किताबों को जल्दी-जल्दी बदलने का इतना समय नहीं होगा जिस प्रकार आज इस सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं। इस तरह से मैं श्रीमन्, आप के द्वारा सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सारी अनआर्म्ड पुलिस, बिना हथियार वाली पुलिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मातहत कर दी जाय तो यह बात निर्विवाद होगी। क्योंकि आज यह सरकार नौकरशाही के द्वारा तानाशाही पैदा कर रही है, विरोधी पार्टियों की सभा पर रोक लगाती है और जिस तरह से पुलिस प्रहार करती है और लूट का माल लेकर कन्धा उभारती हुयी कहती है कि सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग नहीं होनी चाहिये, अगर बिना हथियार की पुलिस को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत कर दिया जाय तो

[श्री राजनारायण]

यह बात असम्भव है । यह बात असम्भव थी, नहीं हो सकती थी, क्योंकि लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत जब यह बातें होंगी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आसानी से इन बातों को देख सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इस बात का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से क्या सम्बन्ध है, इतने विस्तार में इस वक्त जाना उचित न होगा ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसीलिये इस सम्बन्ध में अधिकार बढ़ाने का मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है । आज माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कथन मैं अपने पक्ष में रखना चाहता हूं, जब कि आजमगढ़ जिले में एक थानेदार गुंडई करके २७ तारीख को सोशलिस्ट पार्टी के प्रदर्शन को भंग करने की चेष्टा करता है तो अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह अधिकार दिया जाता तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जानकारी हासिल कर सकता है और आज तक उस पर प्रतिबन्ध लग चुका होता, उस पर रोक लग चुकी होती । आज वहां जो तानाशाही बढ़ रही है और उन लोगों की बरबरता की नीति बढ़ती चली जाती है, तो उस पर रोक लग चुकी होती, इसलिये श्रीमन्, मैं सख्ती बढ़ाने की बात कहता हूं ।

इसी तरह से श्रीमन्, मैंने विकास योजनाओं के सम्बन्ध में भी कहा है । आपने देखा होगा कि यहां गढ़वाल के लोग रोये, अल्मोड़ा के लोग रोये, नैनीताल के लोगों ने कहा, पश्चिमी जिले के लोगों ने कहा और अन्य जिलों के लोग बराबर कहते हैं कि हमारे यहां विकास नहीं हो रहा है । कोई कहता है कि हमारे यहां का जो पैसा है वह दूसरी जगहों में खर्च हो रहा है,इसलिये मैं चाहता हूं कि इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के संशोधन विधेयक के जरिये हम एक ऐसी धारा रखें जिससे कि जिन जिलों में जितनी रकम वसूल हो, उसका एक चौथाई हिस्सा सरकारी खजाने में जाये, एक चौथाई गांव पंचायतों में रहे और एक चौथाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रहे और इस प्रकार से एक चौथाई हिस्से से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने जिले के अन्तर्गत विकास के कार्यों को कार्यान्वित करेंगे और इस तरह से फिर किसी को इस बात की शिकायत नहीं हो सकती है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर सम्पूर्णानन्द हो गये, इसलिये बनारस में संस्कृत कालेज बन रहा है, बनारस के घाटों का नव-निर्माण कार्य हो रहा है । इसलिये जब सन् ५६ में दूसरा संशोधन विधेयक आये तो उसमें यथोचित सर्वांगीण व्यवस्था प्रस्तुत की जाय जिससे कि आज तक जो शिकायतें हैं, वे न रहने पायें और किसी भी चीज का सही माने में विकेन्द्रीयकरण हो । मैंने अभी, जबकि आप यहां पर उपस्थित नहीं थे एक बात कही थी कि इट इज दि वर्क दैट काउन्ट्स बट नाट नाउन । हम जो चाहते हैं, वही हमको काम करना चाहिये । माननीय मंत्री जी, जो पहले रिस्ट्रिक्टिड फ्रैंचाइज थी उसको हटाने जा रहे हैं, यह कैसे होता है, कहां होता है, केवल १०० नाम होते हैं और इसके द्वारा बोर्ड में परिवर्तन नहीं हो सकेगा । किसी जगह एक मेम्बर की जगह खाली हुयी, किसी में दो की जगह खाली हुयी तो केवल एक या दो मेम्बरों की जगह खाली होने से सारी परिस्थिति या ढांचे में तब्दीली नहीं होगी, ढांचा तो वही पुराने का पुराना रह जायेगा । फिर कैसे यह कहा जा सकता है कि यह सरकार बालिग मताधिकार देने जा रही है । अगर बालिग मताधिकार नहीं सरकार उचित समझती है, तब तो ठीक है लेकिन अगर देना चाहती है तो क्या वह दो महीने में पुनः चुनाव नहीं करा सकती थी । हम चुनाव नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसमें जो लिस्ट रखी जा रही है, इस विधेयक के अन्तर्गत, वह असेम्बली की लिस्ट रहेगी । आप जानते होंगे, सरकार जानती है और हम सब जानते हैं कि असेम्बली की नयी लिस्ट छप गयी । जब असेम्बली की नई लिस्ट छप गयी है और लिस्ट तैयार है, तो उसी लिस्ट के आधार पर दो या तीन महीने का समय काफी है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव क्यों नहीं करा दिया जाता है? इस बात के लिये क्यों डरा जा रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराया जायेगा तो इसमें कांग्रेस सरकार चारों खाने चित गिर जायगी, और आगामी असेम्बली के चुनाव में वह बवेला मचेगा, जिसके कारण वह विभूतियां जो आज उधर विराजमान हैं, न आ सकेंगी । यही डर आपके सामने है और इसी कारण से आप यह चुनाव नहीं करा रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---आप जैसी विभूतियां नहीं आयेंगी ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरी यह आदत है कि अगर कोई माननीय सदस्य हमें टोंक कर बोलना चाहते हैं तो हम उन्हें मौका दे देते हैं। हम मिनिस्टरों की तरह से हठवादिता नहीं करते हैं कि अगर हम बीच में बोलना चाहते हैं तो वे खड़े रहते हैं और हमको बोलने का मौका नहीं देते हैं। हम डिमोक्रेट हैं । हम यह चाहते हैं कि बीच में जो शंका उत्पन्न हो गयी है उसका समाधान हो जाय । हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम दूसरे माननीय सदस्य को अपनी शंकाओं को समाधान करने के लिये मौका दें । श्रीमान्, जो विधेयक इस समय हमारे सामने प्रस्तुत है, उस में मुझे एक बहुत ही आश्चर्य की बात नजर आती है। वह खंड २६-ए निकाल देने की बात है । २६-ए क्या है, इस धारा को क्यों निकाला जा रहा है, । उसके लिये मैं उस धारा को यहां पर पढ़ देना चाहता हूं। सारी धारा को तो पढ़ने का समय नहीं है, इसलिये मैं उसी हिस्से को पढ़ूंगा जो इससे सम्बन्ध रखता है:

"26—A General election of members every four years:—

There shall be a general election of members of all district boards every fourth year after the last general election on such date or dates as the (State Government) may, by notification in the official gazette, appoint in this behalf:—

Provided that the (State Government) may, by notification in the official Gazette extend from time to time the term of any board or boards and postpone the general elections of members thereof for a period not exceding one year at a time,

Provided also that the first election of a new board shall be held on such date as the (State Government) may, by notification in the official Gazette appoint in this behalf."

इसको निकाल रहे हैं। श्रीमान्, यह सन् २२ का है । अब आप जरा सन् ४८ का देखें २६-ए निकाल दिया जाय । इस की तरफ भी आप ध्यान दें कि सरकार इसको क्यों निकाल देना चाहती है ।

"*Conduct of elections and kindredmatters*—The following matters shall be governed by rule, namely :

(*a*) the preparation and revision of electoral rolls,

(*b*) the nomination of candidates."

कंडक्ट आफ इलेक्शन आदि जो बातें हैं वह तो पहले से ही लिस्ट में लिखी हुयी हैं। जो असेम्बली की लिस्ट होगी, जिस पर असेम्बली का चुनाव होगा, उसी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होगा । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

केवल नाम है और काम कुछ नहीं ।

"26—A There shall be a general election of members of all district boards every fourth year after the last general election, on such date or dates as the (State Government) may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf :

Provided that the (State Government) may, by notification in the official Gazette, extend from time to time of any board or boards and postpone the general election of members thereof for a period not exceeding one year at a time.

Provided also that the first election of new Board shall be held on such date as the (State Government) may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf."

[श्री राजनारायण]

श्रीमन, यह २६–ए कहता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जो आम चुनाव होगा वह ४ वर्ष तक के लिये होगा । चार वर्ष के बाद साधारण तरीके से उसका भी अन्त होगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का पुनः निर्वाचन होना चाहिये । अगर परिस्थिति विशेष यह है, तो वह परिस्थिति विशेष भी जिस रूप में मानी जाती है वह आप सब से छिपी हुई नहीं है । जब कोई लड़ाई की बात हो या कोई ऐसा कार्य विशेष हो जिस कार्य में कि देश लगा हुआ हो या कोई इन्टरनेशनल परिस्थिति की बात हो गई हो तो ऐसी परिस्थितियों में भी जहां कि इस तरह की बातें हों तो वहां पर लड़ाई के समय में भी चुनाव होते हैं । इसके उदाहरण इतिहास में मिलते हैं । मगर यहां के लिये कहा गया है कि चुनाव नहीं हो सके । सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हुये थे चार वर्ष तक वे चुनाव थे ४८ और ४, ५२ हुये और ५२ और ४, ५६ होते हैं। तो श्रीमन, समय बढ़ता जा रहा है, तभी मैं ट्रेजरी बेन्चेज के सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि और उनसे कहता रहता हूं कि वे किस माने में इस कांग्रेस हुकूमत को अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर समझते हैं और इसके लिये मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि चाहे वह १९१६ के म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के संशोधन के रूप में हो या कोई दूसरी बात हो मगर वह सफेद और काले रंग के भेद को स्वयं ही देख लें । तो हम खुद ही उसका भेद समझ सकते हैं । अगर हम जनता के अधिकारों को इस तरह से लेलेंगे तो इस तरह से कह देने से कोई चीज हल नहीं हो जाती है । मैं यही बात आप लोगों से जानना चाहता हूं । जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब बोर्ड के चुनाव का तीन वर्ष का समय था । तीन वर्ष बाद चुनाव होता था । फिर उसके बाद चार वर्ष का समय हुआ । चार वर्ष बाद यदि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेम्बरों का समय बढ़ाये या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये बढ़ाये तो एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती थी और इससे ज्यादा समय वह नहीं बढ़ा सकती थी । अगर आज अंग्रेजी हुकूमत यहां होती तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का पुनः चुनाव हो गया होता या नहीं ? यह मैं जानना चाहता हूं । इसलिये माननीय शास्त्री जी मैं आप को सम्बोधन करके कहना चाहता हूं कि आप पुरानी बातों की इस तरह से चर्चा न करें लेकिन मुझे बतलायें कि इसके लिये क्या बातें हो सकती है ? चाहे मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थ हों या हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थ हों तो उसको देखते हुये जम्हूरियत की कैसी लड़ाई होती है? माननीय श्री अली जहीर साहब जानते हैं कि जम्हूरियत की लड़ाई कैसे और कब लड़ी गई और यहां भी बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं । अगर पंचों के मत में राम को राज गद्दी देना पसन्द हो, तो प्रसन्नता के साथ दें, तो उस समय भी डिक्टेटरशिप और तानाशाही नहीं थी, वहां उस समय भी जम्हूरियत की कदर थी, उनसे मशविरा और सलाह लिये जाते थे। इस युग में हजारों वर्ष पूर्व फिर जो साम्राज्यशाही, बदमाश हुकूमत, पाजी हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत जिसको हम कहते थे ,जिसके लिये ८ अगस्त, १९४२ को महात्मा जी ने क्विट इंडिया का नारा बुलन्द किया था और उसको खत्म करने के बाद जब कांग्रेस की हुकूमत बनी तो फिर वह कैसा कानून बना रही है, अपने हाथ में कितने अधिकार ले रही ? क्या ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्य इस पर गौर करेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे और यह बतलायेंगे कि वह इस हुकूमत को किस माने में अच्छा कहने के लिये तत्पर हैं। अगर हम सदबुद्धि से काम लें और जन-तंत्र प्रणाली पर चलने के लिये सही रूप में समझें तो हमे कहना चाहिये कि यह सरकार गलत रास्ते पर चल रही है और हर समय ,हर पद पर और हर क्षण नागरिक अधिकारों को कुचलने के लिये तैयार है और हर समय, हर पद पर और हर क्षण वह जन-तंत्र प्रणाली पर कुठाराघात करने के लिये तुली हुई है। अगर ऐसी बात नहीं होती श्रीमन, तो जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें कार्यकाल क्यों उड़ाया जा रहा है, कितने समय के लिये बोर्ड का निर्वाचन होगा, कब तक सरकार इसका समय बढायेगी और कब तक नहीं बढ़ायेगी, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, इसकी कहीं गंध नहीं है और कोई बात नहीं

है, और माननीय मंत्री जी, जनतंत्र के वृक्ष की शीतल छाया में आनन्द विभोर हो रहे हैं। जनता के सारे अधिकारों का तुमने हनन किया है, अगर जनता चाहे तो क्षमा न करे और न क्षमा करना चाहिये ।

मैं श्रीमन, आपके द्वारा एक अपील फिर से करना चाहता हूं और ट्रेजरी बेंचेज के सम्मानित सदस्यों से करना चाहता हूं । विरोधी पक्ष के लोग तो इस बात पर एक मत हैं और वह अपने कर्त्तव्य को सरकारी पक्ष से ज्यादा समझ रहे ह । श्रीमन, एक तर्क माननीय मंत्री जी और देंगे और वह तर्क क्या हो सकता है ? मैं समझता हूं कि मैं इस समय वह तर्क न बतालाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा । कोई पक्ष के सदस्य बोलने को खड़े होंगे तो हो सकता है कि उनके मुखारविन्दु से वह निकल जाय । मै इतनी बात कहने के बाद आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके द्वारा सरकार की भावना की भी पूर्ति हो सकती है, गेंदासिंह जी की भावना की भी पूर्ति हो सकती है और जनता को जो आशा लगी हुई है उसकी भी पूर्ति हो सकती है, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होगा,नई शक्लें आयेंगी, नई जिन्दगी आयेंगी, नई तहजीब आयेगी और नया ढंग आयेगा, इस आशा की भी पूर्ति होगी जो इस विधेयक के द्वारा नहीं हो सकती है । इसलिये जो हमने संशोधन पेश किया है और सिलेक्ट कमेटी में भेजने का संशोधन रखा है तो वह उसी मकसद से रखा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को व्यापक अधिकार दिये जायं । श्रीमन, जब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को व्यापक अधिकार देने की बात कहता हूं, जब मैं कहता हूं कि बनाने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हो, शिक्षा का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हो ,पुलिस का अधिकार हो, रोशनी, सफाई, दवा और विकास योजना का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हो तो मैं माननीय गेंदासिंह जी की एक तर्क से सहमत नहीं हो पाता हूं आज हमारे देश में एक धारा बहाई जा रही है और इस धारा के त्रोहित करने वाले श्री विनोबा जी हैं, वह बराबर कह रहे हैं कि नान पार्टी पोलिटिकल सिस्टम हो, यानी गैर पक्षपाती, अदालती या ऐसी राजनीति बढ़े जिसमें किसी दल की विशेषता न हो ।

अच्छे आदमियों को एक जगह रहना चाहिये और उनको लेकर काम बढ़ाना चाहिये । यह ठीक है लेकिन अच्छाई और बुराई की क्या कसौटी है । पूंजीवादी ढांचे मे यकीन रखने वाला आदमी क्या जनता की आवाज को जान सकता है । पूंजीवादी मनोवृत्ति से ओत-प्रोत व्यक्ति कैसे इस ढांचे को चला सकता है । इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर जब हम इस संशोधन के अन्दर यह अधिकार देने जा रहे हैं तो विकास की योजनायें जो वहां पर कार्यान्वित होंगी वह अगर पूंजीवादी मनोवृत्ति के व्यक्ति से चलायी जायंगी तो वह जो उन योजनाओं को कार्यान्वित करेगा वह तो पूंजीवादी ढंग पर ही करेगा जिससे विषमता कायम रहे, जनता के बीच एक दरार कायम रहे और पुलिस जनता के सम्बन्ध दूषित रहें । वह जनता के बीच समान अधिकार को प्रतिष्ठित करने के लिये आगे नहीं बढ़ सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं और सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा कि जो व्यक्ति यह कहते हैं कि राजनीति से अलग रहे वह उतना ही राजनीति में लगे हुये हैं, वह राजनीति के उतने ही इच्छुक हैं । इसी प्रकार से गान्धी जी कहा करते थे कि यदि वह राजनीति की बात कहते हैं तो उसका अर्थ शुद्ध राजनीति है और राजनीति में सचाई और सदाचार बरतें । अगर आप राजनीति कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि राजनीति में हमेशा एक बेइमानी की जड़ रहे । इसलिये लाजिमी होगा कि शुद्ध राजनीति चलाने के लिये सचाई का आधार हो । इसलिये मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर ऐसे लोग जांय जिनकी शुद्ध राजनीति हो और किसी उसूल पर चलने वाले हों और जो किसी उसूल को मानने वाले हों । अगर इस प्रकार से खिचड़ी बनेगी जैसा कि संशोधन इस विधेयक के जरिये से होगा तो मैं अपने लायक दोस्तों से यह अपील करूंगा कि वह अनावश्यक समय इस भवन का इस विवाद में न गवायें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तमाम अच्छे आदमी हों । गांव पंचायत में अच्छे आदमी हों तो फिर असेम्बली में ही अच्छे आदमी क्यों न हों । तो यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता । दो ही बातें हो सकती

[श्री राजनारायण]

हैं या तो पोलिटिकल आधार पर राजनैतिक सत्ता विकेन्द्रित हो या कि राजनैतिक सत्ता गांव तक जायगी । लेकिन इस बात को न कह कर दिल्ली में राजनीति रहे और लखनऊ में राजनीति रहे क्यों कहा जाता है । यह राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है । इसलिये मैं अपने सम्मानित सदस्यों से बड़े अदब के साथ यह अपील करूंगा कि राजनीति को राजनीति की तरह से देखें । ऐसी बातें मत करें जिससे बदमाश लोग इस राजनीति में आकर रहें। गांव पंचायत में अच्छे आदमी रहे और जिलों में अच्छे आदमी रहे यह असम्भव चीज है, यह न कभी हुआ है और न हो सकता है । इस प्रकार से बुद्ध का जमाना गया राम का जमाना गया और कृष्णा का भी युग गया । यह सब लोग धर्म का पाठ पढ़ाया करते थे लेकिन आज क्या है । आज यह बड़े भारी नेता बनकर कहते हैं कि हम विशुद्ध राजनीति चला रहे हैं और पक्षातीत राजनीति चला रहे हैं । वे कैसे हैं इसको भी समझना चाहिये और दुनियां की बातों को समझना चाहिये । श्रीमन्, मैं इतिहास से यह उदाहरण पेश कर सकता हूं कि जब जब साधुता के द्वारा या दानी बन कर लोग सियासत में आये तब तब मामला गड़बड़ हुआ जब रावण ने भिखारी बन कर सीता का हरण किया ...

श्री उपाध्यक्ष—आप तो कुछ बहुत पुराना इतिहास वर्णन कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं उसकी ओर थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं । कर्ण को दानी बनाकर उसका कवच हरण किया, विष्णु ने भिखारी बन कर तीन कदमों में सारे विश्व को नाप लिया और आधे में उसके शरीर को नाप लिया तो इस प्रकार से जब जब राजनीति में दानी और भिखारी बन कर कार्य हुआ है तब तब गड़बड़ हुई है और इस प्रकार जो दानी और भिखारी बन कर जनता के बीच में जाते हैं वे जनता को आज बिगाड़ रहे हैं और उनको रूलिंग पार्टी की मदद है, वह उनको सहायता करती है । मेरा अपना विचार है कि विभिन्न उसूलों के आधार पर विभिन्न राजनैतिक दलों का निर्माण होना चाहिये फिर चाहे कोई चमार हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो अथवा और कोई हो सबको समान समझा जाना चाहिये । मानव से मानव ही पैदा होना चाहिये और कुछ नहीं हो सकता । मानव मानव में विभेद नहीं होना चाहिये । श्रीमान्, इस अपील के साथ और इस प्रार्थना के साथ कि ट्रेजरी बेंचेज के लोग और विरोधी पक्ष के लोग सभी इस संशोधन का साथ देंगे हमने जो संशोधन रक्खा है वह हमने सरकार की मुसीबतों को समझे हुए और नागरिकता तथा जनतंत्र की स्वतंत्रता के सिद्धान्तों की रक्षा के लिये रक्खा है । हमने यह रक्खा है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय उसके स्कोप को बढ़ाते हुए । अतः अन्त में मैं इन शब्दों के साथ कि सभी लोग हमारे संशोधन का समर्थन करेंगे मैं अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने प्रातःकाल से इस छोटे से अमेंडमेन्ट पर दो तीन माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना मैंने श्री गेंदासिंह और माननीय राजनारायण जी के भाषणों को यहां बैठकर सुना। मैं माननीय राजनारायण जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस अमेंडमेन्ट को मंजूर कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय। गेंदासिंह ने उसको मंजूर नहीं किया । मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज हमारे प्रान्त में ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहा है कारपोरेशन का चुनाव भी आने वाला है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव भी होने वाले हैं, सन १९५७ में जनरल इलेक्शन्स होने वाले हैं । अभी इस प्रदेश में हमने रिआर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को डिसकस किया था । उसके अनुसार हमारे देश को प्रबंध करना है यह मामूली काम नहीं है । देश के महान नेता सो नहीं रहे हैं, काम करने में लीन हैं यह नहीं कि वे जनता के अधिकार छीनना चाहते हों। अब हम जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव करना चाहते हैं वे जनतंत्रात्मक नियमों के

अनुसार ही करना चाहते हैं। असेम्बली के जो इलेक्टोरल रोल्स बने हैं कि हर १८ वर्ष से ऊपर की उम्र वाले को वोट देने का अधिकार हो उसी के अनुसार हम बोर्ड्स में भी चुनाव कराना चाहते हैं। हम उनको डैमोक्रेटिक सिस्टम पर चलाना चाहते हैं न कि किसी के सिर पर लादना चाहते हैं हम इस बिल के द्वारा जो पब्लिक को अधिकार देना चाहते हैं, वे इसमें बयान किये गये हैं। उनको मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं.....

"The by-election to fill a casual vacancy in a seat of a member of a board shall be held on the basis of adult suffrage".

इस में साफ लिखा हुआ है कि पुराना जो दकियानूसी तरीका था वह अब नहीं रहेगा और ये दो लाइन उस चीज को साफ कर रही हैं। हम सो नहीं रहे हैं, हम जागे बैठे हैं और यह सरकार पुराने अंग्रेजी जमाने के ऐक्ट को दफनाने जा रही है। वह सो नहीं रही है और राजनारायण जी को अब होश आना चाहिए कि सरकार इस तरफ बराबर कदम बढ़ा रही है। दूसरे आगे आप देखें तो सरकार यह भी कर रही है कि :

"Where a by-election is to be held in any constituency to fill a seat in a casual vacancy of a member of a board, the District Magistrate shall, if so directed by the Director of Elections :

(a) appoint an officer of the State government or of the board to be the Electoral Registration Officer of the specified constituency"

इस तरह से सरकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दे रही है कि वह किसी भी प्रदेशीय सरकार के अधिकारी को नियुक्त कर देगा और वह सब कार्य देखेगा और मैं समझता हूं कि यह एक जनतंत्र प्रणाली होगी। उन्होंने न जाने कहां के जनतंत्र के इतिहास और मोहम्मद साहब की बात कही और राजनीति की बड़ी बड़ी पद्धति का वर्णन किया, लेकिन मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में ४ बातें होती हैं साम, दाम, दंड और भेद। जिस में यह ४ बातें नहीं हैं उस को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवनारायण बार बार राजनारायण, राजनारायण कहकर उनको पुकार रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि किसी भी सदन के माननीय सदस्य को 'माननीय' आरम्भ में लगाकर या बाद में जी कह कर पुकारें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य को "माननीय" लगाना ही चाहिये।

श्री शिवनारायण---राजनीति की पद्धति तो विरोधी दल के लोग बहुत बताते हैं लेकिन वह यह नहीं जानते कि किस प्रकार कहां राजनीति बदलनी चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति से परे है। जो राजनीति से परे है उसको यहां रहना ही नहीं चाहिए। मुझे याद है कि हमारे यहां के एक महान बुजुर्ग ने इस विषय में पिछली बार एक श्लोक कहा था मैं उसको यहां दोहराना नहीं चाहता और उन्होंने उसके द्वारा राजनीति की व्याख्या प्रकट की थी जिसको सुनकर मुझे दुख हुआ और उसको मैं इस समय कहना भी नहीं चाहता। इसलिये राजनीति से कोई परे रह नहीं सकता। मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि यदि हम ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें सरकार या कोई तरह की रुकावट डालना नहीं चाहता। हम इस बात को स्वयं मानते है कि अगर किसी तरह की जिला बोर्डों में गड़बड़ी है तो उसे हमें ठीक करना चाहिये और अगर उनको जब्त ही कर लिया जाय तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि पंचायतें हैं और इस तरह से जो दो अमली हुकूमत चल रही है इसलिये यह किसी ने नहीं कहा कि इनको क्यों न बिलकुल खत्म ही कर दिया जाय। ऐसी चीज कहना चाहिए जिससे सरकार के दिमाग पर ठेस पहुंचे और उसको कुछ सूझे और समझ में उसकी आ जाय। आप कहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ही हटा दिया जाय यह बात अगर उधर से कही जाती

[श्री शिवनारायण]

तो समझ में आ सकती थी। एक तरफ तो वह कहते हैं कि वह बहुत खराब है और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि उनको पुलिस फोर्स दे दिया जाय। यह परस्पर विरोधी बातें कहना मेरी समझ में नहीं आता। अगर खराब हैं तो उनको पुलिस फोर्स और हायर सेकेन्डरी शिक्षा का प्रबन्ध कैसे दिया जाय ? सरकार उनको एबालिश करके पंचायत राज को पूरा अधिकार दे। मैंने इस बारे में गांवों के सरपंचों से बात भी की और उनसे मैंने कहा कि तुम खुद वह इंतजाम अपने हाथ में ले लो और तीन और चार रुपया फीस की जगह दो ढाई रुपया फीस लड़कों की जूनियर हाई स्कूल में रखो और बी० ए० और एम० ए० पास अध्यापक अपने यहां रखो उन पर तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है और प्रबन्ध अच्छा हो सकता है।

जो कार्य यह गवर्नमेंट पंचवर्षीय योजना के द्वारा करने जा रही है उसके लिये हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर क्यों भरोसा रखें। यह बड़ी ही राटेन मशीनरी है और इसको हटा देना ही उत्तम है। चूंकि गवर्नमेंट अभी हटा नहीं रही है इसलिये यह सुभीता उनको दिया जा रहा है कि जो सीटें खाली हैं उनको चुनाव द्वारा भर देना चाहिये। लोग कहते हैं कि हमारा एलेक्शन नहीं होता है, बोर्ड से सड़कें नहीं बन पातीं, पुलियां नहीं बन पातीं, लेकिन यहां यह नहीं कहा जाता कि इसको खत्म कर दिया जाय। यह कहा जायगा कि राजनीति क्या, इंगलैन्ड, जर्मनी और जापान की बातें कही जायेंगी, सीता और राम की बातें कही जायंगी, लेकिन जो असली बात है वह कोई नहीं कहेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो फार दि टाइम बीइंग रखा है वह ठीक रखा है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि गवर्नमेंट को बोर्डों को हटा देना चाहिये और जो पंचायतें हमारी बनी हुई हैं उनके ही द्वारा सही मानों में हमारे गांवों का डेवलपमेंट हो सकता है। म्युनिसिपैलिटियां तो ठीक हैं इसलिये कि उसमें चुनाव होता है लेकिन इन बोर्डों की क्या जरूरत जब पंचायतें हैं।

हमारे मित्र ने इशारा किया कि यह गवर्नमेंट घबड़ाती है कि अगर कहीं बोर्ड का चुनाव हुआ तो हम हार जायंगे। लेकिन अभी म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव हुआ है। उसका नक्शा हमारे सामने है। कहीं आज विद्ड्राअल हो रहा है, कहीं नो कान्फीडेंस। तो हम इसलिये धीरे-धीरे चल रहे हैं, घबड़ाते नहीं हैं। आज की कुर्सी पर बाबू सम्पूर्णानन्द बैठे हैं, बड़े घाघ लोग बैठे हुये हैं, आप इनको कमजोर खिलाड़ी न समझिये। उन्होंने अंग्रेजों से खेला है वे लोग राजनीति के महान् पंडित हैं और माननीय राजनारायण के गुरू हैं जो यहां बैठे हैं और जो राज्य का शासन चला रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि सही बात कही जाय। मैं बहुत वेलकम करता। यदि माननीय गेंदा सिंह जी या माननीय राजनारायण जी यह कहते कि बोर्डों को अबालिश कर दिया जाय। मैं उनके साथ होता। बहरहाल, मैं गवर्नमेंट से अब कहता हूं कि जो अमेंडमेंट उसने अब किया है वह ठीक है और जल्द से जल्द उन खाली जगहों का चुनाव कर के फिल अप कर देना चाहिये, लेकिन यह मैं विरोधी दल के लोगों को बतलाना चाहता हूं कि सिटीजनशिप के राइट को आज हर आदमी समझता है। आज सब अपने अधिकारों को पहचानते हैं और आज उनकी डिमांड है कि बोर्ड का चुनाव हो। कोई ऐसा मेम्बर न होगा जो यह न चाहता हो कि बोर्ड का चुनाव जल्द से जल्द हो जाय। मैं इन शब्दों के साथ गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द वहां का चुनाव करवा दें। एक बात इसमें बहुत अच्छी है कि इसमें जो मुस्लिम सीट्स पहले रिजर्व थीं वे नये कांस्टीट्यूशन के अनुसार ज्वाइंट एलेक्टोरेट बेसिस पर भरी जायंगी और इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि जो मुसलमान होंगे वह चुन कर आ जायं और इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह तमाम बातें जो इसमें रखी गयी हैं वह बहुत मामूली सी हैं और उचित हैं और इसके बारे में जो जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर दिया जाय। हरिजनों की सीटें खाली हो गई हैं। वे लोग कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, न नामिनेशन होता है न चुनाव होता है। तो अगर सरकार जनवरी में भी ऐसी सीटों का चुनाव करवा दे तो बड़ी कृपा होगी और अन्त में मैं आप से कहूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सलाम कर दें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वहां का जो शिक्षा विभाग है वह

बिलकुल राटेन है। वहां के लोग दिल खोल कर कहते हैं कि गवर्नमेंट यदि शिक्षा विभाग को अपने इंस्पेक्टरों को दे दे तो हमारा विश्वास है कि यह गवर्नमेंट सीमेंट हो जायगी और इसको कोई हिला नहीं सकता। आज उनको बहुत परेशानी है वहां के जो टीचर्स हैं जो नार्मल पास विद्यार्थी हैं आज उनको वहां जगह नहीं दी जा रही है। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि इस सम्बन्ध में उसे कड़े स्टेप्स लेना चाहिये, जो गड़बड़ियां आज बोर्डों में हैं उनको हटा दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कों की जो रूप रेखा बहुत विकृत हो गई है उधर भी ध्यान दिया जाय। मेरी कांस्टीट्युएंसी में एक सड़क है। मैं उसको हिन्दुस्तान पाकिस्तान कहता हूं क्योंकि आधा हिस्सा पी० डब्लू० डी० का है और आधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। उस पर चलने से मोटर टूट जाती है, साइकिल फंस जाती है, और साइकिल चलाना आदमियों के लिये दुश्वार हो जाता है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की आंख खुले और कान सुनें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो गड़बड़ियां हैं वे दूर हो सकें, वर्ना गवर्नमेंट अपने हाथ में इन्तजाम ले जहां पर ये गड़बड़ियां कायम रहती हैं और पंचायतों को मजबूत किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर बोर्ड्स को रखना है तो ठीक तरह से रक्खा जाय और चेयरमैन जो रक्खे जायं वे पेड रक्खे जायं। जो आनरेरी काम करते हैं २ घंटे बोर्ड में और ४ घंटे वकालत वे क्या काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि बोर्ड्स की जितनी गड़बड़ियां हैं उनको सरकार एबालिश करे और यह जो कहा जाता है कि अंग्रेजों की तरह अब भी डिक्टेटरशिप है यह गलत है। हम लोग अपनी ड्यूटी और फर्ज समझ कर ही सरकार से ऐसी बातें करने को कहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी यह ऐक्ट पास करे और १००, १२५ सीट्स जो खाली पड़ी हैं उनका चुनाव करावे।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा संशोधन जो माननीय स्वशासन मंत्री ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज जिला बोर्ड की जो स्थिति है वह बड़ी दयानीय है। यह अवश्य है कि जिला बोर्डों के जनरल इलेक्शंस हों, लेकिन इससे पहले कि उनकी आगामी रूप रेखा क्या होगी उस पर सुस्थिर चित्त से विचार कर लिया जाय और पंचायतों के साथ जिला बोर्डों का क्या सम्पर्क होगा और जिला बोर्डों का सरकार के साथ क्या सम्बन्ध होगा, इन चीजों को सामने रख कर यदि हम एक बार जिला बोर्डों के संगठन के सम्बन्ध में विचार नहीं करते तो आज की जो स्थिति है वह ऐसी लगती है जैसे धर्मान्धता के नाम पर चलने वाली गोशालाओं की स्थिति है। यह बात सही है कि हमारे सामने बड़ी-बड़ी महती समस्यायें हैं, जिनकी वजह से हम जिला बोर्डों के साधारण चुनाव की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आज जिला बोर्ड जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनको बहुत दिनों तक रखना उचित प्रतीत नहीं होता। एक बात मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन में जहां उन्होंने सदस्यों के उपनिर्वाचन की मांग की है एडल्ट फ्रैन्चाइज के आधार पर वहां मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जनरल इलेक्शंस में प्रेसीडेंट्स का चुनाव जो हुआ था उस में बहुत से चेयरमैनों के मर जाने की वजह से या इस्तीफा दे देने की वजह से उनके स्थान पर वहां के सदस्यों ने ही उन रिक्त स्थानों पर किसी को चुन लिया और वे ही आज तक काम करते चले आ रहे हैं और इस तरह से जहां प्रेसीडेंट्स को उप चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि सदस्यों द्वारा चुन कर बैठा दिया गया है उन प्रेसीडेंटों का चुनाव भी इन्हीं सदस्यों के साथ एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर कराया जाय।

इस छोटे से संशोधन के विरोध में विरोधी दल के भूतपूर्व माननीय नेता राजनारायण जी ने जो बातें राजनीति, शुद्ध राजनीति इत्यादि की कीं, हमारा ऐसा ख्याल है कि वे असंगत, असामयिक और असम्बद्ध थीं। उन बातों का प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि शुद्ध राजनीति का पाठ यदि उन्हें पढ़ाना है तो सब से पहले वह शुद्ध राजनीति का पाठ स्वयं अपने को दें। यदि शुद्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

राजनीति के आधार पर वह चले होते तो शायद कांग्रेस को छोड़ कर, उनको बाहर निकल जाने की आवश्यकता न थी। किन्तु राजनीति के सिद्धांत के आधार पर कोई दल का विलगाव हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। सत्ता प्रियता की दृष्टि से, किस प्रकार येनकेन प्रकारेण सत्ता अपने हाथ में लें, इस प्रज्वलित आकांक्षा से अनुप्राणित हो कर जो विरोधी दल बनते जा रहे हैं यदि वे शुद्ध राजनीति का पाठ पढ़ाएं तो इससे अधिक आश्चर्य की क्या बात हो सकती है। इस पर और अधिक मैं समय नहीं लेना चाहता।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वह मेरे सुझाव पर एक बार विचार करें। जहां इन सदस्यों का उपनिर्वाचन कराने जा रहे हैं उसके साथ साथ ऐसे प्रेसीडेंटों का भी उपनिर्वाचन होना चाहिये जो कई वर्षों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों द्वारा निर्वाचित हो कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य चला रहे हैं। थोड़े से आदमी किसी गुट-बन्दी से आकर, दल के प्रभाव में आकर, ऐसे प्रेसीडेंटों का निर्वाचन कर देते हैं जो उस कार्य भार को उठा सकने में सक्षम और समर्थ नहीं हैं इसलिये वहां उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत और खराब हो जाती है। यदि माननीय राजनारायण जी के कथनानुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अधिक अधिकार देने हैं तो मैं यह कहूंगा कि आज की हालत में जैसा भाई शिवनारायण जी ने कहा शिक्षा का, सड़कों का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राप्त धन का व्यय नहीं कर सकता जन हित कार्य में, उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अधिक अधिकार दे दिया जाय आज की ऐसी स्थिति में, हमारा ऐसा खयाल है कि बंदर के हाथ में तलवार दे देना होगा। इससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा और सार्वजनिक हित होने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का अपने सुझावों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधित विधेयक के सम्बन्ध में वह आम बातें नहीं कहना चाहता जो कि हमारे साथियों ने कही हैं। उनको दोहराना भी ठीक नहीं है, हालांकि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में काफी जानकारी है। जो यहां हाउस के समक्ष संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन्हीं तक मैं अपने विचारों को सीमित रखूंगा। जहां तक विरोधी दल के नेता साबिक ने जो संशोधन सेलेक्ट कमेटी के लिये रखा है उसका तो मैं विरोध करता हूं। ऐसी स्थिति में जब कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कुछ ही धाराओं को टच किया है, कुछ ही धाराओं में संशोधन करने जा रही है, यदि सलेक्ट कमेटी को यह विधेयक भेज भी दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि नियमों के अन्तर्गत ऐसी धाराओं को टच किया जा सकता है जिनका कि सरकार इस विधेयक के द्वारा संशोधन करने जा रही है। अगर वास्तव में वह चाहते ही थे विरोधी दल के नेता साबिका, कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा ही जाय तो उनको सरकार से यह अपील करनी चाहिये थी कि इस विधेयक को वापस करे और इसके स्थान पर दूसरे विधेयक को लाये और ऐसी तमाम धाराओं में संशोधन हो और बाद में वह सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जायगा।

जहां तक रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज और एडल्ट फ्रेंचाइज का संबंध है, मैं मंत्री महोदय के कार्य की सराहना करता हूं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी एक आम आधार जो कि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अन्तर्गत माना गया है उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में भी अपनाने जा रहे हैं? क्योंकि यह आधार सभी चुनावों में माना गया है---चाहे वह चुनाव हमारी ग्राम सभा के हों, असेम्बली के हों या पार्लियामेंट के हों। लेकिन इस सम्बन्ध में मुझको कुछ जरा हिचक सी है और वह यह है कि किसी संस्था के लिये, सदस्यों के निर्वाचन के लिये आप को एक ही आधार रखना पड़ेगा, या तो एडल्ट फ्रेंचाइज या रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज। यह तो ठीक है कि कुछ समय के बाद एक ही आधार होगा और वह एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सौ स्थान रिक्त हो चुके हैं और उनका चुनाव कराना है। तो जहां तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अभी ढाई हजार या तीन

हजार मेम्बर्स अभी तक हैं तो आमतौर से रिक्त स्थानों को छोड़ कर उनका आधार तो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज होगा जिसके आधार पर कि अब तक वह निर्वाचित किये गये हैं, लेकिन जो सरकार का विचार है कि सौ रिक्त स्थानों का चुनाव शीघ्र से शीघ्र कर दिया जाय और उनका चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा जब कि हमारा यह विधेयक पास हो जायगा। इस तरह से जब सौ स्थानों की पूर्ति हो जायगी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक रूप होगा उसके दो आधार होंगे।

अधिकांश सदस्य ऐसे होंगे जो कि सन् ४८ में आप के रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के आधार पर चुने गये, लेकिन कुछ सदस्य ६ मास के अन्दर सम्भवतः ऐसे होंगे जिनका कि आधार एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। तो किसी संस्था में एक साथ दो अधार होना मैं तो समझता हूं कि कुछ जरा अन-डेमाक्रेटिक सा मालूम पड़ रहा है। मैं तो समझता हूं कि इसमें कुछ कानूनन या वैधानिक आपत्तियां भी आगे चल कर आ सकती हैं, क्योंकि आधार एक ही हो सकता है, या तो एडल्ट फ्रेंचाइज या रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज। तो सरकार के सामने मेरा यह प्रश्न है कि दो आधार किस तरह से हो सकते हैं? कुछ महीनों के बाद जब हम देखेंगे कि एक ही बोर्ड में दो तरह से चुने हुये सदस्य मौजूद हैं तो आगे चल कर बहुत सी कठिनाइयां पड़ सकती हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अधिक विचार कर सकेंगे।

दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक में जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय, कहा, मैं आम बात कहना नहीं चाहता, यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में इस समय सदस्यों के कई स्थान रिक्त हैं, और उनके लिये उपनिर्वाचन होने हैं, अतएव उक्त ऐक्ट में तुरन्त ही ऐसे संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिनके फलस्वरूप केवल अनुसूचित जातियों के लिये स्थान रक्षित रखते हुये उप-निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जा सकेंगे।

जहां तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न है कानून और विधान की दृष्टि से अमेंडमेंट लाया गया है कि जितनी उनकी संख्या है उसके अनुपात से भिन्न भिन्न संस्थाओं में उनका निर्वाचन हो सके। १९४८ में शेडयूल्ड कास्ट के लिये सीट्स रिजर्व अवश्य थीं, लेकिन वह उस अनुपात से नहीं थीं, जितनी कि संख्या आज है। अब सरकार हाउस के समक्ष कह रही है कि १०० सीट का निर्वाचन होने के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानने के लिये इच्छुक हूं कि जहां तक सरकार यह कह रही है कि हम अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखते हैं और ऐसी १०० सीटों के लिये जो चुनाव होगा तो क्या उद्देश्य कारणों में जो इबारत है उस से उनके स्थानों की पूर्ति हो जायेगी। १०० सीटों में किस तरह से उनकी संख्या का अनुपात होगी और किस तरह से उसकी पूर्ति हो सकेगी यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे यह भी संदेह है क्योंकि इस विधेयक में कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये १०० सीट्स होंगी और इसमें अनुसूचित जातियों की संख्या सुरक्षित हो जायेगी या नहीं। जब इस तरह से कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण इस नतीजे पर हम आ सकते हैं कि अनुसूचित जातियों को वहां कोई संरक्षण नहीं होगा। लेकिन जहां तक हम उद्देश्य और कारणों को देखते हैं तो वहां पर सरकार ने दिया है और उनके स्थानों को सुरक्षित करने के लिये एक जरा सा संकेत किया है। वहां विधेयक में इस तरह का कोई उल्लेख न होना और उद्देश्य तथा कारणों में इसका जिक्र होना ये दोनों पारस्परिक विरोधी हैं। अब मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं होंगे लेकिन अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रख सकते हैं या नहीं। जहां तक जो कमियां या कुछ खामोशी मैंने विधेयक के अन्दर देखी है उपाध्यक्ष महोदय, वह मैंने हाउस के सामने और मंत्री महोदय के सामने विशेष रूप से रख दी है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव का सवाल है, मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि यह जरूर कुछ आम सी चीज हो गयी है और चूंकि आम लोगों की भावना है और उस भावना में शिरकत करते हुये और इस सम्बन्ध में हमारे कुछ साथियों ने

[श्री वीरेंद्रपति यादव]

भी कहा है कि आज इस विधेयक को देखते हुये कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सरकार अनिश्चित काल तक के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव टाल रही है, हालांकि सरकार की नीयत और भावना अच्छी है और जनता के सामने भी वह अच्छी और नेक भावना है लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि इसमें कुछ रहस्य मालूम पड़ता है।

यह ठीक है कि सरकार के सामने कठिनाइयां हैं जिसके लिये हो सकता है कि जब असेम्बली के लिये आम चुनाव ५७ में होने वाले हैं तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये चुनाव किये जावें। लेकिन यह कुछ उचित जंचता नहीं मालूम पड़ता है। जब सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव हुआ था तो उसके बाद हम देखते हैं कि आज ७, ८ साल हो गये हैं लेकिन चुनाव नहीं कराये गये। जब हम इस सदनमें आये थे तो हमने मंत्री महोदय से प्रश्न किये हैं, मंत्री महोदय जो इस वक्त हैं या आप के पूर्व जितने मंत्री महोदय रहे हैं तो हमें यही उत्तर मिलते रहे हैं कि सरकार हाउस के समक्ष एक संशोधन विधेयक लाने वाली है और उसके आने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव कराने वाली है। अगर मेरी याद मुझे धोखा नहीं देती है तो सन् ५२ से हमें इस तरह से जवाब मिलते रहे हैं। तो इन जवाबों को देखते हुये जब सरकार और जनता की भावना एक है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराने में कोई देरी नहीं होनी चाहिये। यह एक छोटा सा विधेयक सदन के सामने लाया गया है। यह एक उसूल और सिद्धांत पर आधारित है लेकिन जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स संशोधन विधेयक का प्रश्न है जिसमें सरकार एक मौलिक परिवर्तन करना चाहती है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहती है तो हमारी सरकार कुछ और परिश्रम करती या कुछ मस्तिष्क व शारीरिक श्रमदान और करती तो आज सरकार इस विधेयक को तीन साल से लाने की सोच रही है, उसको कुछ पहले से ही सोच लिया जाता, तो आज यह बात बिलकुल नहीं होती और कम से कम इस अवधि में ऐसा विधेयक लाया जा सकता था जिससे हम लोगों को भी सन्तोष होता, जो भिन्न-भिन्न दलों के, राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, उनको भी सन्तोष होता और खास तौर से हमारी जनता को सन्तोष होता। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि आज सरकार की तरफ से देरी अवश्य हो रही है और उसके क्या कारण हो सकते हैं, मैं इस पर क्या प्रकाश डाल सकता हूं यह तो सरकार स्वयं अच्छी तरह से विचार कर सकती है। लेकिन हम सरकार से विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि जब हमारी केन्द्रीय सरकार इस बात पर तुली हुयी है और ठीक ही तुली हुयी है कि टाइमटेबुल के अनुसार जो हमारा कार्यक्रम है और जो भिन्न-भिन्न कानूनों के लिये अवधि दी गयी है, चुनावों की अवधि दी गयी है तो हम उस पर पाबन्दी करें और उसके अनुसार अपना कार्य करें। आज सरकार इस बात पर तुली हुयी है कि पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव, विधान के अन्दर जो अवधि है, उससे पहले ही हो जाने चाहिये और इस बात के लिये मैं केन्द्रीय सरकार की सराहना करता हूं। इसी तरह से मैं भविष्य में उत्तर प्रदेशीय सरकार से भी आशा करता हूं कि जहां तक चुनावों का मसला है, कम से कम वह केन्द्रीय सरकार का अनुकरण करे, ताकि भविष्य में ऐसी चीज न हो सके और खास तौर से जो हमारे विरोधी दल के सदस्य हैं, या नेता हैं, वह कम से कम ऐसी बातें न कहें जिससे जनता के अन्दर एक भ्रम पैदा हो सके, और मैं समझता हूं कि सरकार की इसी में शान और मान है कि टाइम टेबुल के अनुसार जो समय दिया गया है हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिये। मेरे पास इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून नहीं है इसलिये मैं उसको नहीं देख सका लेकिन मेरे एक साथी ने २६-ए का जिक्र किया कि उसको सरकार निकालना चाहती है। मैं नहीं जनता कि यह कहां तक ठीक है, मैं यह भी नहीं बता सकता हूं कि यह ठीक है या गलत है, लेकिन अगर यह ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा अनिश्चित काल के लिये होगा या नहीं होगा, अगर निश्चित काल के लिये होगा तो उसमें सरकार को समय समय पर परिवर्तन करने, विचार करने और घटाने का मौका होगा। इसलिये मैं समझता

हूं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये। मेरा तो अपना विचार है कि हमारे मंत्री महोदय एक अनुभवी व्यक्ति हैं और उनसे हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में जब वह व्यापक रूप में इस विधेयक को लायें तो उसमें एक अवधि निश्चित होनी चाहिये। उसमें यह भी नहीं होना चाहिये कि सरकार एक एक साल के लिये उसके चुनाव की अवधि बढ़ा दे,जैसी कि आजकल बढ़ाई जा रही है,इसमें जनता को असन्तोष होता है। हम लोगों को संतोष हो भी सकता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर प्रकृति का मनुष्य होता है और हर तरह की भावनायें हुआ करती हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इन शब्दों के साथ अपने विचार व्यक्त करने के बाद बैठ जाता हूं कि सरकार इस विधेयक को ला रही है और उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार से अपील करना हमारा अधिकार है और सरकार को हमारी अपील सुनने का अधिकार है और उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का भी अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से देर नहीं करनी चाहिये, यही मैं निवेदन करूंगा। यदि सरकार देर करती है तो जनता के विचार सरकार की तरफ से बेरुखे हो सकते हैं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं आज प्रातः काल से प्रस्तुत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विधेयक पर जो भाषण हो रहे हैं, उनको गौर से सुन रहा हूं। विरोधी पक्ष की ओर से माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय राजनारायण जी का भाषण हुआ है। माननीयगेंदा सिंह जी ने इस विधेयक का विरोध किया है लेकिन माननीय राजनारायण जी ने विरोध के शब्द का तो प्रयोग नहीं किया लेकिन उनके कहने का मतलब यह था कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय, इसका अर्थ यही हुआ। कुछ माननीय सदस्य इसके मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे इस में कुछ थोड़ी सी तरमीम चाहते हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में बोलते हुये माननीय श्री राजनारायण जी ने सदन का बहुत सा समय लिया और उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ भाषण दिया, जैसी कि उनकी आदत है। उन्होंने लोकतंत्र पद्धति पर भी अपने विचार प्रकट किये। वे सरकार को भी कुछ सुनाना चाहते थे, वह उन्होंने सुनाया, जैसी कि उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि सरकार नियम से नहीं चलती है और लोकतंत्र के सिद्धांतों को नहीं मानती है, ऐसे ही विशेषणों से उन्होंने सरकार को सुशोभित किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक को देखने से प्रमाणित होता है कि सरकार का विचार क्या है। सरकार लोकतंत्र पद्धति को अपनाना चाहती है। इस विधेयक में रखा गया है कि चुनाव बालिग मताधिकार पर ही होंगे। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव बालिग मताधिकार पर ही होंगे तो क्या इस बात से प्रमाणित नहीं होता है कि सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानती है। उनको सरकार की बातों से आश्चर्य होता है परन्तु मुझे तो उनके भाषण को सुनकर ही आश्चर्य हुआ। मैंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ा है मुझे विश्वास है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने भी इसे पढ़ा होगा। जिन माननीय सदस्यों ने इसके उद्देश्य और कारण को पढ़ा है वे कभी भी इस बात को नहीं कह सकते हैं कि यह विधेयक लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसमें यह कहा गया है कि जिन लोग को असेम्बली में वोट देने का अधिकार है, वे लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उपनिर्वाचन में भी वोट देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि यह एक बहुत ही छोटा सा विधेयक है, परन्तु मैं इस के साथ ही साथ यह जरूर कह देना चाहता हूं कि यह विधेयक लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल है। इस विधेयक से भी मालूम होता है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला बोर्डों में १०० स्थान खाली हैं जिनकी पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है। हम भी चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाय। मैं तो इस बात को उचित समझता हूं कि बोर्डों में जो स्थान खाली हैं उनका चुनाव तुरन्त करा दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने ऐसे स्थानों की संख्या १०० बतलायी है अगर इनको खाली रखा जायगा। तो ये लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, इस लिये मैं उस बात को अनुचित समझता हूं जैसा कि माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने भी कहा कि लोकतंत्र में हर क्षेत्र का प्रतिनिधि ऐसी संस्थाओं में अवश्य होना चाहिये। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के लाने पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहिये था, उनकी सराहना करनी चाहिये थी और

[श्री व्रजबिहारी मिश्र]

उनका बहुत आभारी होना चाहिये था। यहां पर चुनाव के बारे में कुछ बातें कही गयी। हम भी इस को मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुये कई वर्ष हो गये हैं,इस का चुनाव सन् ४८ में हुआ था और अब सन् ५५ चल रहा है।इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि इसमें देरी हो गयी है और अब इसका चुनाव हो जाना चाहिये । मैं भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से २४ वर्षों से सम्बन्ध रखता हूं और काफी वर्षों से उसका सदस्य हूं और किसी न किसी अधिकारी के रूप में मैं बोर्ड का कार्य करता रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि उचित यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जब रूप रेखा बनायी जाये, तो हम लोगों से भी पहले ही राय ले ली जाय । बिल बन जाने पर राय लेने का कोई महत्व नहीं है, उससे पहले यदि हम लोगों से राय ले ली जाय तो अच्छा होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत बहुत खराब हो गयी है । चुनाव में देर होने के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत खराब हो गयी है, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का ऐक्ट सन २२ में बना था और सत्य बात यह है कि तब से इसमें कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिये था । आज भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में दुहरी हुकूमत चल रही है । डिप्टी इन्सपेक्टर के पास जो चपरासी है उस पर भी अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है, डिप्टी इन्सपेक्टर को प्रेसीडेन्ट के मातहत कर दिया जाय, आज चाहे वह काम करने को करता है परन्तु उस पर कोई अधिकार प्रेसीडेन्ट का नहीं है और कायदे के अनुसार वह अध्यक्ष के मातहत नहीं है । वैसे काम करने के लिये वह सब काम करता है । मैं समझता हूं कि इस तरह के संशोधनों से काफी सुविधायें बोर्डों को मिल जायेंगी । मैं भी मंत्री जी की सराहना करता हूं, परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह सुझाव भी देना चाहते हूं कि आप जब इसके लिये कानून बनायें,तो उस कानून में यह भी बात रहे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के आधार भूत जो सिद्धांत हों, जो आधार हमने लोकतंत्र प्रणाली पर निर्धारित किया है,डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कानून में उसी के अनुसार परिवर्तन होने चाहिये । माननीय शिवनारायण जी का सुझाव है कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को समाप्त कर दें और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट तीन मुख्य कर्त्तव्य हैं,सेनीटेशन, कम्युनिकेशन और एजूकेशन अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात इन तीनों कामों के आप स्थानीय अधिकारियों के सुपुर्द कर दें या तो आप डिस्ट्रिक्ट बोर्डस एक्ट को इस तरह से संशोधित करें कि प्रेसीडेंट को अधिक से अधिक अधिकार आप दे सकें, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने सुझाव दिया कि प्रेसीडेंट को पुलिस के अधिकार भी दिये जाने चाहिये और उसे दूसरे पूरे-पूरे अधिकार भी मिलने चाहिये, जो बातें आज नहीं हैं । पंचायतोंपर भी उसका अधिकार रहना चाहिये। या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त कर दिये जायें या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के प्रेसीडेन्ट को पूरे-पूरे अधिकार दिये जायें जिससे कि वह उनका उपयोग जनहित में कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक पर मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इसके विरोध में जो कुछ कहा गया है, वह सिर्फ विरोध के लिये कहा गया है । माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बातें कही हैं,उनमें भी कोई ऐसा महत्व नहीं है और न श्री राजनारायण जी ने जो बातें कहीं, उसी में कुछ तत्व है। उनकी तो कहने की आदत ही है। वे पौन घंटे तक बोलते रहे और उससे कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो कि उन्होंने यहां कही, कि जिसका कोई सम्बन्ध इस विधेयक से हो। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही अब समाप्त कर दी जाय क्योंकि हम सब को एक जगह चाय पर जाना है और कल तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---इस विषय में माननीय मंत्री महोदय क्या राय रखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं नहीं समझता कि यह वजह काफी है कि इस समय अब असेम्बली खत्म कर दी जाय ।

राजा बीरेंद्र शाह--मैं शायद अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका। मैं यह कहना चाहता था कि आज हम सभी लोगों को आनरेबुल मिनिस्टर चरण सिंह जी के यहां निमंत्रण है और आज उनकी लड़की की शादी है। मैं यह समझता था कि शायद सरकार भी यह बात मान जायेगी क्योंकि शादी तो टाइम पर होती है और उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। मैंने इसलिये यह दरख्वास्त की थी, जिसके लिये माननीय मंत्री जी ने नहीं कह दिया।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--अब मैं पहले बोल लूं इसके बाद विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने सब बातें समझकर ही अपनी राय दी होगी।

श्री पद्मनाथ सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक अस्थायी रूप से केवल इस बात का प्राविजन करता है कि जो इलेक्शन्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होने वाले हैं उनमें एडल्ट फ्रैंचाइज का ख्याल किया जाय। इससे अधिक इसमें और कुछ नहीं है और यह लाजमी मालूम होता है कि १०० या इससे अधिक का चुनाव इस समय टाले नहीं जा सकते हैं इस बात में कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का उपचुनाब एडल्ट फ्रैंचाइज के अनुसार किया जाय। यदि इसको इस समय टाल दिया जाय तो यह आज के समय के प्रतिकूल होगा, विधान के प्रतिकूल होगा, इसलिये जो वर्तमान विधेयक आया है वह समय से आया है और समय के अनुकूल आया है और जो डेमोक्रेसी वगैरा का नाम ले रहे हैं उनसे भी कहना है कि यह डेमोक्रेसी के अनुकूल ही है। इसके बाद जो सीट्स खाली हैं उनका चुनाव होना है तो उनमें एडल्ट फ्रैंचाइज के हिसाब से चुनाव हो इसलिये आज जब कि एडल्ट फ्रैंचाइज का नियम बन गया है इस विधेयक का लाया जाना आवश्यक हो गया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक की बहुत जरूरत थी बल्कि देर हो रही थी और आज यह आया है तो उपयुक्त आया है।

मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से और माननीय मंत्री महोदय की ओर से जो एक होलसम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट लाने में विलम्ब हुआ है वह कई कारणों पर आधारित है। हमारे देश में लोकल बाडीज का १९०८-१९०९ से एक पुराना इतिहास है। आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है और इसमें पंचायतें बन गयी हैं और असेम्बली भी बन गयी है तो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का देश में क्या स्थान हो यह विवादपूर्ण प्रश्न हो गया है। इसलिये इसको हल करने में कि हमारे राजनीतिक ढांचे में इसका उचित स्थान हो, इसको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सरकार की ओर से और मंत्री महोदय की ओर से जो विलम्ब किया गया है वह इसलिये हुआ है कि इसका ढांचा क्या हो, किस रूप में हो, कुछ इसमें समय लग रहा है।

यह विधेयक अस्थायी है और स्थायी विधेयक आना है। इसलिये मैं दो चार बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कांस्टीट्यूशन अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हिन्दुस्तान को स्वराज्य की झलक दिखाने के लिये उन्होंने यह किया था कि तुम इंतजाम करो, यह उन्होंने बड़ी कृपा की थी। अब समय बदलता जाता है और इसमें एक मौलिक परिवर्तन की आवयकता है। अब जिस रूप में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, उनकी आवश्यकता बाकी नहीं रह गई है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जब स्थायी ऐक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का आये तो इनको समाप्त कर दिया जाय और इनकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स की स्थापना की जाय और इसका मजबूत कारण मैं उपस्थित करना चाहूंगा। अब हमारी सरकार आजकल प्लानिंग की ओर अग्रसर है और इस बात की आकांक्षा करती है कि देश की तमाम जनता इसमें सम्मिलित हो और सहयोग दे और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये उसको उभारने की आवश्यकता है। जनता कैसे उभरेगी वह यही कि इनमें उनके प्रतिनिधियों के जाने की गुंजाइश हो और इस आधार पर वह नियोजन बोर्ड में जायेंगे और वह जनता को उत्साहित करेंगे। तो जनता

[श्री पद्मनाथ सिंह]

का मन लगेगा और वह इस बात को सोचेगी । वास्तव में जो कार्य जिलों में होनेवाला है वह नियोजन के सम्बन्ध में होने वाला है और वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शिक्षा के बारे में या कम्युनिकेशन के बारे में जो काम होते जो डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं या इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं ये सब सरकारी कर्मचारी हैं वह पूरा शिक्षा का कार्य सरकार अपने ऊपर ले ले। सड़कों का कार्य चाहे वह कच्ची सड़कों का हो या पक्की सड़कों का कार्य हो वह सब सरकार अपने हाथ में ले ले तो मेरा ख्याल है कि प्रबंध अच्छा होगा और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्डभी इस दिशामें काम अच्छी तरह से कर सकेगा या जो भी और आवश्यकता हो तो उसके लिये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड को पावर दी जा सकती है । जिले के अधिकारी नियोजन के कार्य में सहायता दे सकते हैं और प्लानिंग बोर्ड उनकी लीडरशिप कर सकेंगे। जो भी अन्य आवश्यक कार्य हो वह किया जाय लेकिन यह सारा प्रबंध उस प्लानिंग बोर्ड को दिया जाय और यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न रहे । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक बेकार की संस्था है अगर इसको पुरानी लकीर समझकर चालू रखा गया तो यह इस बात को साबित करेगा कि हम अपने दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि जो विधेयक आया है वह आवश्यक था । इसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें केवल यह है कि एडल्ट फ्रेंचाइज के तरीके पर एलेक्शन होना चाहिये लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो शक्ल है उस पर भी पूरा विचार किया जाय ।

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस समय प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं अभी एक दो भाषण और हो जायं, क्योंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक को देख कर मुझे बड़ी परेशानी होती है । यह तो ऐसा ही है कि "देखत को छोटे लगें घाव करे गम्भीर" ऐसी ही शक्ति इसमें है । माननीय मंत्री जी सारे प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव बालिग मताधिकार पर करके धन्यवाद लेना चाहते हैं । इस समय मुझे तुलसी दास की एक चौपाई याद आती है जो श्री राम चन्द्र जी से भीलों ने कहा था कि "नाथ हमार यहै सेवकाई, लेंहि न बासन, वसन चोराई"। माननीय ब्रज विहारी जी ने कहा कि इस पर ही धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने यह बिल ला तो दिया । वह इसको ला भी नहीं सकते थे । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है । इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया कि जन-तंत्र का अधिकार जब हिन्दुस्तानी जनता को हो गया और फिर उसके आधार पर यह असेम्बली बनायी गयी है मेरी राय में उसी वक्त से राज्य संस्थायें और उसकी जितनी लगी हुई संस्थायें हैं, जो अलोकतांत्रिक से संघटित की गई हैं, उनका ढांचा टूट गया और सब बेकार हो गयीं । मगर हमारी सरकार तो यह चाहती है कि जिससे जरा भी जायज और नाजायज मदद मिलती हो उसको जिन्दा रखे चाहें उनमें प्राण हो या न हो । इस विधेयक के जरिये से,जो वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स हैं जो जनता के बोर्ड स नहीं कहे जा सकते हैं बल्कि जो चन्द खास किस्म के आदमियों के बोर्ड कहे जा सकते हैं, उनको जिन्दा करने की कोशिश की जा रही है, उन पर जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है । यह सरकार जो ग्रांट देती है वह भी बरबाद हो रही है । मैं तो एक ही बोर्ड की मिसाल दूंगा जिसके माननीय सदस्य २० साल से सदस्य हैं । माननीय न्याय मंत्री ने एक सवाल के उत्तर में बतलाया कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को ७५ हजार रुपया बाढ़ पीड़ित एरिया में मकान और सड़कों को बनाने के लिये दिया गया । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजमगढ़ जिला बोर्ड ने उक्त सरकारी अनुदान का दुरुपयोग किया है । उसमें यह २० वर्षीय मेम्बर लोग अपने घरों तक सड़कें बनवा रहे हैं । अगर यह जनता के बोर्ड होते तो क्या ऐसा होता ?

श्री सैयद अली जहीर---क्या यह कहा गया कि मेंबर अपने घरों तक सड़कें बनवा रहे हैं ?

श्री उमाशंकर---नहीं, जवाब में कहा गया था कि अमुक सड़क पर इतनी रकम खर्च हुयी मगर वह मेंबर साहबान के घर तक ही बनी है। यह एक और भी जाल है। अगर आपने किसी पैसे को खर्च किया है और आपने कह दिया कि हमने फलां जगह उसको खर्च किया है तो मैं समझता हूं कि उसमें आपने कुछ सच्चाई को बरता है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कहते और उसको छिपाने के लिये दुहरा जाल रचते हैं, यह तो दुहरा जुर्म है। इसलिये मैं चाह रहा हूं कि इस विधेयक की तारीफ न करके अगर आप सीधे-सीधे कह देते कि जिला बोर्ड्स आज कल हमारी मदद पर तुले हुए हैं,हमारे एक एक इशारे पर नाच रहे हैं और जनता की बेहतरी का उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ऐसा कह के आप अगर उनकी मदद करते तो उसको मैं ज्यादा अच्छा समझता। आज तो आपका बहुमत है इसलिये आप राइट और रांग चाहे जो कुछ कर सकते हैं। मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि हमारे साथी ऐसे ऐसे लोग हैं जो यह महसूस करते हैं और उन्होंने अपने व्याख्यानों में भी इस बात को कहा है कि जिला बोर्डों की हालत बहुत दयनीय है, उनकी हालत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वे इस बिल का समर्थन करते हैं। अरे आप फिर समर्थन क्यों करते हैं ? आप में बोलने की हिम्मत होनी चाहिये। मुझे अफसोस है कि दो एक सदस्यों को छोड़ कर किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे लोग जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं बल्कि वे कुछ खास लोगों की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। और इस तरह से मैं समझता हूं कि वे लोग अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट तो आज कल भारी बहुमत के कारण मतवाला हाथी हो रही है इसलिये वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। एक दो आदमी जो अब बोलने वाले हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वे सही सही बातें कहेंगे। हमारे बोर्डों की हालत आजकल बहुत ही खराब है, उनमें बेहद करप्शन फैला हुआ है, उससे अधिक रद्दी इन्तजाम की बात सोची भी नहीं जा सकती। एक साहब ने कहा कि शिक्षा बिभाग बहुत अच्छा है उसी के सिपुर्द इनको कर दिया जाय। पिछले साल शिक्षा विभाग के एक इंस्पेक्टर के बारे में यहां उत्तर दिया गया था। प्रश्न माल विभाग से यह पूछा गया था कि आजमगढ़ की किस किस तहसील में किन-किन गांवों में बाढ़ आयी। और सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट का ५ नवम्बर का जो सरकुलर था उसके अनुसार कितनी सहायता किन-किन स्कूलों को पहुंचाई जो मदद शिक्षा विभाग द्वारा पहुंचाई गई थी उसकी लिस्ट उत्तर में मेरे पास आयी और चौधरी चरण सिंह ने वह भी लिस्ट भेजी कि कहां कहां बाढ़ आई है। जब दोनों लिस्ट मिलाई गई कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई गई है तो उन तहसीलों के नाम ही उस लिस्ट में नहीं थे। सहायता का अधिक हिस्सा उन इलाकों में दिया गया जहां के लिये वह सहायता नहीं थी। यह उन्होंने बताया कि हम आपसे मांग करें कि शिक्षा विभाग के जो बड़े अफसर हैं उनको जिला बोर्ड के शिक्षा का काम दे दिया जाय। कहां जायं ? न इधर सरकने की जगह है न उधर सरकने की जगह है, जहां जाइऐ उल्टे फंसने का डर है।

श्री शिवनारायण---खंदक में जाइये।

श्री उमाशंकर---श्री शिव नारायण जी ने बताया कि खंदक में फंस जाते हैं, उन्होंने कहा कि साइकिल और मोटरें टूट जाती हैं। सरकार की ओर देखें तो वही बात है। मैं माननीय न्याय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और मैं उनकी न्याय बुद्धि पर विश्वास करके कहता हूं कि इस बिल को चीर कर फेंक दीजिये और एक नया जनतांत्रिक विधेयक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये लाइये क्योंकि जो कानून बनेगा वह आपको ही नहीं चलाना है बल्कि आगे जो भी सरकार आवेगी उस को भी उसे चलाना होगा और जो भी सरकार यहां चुन कर आवे वह उससे लाभ उठा सके ऐसा कानून आप पास करावें। अगर आप समझते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही कांग्रेस सरकार को बनाने में मदद देगें यह न समझना चाहिये, यह आपको भ्रम है। मैं समझता हूं कि एक रत्ती भी मदद यह बोर्ड आप को प्रतिष्ठित करने में न दे सकेंगे। मैं समझता हूं यह बात होने वाली नहीं है। आप इस उम्मीद को भूल जाइये। आपकी गवर्नमेंट सिवाय

[श्री उमाशंकर]

पूंजीपतियों के खजाने के और तरीके से नहीं बनने वाली है आप अब जिला बोर्डों के भरोसे पर आने वाले नहीं हैं। ऐसा बिल पास कराने में जो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं है। इससे जिला बोर्डों की शक्ल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शुद्ध जनहित के दृष्टि कोण से आप एक जनतांत्रिक विधेयक लाने की कृपा करें तो अच्छा है। कृपा करके इस प्रकार की धोखाधड़ी की कोशिश न करें। श्री शिवनारायण ने कहा कि हमारी सरकार में बड़े बड़े घाघ रहते हैं यह तो मैं मानने को तैयार हूं। अगर आपकी सरकार में बड़े बड़े घाघ रहते हैं तो मैं आपके उन घाघों से प्रार्थना करूंगा कि वह वही काम करें जिस से उन को लाभ हो और इस तरह से ऐक्ट में परिवर्तन करने से कोई लाभ न होगा। यदि आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को पुनर्जीवित करना है तो उसका यह तरीका नहीं है। लिहाजा इस निकम्मे बिल को वापस ले लीजिये।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में जिला बोर्ड ऐक्ट में यह एक छोटा सा संशोधन है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह प्रवर समिति में भेजा जाय या अधिक वाद विवाद हो। इसको लाने की आवश्यकता, मैं समझता हूं इस वजह से पड़ी क्योंकि जो चुनाव संबंधी नियम हैं वह सन् २२ के एक्ट और सन् ४८ के संशोधित ऐक्ट में जो हैं, अब उनके विपरीत एक दूसरा ढंग चुनाव का हो गया है प्रायः जैसे जिस प्रकार असेम्बली आदि के चुनाव हो रहे हैं उसी प्रकार से वहां भी हो और मैं समझता हूं कि यह जो तरीका रखा है वह अत्यन्त उचित है। जब तक यह ढंग कानून में नहीं लाया जाता तब तक हमारे कुछ उप चुनाव नहीं हो सकते थे। इस लिये यह परमावश्यक है कि इसको स्वीकार किया जाय, परन्तु मैं यह चीज देखता हूं कि इसमें काफी समय हो गया। ये नियम यदि पहले आ जाते तो अच्छा था परन्तु इसे देर में लाने के कुछ कारण हैं। यह जरूर है कि पहले लाये जा सकते थे परन्तु हमारे विचार से दो बातें इस समय चल रही हैं और उनका हम अभी तक हल नहीं कर सके हैं। पहली चीज तो यह कि अंग्रेजी राज्य में हमें यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रूप में स्वतंत्रता की पहली किश्त मिली थी और मैं समझता हूं कि सन् १९४७ के पश्चात् यह समाप्त हो जाने चाहिये परन्तु इस पर विचार हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि इसको जारी रखा जाय या समाप्त कर दिया जाय। मेरे ख्याल से इस ऐक्ट में संशोधन आयेंगे और संशोधन ही नहीं बल्कि एक तरह की ओवरहालिंग या नया ऐक्ट समझिये अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को रखना है तो लाना पड़ेगा जिसमें काफी समय की आवश्यकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो इस समय चल रहे हैं उनका न होना ही मैं अच्छा समझता हूं और यदि इनको दूसरा रूप दिया जाय तो अच्छा होगा। इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तीन कार्य कर रहे हैं। पहला कार्य तो विद्या (एजूकेशन) का, दूसरा सड़कों का और तीसरा अस्पतालों का। सड़कों के संबंध में जितनी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत हैं उनको धन न मिल के कारण उनकी दशा बहुत खराब हो रही है और उन सड़कों को दिन पर दिन पी० डब्ल्यू० डी० को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। गत वर्ष कुछ सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दी गई थीं लेकिन इस वर्ष फिर सड़कों को पी० डब्ल्यू०डी० ने ले लिया है केवल इस अनुभव के आधार पर कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उन कच्ची सड़कों की निगरानी नहीं कर सकती पक्की सड़कों की तो बात छोड़िये।

दूसरा शिक्षा का मसला है। सारे प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर हाई स्कूल्स उनके मातहत हैं। वहां की शिक्षा देख भाल उनके लिये असम्भव सी बात है। वह नहीं देख सकते कि किस तरह से वहां के बच्चों की पढ़ाई हो रही है केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चेयरमैनों का यही काम है कि जितने टीचर्स हैं अपनी अपनी पार्टियों के उनको किस स्थान पर भेजा जाय। कोई भी समय ट्रांसफर्स का नहीं है। होना यह चाहिये कि प्रत्येक वर्ष जून के महीने में एक मरतबा ट्रांसफर कर दें और कुछ समय तक एक आदमी मुस्तकिल तौर से एक जगह रहे लेकिन हम देख रहे कि साल भर में बराबर तब्दीलियां होती रहती हैं। इससे बच्चों की शिक्षा सब समाप्त

सी हो गई है। तीसरी चीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मातहत अस्पतालों की है और यह एक बड़ी विचित्र सी चीज कि दो अमली हुकूमत वहां चल रही है। तनख्वाह डाक्टरों को सरकार दे रही है और देख भाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और उसके चेयरमैन का होता है। तो यह काम सुचारु रूप से नहीं चल पाता। तो इन तीनों चीजों को मैं समझता हूं कि सड़कों को देना हो तो पी० डब्ल्यू० डी० को दे दीजिये, शिक्षा के काम को सरकार की तरफ से जो इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स हैं वह अच्छा कार्य कर सकते हैं, अस्पतालों के लिये हर जिले में हेल्थ आफिसर्स रहते हैं और यह तीनों काम इस तरह से उनको दिये जा सकते हैं इस लिये कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता।

दूसरा सुझाव मैं आपके सामने यह रख देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को यदि रहना है तो इस रूप में नहीं रहना चाहिये बल्कि जितने लोकल बाडीज हैं, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, और म्युनिसिपैलिटीज इनका तो एक ऐक्ट हो जाय और दूसरा ऐक्ट एक और बनाया जाय और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिले में जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है इस प्रकार से जिले का एक कोर्ट सा समझिये, इसको एक बड़ा मुहकमा समझिये जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस कमेटी का इंतजाम पहले से चला आ रहा है मंडल कांग्रेस कमेटी, तहसील कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और इसी तरह से पंचायतें हैं। हमारे गांवों की पंचायतें हैं उनका एक मंडल (सर्किल) हो। एक तहसील का भी संगठन बना दिया जाय, एक जिले का संगठन भी बन जायगा और जो पंचायतों का काम है उसको तरतीब से रखा जाय और जो पंचायतों के अधिकार दिये गये हैं उनको संशोधित करके उनके अधिकार बढ़ाये जायं। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसका नाम रक्खा जाय या और कोई नाम रक्खा जाय। उस समय यह हमारे देश के लिये एक हित कर चीज होगी लेकिन इस वक्त जो चीज हमारे सामने अस्थायी तौर से, संशोधित रूप से आई है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि यह प्रवर समिति को जाय या और अधिक विचार किया जाय। मजबूरन हमको यह कार्यवाही इसमें करनी पड़ी। एक वहम या ससोपंज में यह देरी हमको मजबूरन करनी पड़ी। कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि इसमें अधिक देर हो गई है। सन् ४८ में जनरल चुनाव हुये थे और अब तक चुनाव नहीं किये गये। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम पक्षपात कर रहे हैं बल्कि हमारे सामने कुछ ऐसी बातें विचाराधीन थीं जिसके कारण मजबूर हो कर हमें ऐसा करना पड़ा और अब भी वही बातें विचाराधीन हैं, जिसके कारण आरजी तरीके से जहां रिक्त स्थान हो गये हैं उनकी पूर्ति के लिये हमको यह संशोधन लाना पड़ा। सिर्फ वही बातें इसमें दिखलाई गई हैं कि मेम्बरों को चुनने के लिये कौन से तरीके अख्तियार किये जायं। पहले जो सन् २२ का ऐक्ट था उसमें लगान, मालगुजारी, पढ़ाई-लिखाई इत्यादि बहुत सी बातें चुनाव के लिये थीं। अब दूसरा तरीका हो गया है। जिस प्रकार असेम्बली का तरीका है उसी प्रकार से मेम्बरों की फेहरिस्त भी है, उसे भी इसी ढंग से रक्खा है और जो योग्यतायें तथा अयोग्यतायें हैं उनको भी उसी ढंग से रक्खा है। यदि कोई मेम्बर या वोटर पहले आयोग्य था लेकिन अब योग्य हो गया है तो इस रूप में ही चुनाव करना है। इस पर अधिक न कह कर यह कह देना चाहता हूं कि इसे पास करने के लिये प्रवर समिति में भेजना अनावश्यक है और शीघ्र से शीघ्र पास करके अमल किया जाय ताकि जो १०० के लगभग सीट्स रिक्त हैं वे भरी जा सकें ताकि जनता के अन्दर जो भ्रम फैल रहा है हमारी ढील के कारण अगर यह ढील अधिक बढ़ती चली गयी तो जनता में असंतोष और बढ़ेगा। यह हम मानते हैं कि जितनी जल्दी हम कोई काम कर सकें उतना ही अच्छा है और अगर किसी मामले में ढील डालेंगे या देर करेंगे तो उतना ही अविश्वास हमारी ओर से जनता के हृदय में बढ़ता चला जायगा। यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोई भी कार्य हो उसमें शीघ्रता की जाय। अब जो देरी हो गई वह हमारे बस की नहीं लेकिन अब अधिक देरी हमें इसमें नहीं करनी चाहिये।

श्री चिरंजीलाल जाटव---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थिति किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है मैं इस विधान सभा में बैठे हुए सोच रहा था कि यह जो मैंने विधेयक पेश किया है यह उसी पर बहस हो रही है या कोई ख्याली विधेयक है जिसके ऊपर माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं। जहां तक विरोधी दल के नेता की तकरीर का ताल्लुक था वह तो यकीनन विधेयक के मुताल्लिक थी और उन्होंने एक बात की तरफ तवज्जह भी दिलायी। लेकिन उसके बाद जो तकरीरें हुईं और खासकर जो माननीय राजनारायण जी की तकरीर हुई,उससे तो ऐसा मालूम होता था जैसे एक घोड़ा है। उसने पकड़ लिया है मुंह में लगाम बड़ी जोर से और भागा जा रहा है और बिलकुल काबू में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता कि होने क्या जा रहा है। मुश्किल से पांच मिनट की तकरीर, कोई सवा घंटे की तकरीर में ऐसी बातें थीं जिनका कोई दूर का ताल्लुक इस विधेयक से था, वरना बकीया तमाम बातें बिलकुल गैरमुताल्लिक गैरमतलब और ऐसी थीं जिनका कोई महल और मौका इस वक्त बहस का नहीं था। बहुत से माननीय सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुताल्लिक, चूंकि इसमें नाम है कि डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट बदला जा रहा है, लिहाजा यह समझा कि शायद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुताल्लिक जितनी बातें हैं वह सब इसके अन्दर कहना मौजूं होगीं और कही जा सकती हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून का ताल्लुक है, वह अपनी जगह पर दूसरा सवाल है, जब उस में तरमीमें पेश होगीं उस वक्त जो चीजें हाउस की तरफ से आयेंगी उनके ऊपर गौर किया जायगा, उसके ऊपर हमको गौर करने का मौका मिलेगा। यह मौका उसका नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में खराबियां हैं या जो उसमें तब्दीलियां करनी हैं, उसके ऊपर हम इस विधेयक के सिलसिले में गौर करें या उसका कोई हवाला दें इसका सिवा इसके कोई नतीजा नहीं होगा,तो उनकी तजवीजें होंगी,जो इस वक्त कहेंगे, उन पर इस वक्त सरकार गौर कर सकती है और न हम याद रख सकते हैं जिस वक्त वह ऐक्ट पेश करेंगे उस वक्त उसका खयाल किया जायगा। वह तो जब मौके पर बात कही जायगी उसी वक्त उसका खयाल किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---कब पेश होगा ?

श्री सैयद अली जहीर---अगर आप जानना चाहते हैं तो सवाल भेजिये, जवाब दिया जायगा। यह मौका पूछने का है भी नहीं।

जहां तक कि इस बिल के मुताल्लिक जो कोई ऐतराजात हुए हैं जो मैं समझा हूं वह सिर्फ इतना है कि इसकी वजह से जो बड़ा ऐक्ट है उसमें देर न हो जाय। मैं यह अर्ज करूंगा कि इससे कोई ताल्लुक उस कानून से नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून आने वाला है उसमें अब तक देर क्यों हुई यह एक सवाल अपनी जगह पर है और इसका भी कोई ताल्लुक इस सवाल से नहीं है। जहां तक इस कानून का ताल्लुक है इसको अगर आप मंजूर करेंगे तो उसकी वजह से पूरे ऐक्ट के पेश होने या न पेश होने के ऊपर एक दिन का भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पेश होने में न एक दिन आगे बढ़ सकेगा न एक दिन पीछे हट सकेगा। यह तो अपनी जगह पर एक चीज है। रह गया यह कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का संशोधन कब आयेगा यह एक मुश्किल सवाल है। आपके सामने शायद अखबारों के जरिये यह इत्तिला आ चुकी है कि हमारी कैबिनेट ने एक कमेटी इसके लिए मुकर्रर की थी कि जो पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट है उस पर वह गौर करे। उसमें पांच-छः मिनिस्टर थे जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काम से वाकिफ थे। चुनाचे कैबिनेट कमेटी ने अपनी राय उसके ऊपर पेश की। वह राय काफी मुद्दत के बाद, मेरे खयाल में यह कमेटी १९५२ में बैठी थी उस वक्त से इसने काम शुरु किया और जाकर १९५२ के आखिर में खत्म हुई। १९५५ के शुरू में इसकी रिपोर्ट शाया हुई। वैसे तो जो पूरी रिपोर्ट है वह कानफीडेंशल है। शाया नहीं की गयी। लेकिन उसकी जो विशेष बातें हैं वह शाया हो गयी हैं। उसके ऊपर अब बिल तैयार हो रहा है। लिहाजा यह कहना कि हमने कोई काम उसके मुताल्लिक नहीं किया यह सही नहीं है। यह इसी से आपको अन्दाजा होगा कि अगर इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो मालूम होगा कि इतनी बड़ी रिपोर्ट जाकर जब तैयार हुई है तब हम कुछ कह सकते हैं कि

उसका एक खाका हमारे सामने आया है। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं सबसे पहला सवाल यही था कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रखें या न रखें। उसकी जरूरत भी है या नहीं। यह सवाल महज हमारे सूबे का नहीं है। हम दिल्ली की कानफ्रेंस में शरीक हुए और शिमले की कानफ्रेंस में भी शरीक हुए। वहां जाने से मालूम हुआ कि हमारा सूबा इस मामले में, कम से कम जहां तक पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ताल्लुक और रिश्ता है, जो कुछ हमने किया है उसमें यह सब और सूबों से आगे बढ़ा हुआ है। वहां वह यह भी नहीं कर सके। यहां तक हुआ कि हम लोगों से यह कहा गया कि आपने जो कुछ किया है उसके मुताल्लिक हमको एक नोट दे दीजिए कि आपकी क्या तजवीजें हैं, आप क्या करने वाले हैं, ताकि हम उसको दूसरे सूबों को सरकुलेट कर दें और हम लोगों को इत्तला हो जाय। और हमने उनको सप्लाई किया और दूसरे सूबों को भी दिया। दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी तो वहां जो मुख्तलिफ वजरा थे उन्होंने यह कहा कि हमको इससे बहुत मदद मिली और ऐसी चीज मिली जिसको देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं।

तो आप यों सोचें कि हमारे यहां जैसी पंचायतें बन गयी हैं और पंचायतों को जो शक्ल हमने दी है उसके बाद किस तरह का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो और उसका ताल्लुक पंचायत से क्या हो और उसका ताल्लुक फिर सरकार से क्या हो और वह किस तरह से काम और फंक्शन करे और उसकी आमदनी किस तरह से बढ़ायी जाय और उसके क्या-क्या फरायज़ हों और उसका ढांचा किस तरह का हो और उसके मुताल्लिक क्या-क्या जिम्मेदारियां हों, यह सब चीजें एक से एक दुशवार और मुश्किल की हैं जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। लिहाजा यह समझना किसी का, चाहे वह हमारी तरफ के माननीय सदस्य हों या विरोधी दल के हों, कि इसमें कोई कोताही हो रही है या देर हो रही है किसी वजह से, यह गलत है। हम पूरे तौर से कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके यह ऐक्ट बन जाय और वह आपके सामने पेश हो और उसके पास होने पर उसके बेसिस पर चुनाव हो। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको यह मालूम होगा कि अभी हमको एक बहुत बड़ा कानून पास करना है--कारपोरेशन बिल। कारपोरेशन की सूरत यह है कि हमारे जो बड़े-बड़े कबाल टाउन्स हैं, उनमें हमने ऐडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिये हैं। उनमें तो चुने हुए नुमाइंदे बिल्कुल हैं ही नहीं। तो यह कहा जा सकता है कि पहले हमको अपने यहां के ऐडमिनिस्टेटर्स का जो निजाम है उसको खत्म करके कार्पोरेशन का चुनाव करना है। साथ ही पांच बड़े-बड़े कबाल टाउंस का निज़ाम ठीक होने पर सारे सूबे के निजाम पर उसका असर पड़ता है और जरूरी है कि वहां पर नुमाइंदा जमाअतें बन जायं। तो हम कार्पोरेशन बिल को अनकरीब आपके सामने ला रहे हैं। वह जब आपके यहां से मंजूर हो जायगा तो पहले सिलेक्ट कमेटी में जायगा, उसके बाद वहां से मंजूर होने के बाद उसके मुताबिक चुनाव पहले होगा। मैं समझता हूं कि अगर हमारा जनरल एलेक्शन सन् १९५७ में होगा तो सन् १९५७ उसमें निकल जायगा उसके बाद हमको इसका वक्त मिलेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कर सकें। लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह तो एक टेंटेटिव बातें हैं। अगर सन् १९५७ में आम चुनाव नहीं हुआ, उसको मुल्तवी होना पड़ा तो हमारा बिल अगर तैयार हो गया और ऐक्ट बन गया तो सन् १९५७ में चुनाव कर देंगे, लेकिन उसका फैसला जाहिर है कि जब किया जायगा तो आपको इत्तला होगी, आपका उसमें सलाह मश्विरा होगा और उसी के मुताबिक उस पर अमल किया जायगा। मगर इसमें ताखीर का कोई मंशा नहीं है और न इस बिल को लाने से यह मंशा है कि हम उसको टाल दें, या जितनी जल्दी हम कर सकते हैं, न करें। लेकिन जब हमने देखा कि चाहे हम जितनी जल्दी करें, वह काम इतना बड़ा है, इतनी जिम्मेदारी और मुश्किल का काम है कि कम से कम डेढ़ दो बरस उसके पास होने में और चुनाव होने में

[श्री सैयद अली जहीर]

लगेंगे तो हमने जरूरी समझा कि हम एक ऐसा कानून हाउस के सामने लावें कि जैसे कि अब तक बाई-एलेक्शंस नहीं हुए हैं या जगहें खाली पड़ी हुई हैं, तो यह कोई मुनासिब बात नहीं है, उनको नुमाइंदगी दी जा सके। और इसमें चूंकि दिक्कत नहीं थी, छोटी सी बात थी, छोटा सा कानून था और जरूरी था, इसलिये हमने उसे आपके सामने बना करके पेश कर दिया, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा इस कानून के पास होने के बाद कोई इस किस्म की बदगुमानी या शक पैदा होता कि हम कोई जनरल चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुल्तवी करना चाहते हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है और न यह सही है।

यह सूरते हाल है। और बहुत सी और बातें हैं जिनके मुताल्लिक मुझे कहना था, लेकिन हमारे राजनारायण जी तो हैं नहीं, लिहाजा ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। एक माननीय सदस्य ने अभी बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ठीक नहीं चल रहे हैं और इनकी हालत बहुत बुरी है। उनका कहना था कि चूंकि इन बोर्ड्स में कांग्रेसी हैं इसलिये इनको नहीं बदल रहे हैं। बहरहाल, वे तशरीफ ले गये हैं। लेकिन मुझे यह अर्ज करना था कि सन् १९५३ में जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत से पी० एस० पी० के चेयरमैन भी आये हैं, तो उन्होंने क्या किया है? जब मैं उनके बोर्ड्स की हालत देखता हूं तो उनकी हालत कोई अच्छी नहीं पाता हूं। वे कांग्रेसी बोर्ड्स का मुकाबिला नहीं कर सकते हैं और फिर यह शिकायत करते हैं कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में सभी कांग्रेसी हैं लिहाजा उनको कायम किये हुये हैं। मैं मानता हूं कि हमारे कांग्रेसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड्स में भी खराबियां हैं और सभी जगह काम अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन हमें अच्छा काम सीखना है। लेकिन वे स्टेबिल हैं, वहां काम अच्छा हो रहा है, वे अपने काम को ठीक समझते हैं और अपने नेताओं के हुक्मों की तामिल करते हैं इसलिये उनकी हालत अच्छी है। लेकिन चूंकि हालत अच्छी या खराब है, इसलिये यह कहना कि चूंकि सभी कांग्रेसी हैं इसलिये हालत खराब है तो यह बात नहीं है। अगर हम चुनाव करा दें और उनकी पार्टी के आदमी आ जायं तो यह कोई गारन्टी नहीं है कि सभी बोर्ड्स की हालत अच्छी हो जायेगी। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है इसमें कोई एख्तलाफ बात नहीं है। दफा २६ के मुताल्लिक श्री राजनारायण जी ने कहा है। उन्होंने कहा था कि यह दफा २६ इसमें से गलत निकाली जा रही है। जिस दफा २६ को हम निकाल रहे हैं वह कोई पुरानी दफा नहीं है बल्कि सन् १९४८ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अमेंडमेंट ऐक्ट की दफा २६ है। यह दफा जो इसमें शामिल की गयी थी वह महज सन् १९४८ में जो चुनाव होने वाले थे उनके लिये रखी गयी थी। अब चूंकि उस दफा के मातहत सन् १९४८ में चुनाव हो गये हैं लिहाजा उसमें संशोधन किया जा रहा है। बहरहाल, यह खुली हुई बात है कि हमें मौजूदा ऐक्ट के मुताबिक चुनाव नहीं कराने हैं। अब हम चुनाव तभी करायेंगे जब कि इस ऐक्ट में संशोधन करा लेंगे। जो नये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट में नये बोर्ड्स की मियाद मुकर्रर की जायगी वही उनकी मियाद होगी। लिहाजा इस दफा को निकालने से कोई बड़ा फर्क नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५, "उद्देश्य तथा कारण" की सीमा को बढ़ाने का अधिकार देते हुए, सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से ५ तक

यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९२२ की धारा ३ का संशोधन।

२---यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (1-*a*) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(1-*a*) Director of Elections (Local Bodies) means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*,".

आकस्मिक रिक्तियां। भरने के लिये उप-निर्वाचन।

३---यदि १९४८ के सामान्य निर्वाचन में बोर्ड के लिये निर्वाचित किये गये किसी सदस्य का स्थान इस अधिनियम के प्रारम्भ पर रिक्त हो, अथवा उसके पश्चात् रिक्त हो जाय तो ऐसी आकस्मिक रिक्ति अनुसूची में उल्लिखित लोपों, परिवर्द्धनों, परिष्कारों तथा अपवादों (omissions, additions, modifications and exceptions) के अधीन रहते हुये, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भरी जायगी।

संशयों का निवारण

४---संशयों (doubts) के निवारण के हेतु एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की कोई भी बात उस व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर सदस्य हो, निर्वाचन की वैधता अथवा उसके बोर्ड का सदस्य बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

राज्य सरकार का कठिनाइयां निवारण करने का अधिकार।

५---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारण के निमित्त राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके यह आदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या उक्त अधिनियम को संशोधन अथवा अनुपूरित (supplementing) करने वाला अन्य कोई अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत निर्मित या प्रचारित कोई अन्य नियम, विनियम, या उप-विधियां (rules, regulations or bye-laws) उस अवधि तक, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (adaptations), चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप (omissions) के रूप में हों, के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, प्रभावी होगी।

(२) खंड (१) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा उत्तर प्रदेश विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ से ५ तक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

(देखिये धारा ३)

क्रम-संख्या	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३
		१—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२
१	५	(१) उपधारा (२) में "Muslim and" निकाल दिये जायं तथा शब्द "the respective population of Muslims and" के स्थान पर शब्द "the population of" रख दिये जायं।
		(२) उपधारा (३) में—
		(क) शब्द "if such seats form a majority of the total number of elected seats" निकाल दिये जायं, और
		(ख) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।
२	७-ए से लेकर ७-जी तक	धारा ७ के पश्चात् ७-ए से लेकर ७-जी तक निम्नलिखित नयी धारायें रख दी जायं :—

"7-A. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise and direct the conduct of elections under this Act.

Conduct of elections to be supervised by the Director of elections (Local Bodies)

7-B. Election in a casual vancancy on the basis of Adult Suffrage.

The bye-election to fill a casual vacancy in a seat of a member of a Board shall be held on the basis of adult suffrage.

7-C. Electoral Roll for a constituency in which bye-election is to be held

(1) Where a bye-election is to be held in any constituency (hereinafter referred to as the specified constituency) to fill a seat in a casual vacancy of a member of a board, the District Magistrate shall, if so directed by the Director of Elections (Local Bodies)—

(*a*) appoint an Officer of the State Government or of the Board to be the Electoral Registration Officer of the specified constituency ; and

(*b*) direct the Electoral Registration Officer to prepare an electoral roll for the specified constituency in accordance with the provisions of sections 7-B to 7-G and the directions issued by the Director of Elections (Local Bodies).

क्रम-संख्या	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of electoral rolls for the specified constituency, adopt the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950 (hereinafter called the Assembly rolls) relatable to the area comprised in the said constituency and publish the same in the manner specified in the order under section 7-G and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral roll for the specified constituency prepared in accordance with this Act.

(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the rules framed thereunder, in the Assembly electoral rolls relatable to the area comprised in the specified constituency, a similar amendment shall be made in corresponding electoral roll of the said constituency.

7-D. Qualifications for electors

Subject to the provisions of section 7-E, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral rolls relatable to the area comprised in the specified constituency or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the said constituency.

7-E. Disqualifications for registration in electoral roll

(1) A person shall be disqualified for registration in the electoral roll of the specified constituency if he is disqualified for registration in the Assembly electoral rolls.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the specified constituency in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of the specified constituency by reason of disqualification under sub-section (i) shall forthwith be re-instated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorizing such removal.

क्रम-संख्या	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३

7-F. Registration to be in one place

No person shall be entitled to be registered in the electoral roll of the specified constituency more than once.

7-G. Order regarding electoral rolls

The State Government may, by order, make provision in respect of the following matters concerning the preparation and revision of electoral roll of a specified constituency, namely—

"(*a*) the date on which the electoral roll shall come into force and the period of its operation ;

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned ;

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral roll ;

(*d*) the inclusion in the electoral roll of the name of any person—

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the constituency but is not included in the electoral roll of the constituency; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the constituency ;

(*e*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral roll of the specified constituency."

३.	८, ९, १० और १४	धारायें ८, ९, १० और १४ निकाल दी जायं ।
४.	२६	खंड (ए) निकाल दिया जाय ।

२—यू० पी० डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९४८

५.	२६	धारा २६ निकाल दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्थानों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ को अस्थायी रूप से अनुपूरित करने का

विधेयक

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्थानों की आकस्मिक रिक्तियों को वयस्क मताधिकार (adult suffrage) के आधार पर भरने के प्रयोजन से, यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्धों को अस्थायी रूप से अनुपूरित (supplement) करना आवश्यक है :

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

राधेरमण सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ दिसम्बर, १९५५

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

बहराइच जिले में मछुओं की सहकारी समितियों की सूची:—

(१) डहौरा चांई सहकारी समिति।

(२) मेला चांई सहकारी समिति।

(३) बरियार चांई सहकारी समिति।

(४) चितौरा चांई सहकारी समिति।

(५) इटहा गंडौर सहकारी समिति।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

No. 3531/I-A—1243-1952

FROM

SRI S. AINUL ABIDIN,
UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

(i) THE COLLECTORS, AGRA AND GORAKHPUR.

(ii) THE CHIEF ENGINEER,
PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

Dated Lucknow, July 6, 1955.

Subject:—Disposai of Agricultural and Pastoral land relinquished after permanent appropriation.

SIR,

REVENUE (A) DEPTT

I am directed to refer to (i) G. O. No. 5473/I-A—1243/1952, dated December 10, 1954, (ii) U. O. letter no. 2324 A/I-A-1243/ 1952, dated April 13, 1955, (iii) your letter no. 1898/52-53-VIII—37, dated May 11, 1955, on the above subject, and to say that the Government of India, who were addressed in the matter, have provisionally agreed to the disposal of the land in question on the following principles.

(*a*) When land is to be restored under Chapter XX of the Revenue Manual the officers entrusted with the work of restoration should not only find out as to who were the owners and tenants in chief of that land when it was acquired but also as to what portion of that land each person was cultivating personally at the time of acquisition.

(*b*) The land should be offered only to those owners or tenants-in-chief first who (or whose predecessors) were actually cultivating or holding the land at the time of acquistition. The predecessors are to be determined in accordance with para 3 of the Government of India Resolution No. 13/44-13, dated October 30, 1896.

(*c*) If, however, any person together with his family as defined in section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 to whom the land can be restored in accordance with the above principles, possesses 30 acres or more of land he would be excluded from the list of persons entitled to get back the land. In cases where they possess less than 30 acres, they should be offered only that much land which together with what they already possess will make the land in their possession, equal to 30 acres. In the areas in which one acre is to be counted as equal to 2 acres, the limit should be 60 acres.

(*d*) The persons who are offered the Bhumidhari rights in the land, and the price per acre to be realized from them would be so fixed as to make the total price of the land, if all of it is restored, equal to the cost of acquisition minus 15 percent solatium which was paid at the time of acquisition.

(*e*) The price so realized will go to the department which had acquired the land and the persons getting back the land will have to pay land revenue fixed in accordance with the principles laid down in section 245 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

(*f*) If the owner or cultivator mentioned in (a) above, refuses to take back the land or if it cannot be given back to him because of the 30 acres limit, it would be offered to other cultivators of the locality on the above mentioned terms.

(*g*) In all cases the leases should be executed under the Government Grants Act, 1895.

I am to request that pending final decision of the Government of India in the matter action for the disposal of the land in question may be taken on the principles mentioned above.

Yours faithfully,

Sd. S. AINUL ABIDIN,

Under Secretary.

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर)

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७, जहां तक वह उत्तर प्रदेश पर लागू होता है, को संशोधित करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया गया था :

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ में संशोधन करने के लिये राज्यपाल महोदय ने इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश १४, १९५५ प्रचारित किया था;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अधिनियम १९५५ कहलायेगा ।

(२) यह ३ दिसम्बर, १९५५ को और इसी दिनांक से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

ऐक्ट, १६, १९२७ में नये अध्याय V.A का बढ़ाया जाना ।

२—इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ के अध्याय ५ के पश्चात् नये अध्याय V-A के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

CHAPTER V-A

OF THE CONTROL OVER FOREST OF CLAIMANTS

Definition

38-A. In this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "Claimant" as respects any land means a person claiming to be entitled to the land or any interest therein acquired, owned, settled or possessed or purported to have been acquired, owned, settled or possessed whether under, through or by any lease or licence executed prior to the commencement of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or under and in accordance with any provision of any enactment, including the said Act;

(*b*) "Forest" includes—

(i) any land covered by trees and shrubs: and

(ii) pasture lands.

Powers to regulate or prohibit breaking or clearing etc.

38-B (1) The State Government may by notification in the official *Gazette* regulate or prohibit in any forest (situate in or upon any land of a claimant)—

(*a*) the breaking up on clearing of the land for cultivation or any other purpose ;

(*b*) the firing or clearing of the vegetation;

(*c*) the girdling or tapping or burning of any tree or the stripping off or the bark of leaves from any tree;

(*d*) the lapping and pollarding of trees;

(*e*) the cutting, sawing, conversion or the removal of trees—

where such regulation or prohibition appears necessary—

(i) for the conservation of trees and forests ; or

(ii) for the improvement of grazing ; or

(iii) for the maintenance, increase and distribution of supply of fodder, timber or fuel ; or

(iv) for the protection of land against erosion ; or

(v) for subserving the interest of the general public.

(2) No notification shall be made under sub-section (1) until after the issue of a notice to the claimant of the land calling on him to show cause within a reasonable period, not less than fourteen days and not exceeding thirty days, to be specified in such notice, why such notification should not be made, and until objections, if any, and any evidence he may produce in support of the same, have been heard by an officer appointed in that behalf and considered by the State Government.

(3) It shall be lawful for the State Government to make the notification under sub-section (1) either in respect of any particular forest or generally in respect of all forests situate in an area.

Prohibition or regulation in emergent cases.

38-C. Where it is proposed to issue, a noticafition in respect of any forest or generally all the forests in any area under section 38-B, and the State Government is satisfied that immediate action is necessary to prevent the doing of all or any of the acts mentioned in clauses (*a*) to (*e*) of sub-section (1) of the said section, it may by notification in the official *Gazette*, prohibit the doing except as and in the manner specified, or such act in respect of that forest or as the case may be, generally all forests situate in any area as may be specified and, thereupon, no person shall, notwithstanding any claim, right, agreement, custom, usage or law to the contrary, do any of the said acts in such forest or forests until expiry of six months from the date of the notification, and until the objection, if any, filed in pursuance of the notice under sub-section (2) of section 38-B, has been heard and considered by the State Government.

38-D. The notice under sub-section (2) of section 38-B shall— Service of Notice.

(*a*) in the case of a notification affecting an individual person (not being a corporation, firm or body of persons) be served on that person—

(i) personally by delivering or tendering to him the notice; or

(ii) by post; or

(iii) where the person cannot be found, by leaving an authentic copy of the notice with some adult male member of his family or by affixing such copy in some conspicuous part of the premises in which he is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain; and

(*b*) in the case of a notification of a general nature in relation to all forests in an area, be served by publication in the official *Gazette* and it shall not be necessary, unless the State Government so directs, to serve the notice individually on the claimants.

38-E. The provisions of section 36 shall *mutatis mutandis* apply to any regulation or prohibition notified under section 38-B or 38-C. Application of section 36 of Act XVI of 1927.

38-F. Any person who— Penalties

(i) fells, girdles, lops, taps, pollards or burns any tree or strips off the bark or leaves or otherwise damages any tree, or breaks up or clears for cultivation or may any other purpose, any land in the forest to which the notification under section 38-B or 38-C relates ; or

(ii) sets fire to such forest, or kindles a fire without taking all reasonable precautions to prevent its spreading; or

(iii) permits cattle to damage any such tree, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

38-G. The powers conferred by sections 38-B, 38-C, and 38-D shall be in addition to and not in derogation of any other powers conferred on any authority by or under any other provision of this Act. Saving

३—इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो। निरसन

उद्देश्य और कारण

उस काल में जब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम निर्माणावस्था में था, बड़े, बड़े क्षेत्र जिन पर बन लगे हुये थे, भूमि सुधार के लिये तत्कालीन जमींदारों द्वारा पट्टे पर दे दिये गये थे। उपर्युक्त प्रकार से दिये गये पट्टों पर निर्भर रहते हुये, जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे वनों को असावधानी पूर्वक साफ कर गिराने को उत्सुक है। सामान्य जनता के हित में, और विशेष कर राज्य में, जहां मुख्यतया कृषि व्यवस्था ही है, वनों के संरक्षण के महत्व को पूरी मान्यता दी गयी है। ऐसे क्षेत्रों में वनों के शोषण का विनियम आवश्यक प्रतीत हुआ है। इस हेतु कि उक्त प्रवृत्ति को रोका जा सके, राज्यपाल महोदय ने इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया है। यह विधेयक अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के निमित्त पुरःस्थापित किया जाता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वन मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर)

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया।]

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७।

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को आगे जारी रखने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७।
यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९५३।
यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९५५।

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनर्विहित (re-enact) हुआ था तथा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा जारी रखा गया था, २५ जनवरी, १९५६ को समाप्त हो जायगा।

और उक्त ऐक्ट को जारी रखने की व्यवस्था करना आवश्यक है :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९५३ को जारी रखना।
यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९५५।

२—उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा २ में संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५८" कर दी जाय।

उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७), जो (१) फायर ब्रिक्स से भिन्न ईंटों तथा (२) वन में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं (forest produce) जिसके अन्तर्गत ईंधन लकड़ी (fire-wood), कोयला (charcoal), बांस (bamboo) बैबघास (baib grass) और चपड़ा (resin) भी हैं, के नियंत्रण के लिये आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था करने के हेतु उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५३) द्वारा पुनर्विहित किया गया था, तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५५) द्वारा जारी रखा गया था, की अवधि २५ जनवरी, १९५६ को समाप्त हो जायगी।

राज्य के अनेक विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तथा निजी निर्माण-कार्यों म वृद्धि होने के कारण ईंटों की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव उचित मूल्यों पर ईंटों की पूर्ति को विनियमित करना आवश्यक है।

बड़े नगरों में ईंधनी लकड़ी के लिये, जनता की आवश्यक जरूरतें पूरी करने के लिये, तथा बृहत्तर सार्वजनिक हित में वनों के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, राज्य में ईंधनी लकड़ी के लाने ले जाने तथा वितरण की भी, जहां कहीं उसकी आवश्यकता हो, विनियमित करना आवश्यक है।

अतएव इस उद्देश्य से कि इन वस्तुओं की उपलब्ध-पूर्ति (supplies available) में से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, इन वस्तुओं पर और दो वर्ष तक वर्तमान नियंत्रण जारी रखना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ तदनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
पूर्ति मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५५ एल० ए०—१९५६—७९६१